

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय.कक्ष सं०-15, बुलन्दशहर।

पीठासीन:- हेमन्त कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा

सत्र परीक्षण संख्या- 1266/2021

उ०प्र० राज्य

बनाम

- 1:- कालू उर्फ घनेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम नैथला, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।
- 2:- राजकुमार उर्फ बल्लू पुत्र झम्मन सिंह, निवासी अमरमाया कालौनी, चांदपुर रोड, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।
- 3:- देवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र, निवासी औरंगपुर गड़िया, थाना जहाँगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।
- 4:- अन्नू पत्नी कालू उर्फ घनेन्द्र, निवासी ग्राम नैथला, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।
- 5:- इकबाल पुत्र अल्लाराजी, निवासी इन्द्रा कालौनी, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।
- 6:- भारत पुत्र राजकुमार
- 7:- कोमल कुमारी पत्नी राजकुमार
निवासीगण अमरमाया कालौनी, चांदपुर रोड, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।
- 8:- तेजवीर पुत्र दिगम्बर, निवासी ग्राम बढपुरा, थाना अहार, जिला बुलन्दशहर।

अपराध संख्या- 124/2021

धारा-364ए, 328, 342 भारतीय दण्ड संहिता।

थाना-कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या-1267/2021

देवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र, निवासी औरंगपुर गड़िया, थाना जहाँगीराबाद, जिला बुलन्दशहर।

अपराध संख्या- 134/2021

धारा-3/25 आयुध अधिनियम।

थाना-कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या-1268 / 2021

कालू उर्फ घनेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम नैथला, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर।

अपराध संख्या- 132 / 2021

धारा-3 / 25 आयुध अधिनियम।

थाना-खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या-1347 / 2021

राजकुमार उर्फ बल्लू पुत्र झम्मन सिंह, निवासी अमरमाया कालौनी, चांदपुर रोड, थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

अपराध संख्या- 133 / 2021

धारा-4 / 25 आयुध अधिनियम।

थाना-खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर।

अभियोजन अधिवक्ता:-

1- श्री पी0एस0 लोधी

2- श्री विजय कुमार सिंह

अभियुक्तगण अधिवक्ता:-

1- श्री रूकन सिंह पायल

2- श्री धीरेन्द्र सिंह

3- श्री के0के0 शर्मा

निर्णय

1:- सत्र परीक्षण सं0-1266 / 2021, अपराध सं0- 124 / 2021, धारा-364ए, 328, 342 भा0द0सं0 एवं सत्र परीक्षण सं0-1267 / 2021, अपराध सं0-134 / 2021, धारा-3 / 25 आयुध अधिनियम एवं सत्र परीक्षण सं0-1268 / 2021, अपराध सं0-132 / 2021 एवं सत्र परीक्षण सं0-1347 / 2021, धारा-4 / 25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली नगर का विचारण तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार के द्वारा दिनांक 06-09-2021 को सत्र सुपुर्द किये जाने पर आरंभ हुआ।

2:- चूँकि उक्त चारों मामले एक-दूसरे से संबंधित हैं इसलिए इन चारों मामलों का संयुक्त विचारण किया गया है।

3:— संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी विजय सिंह ने तहरीर प्रदर्श क-1 प्रस्तुत कर कहा कि उसका बेटा गौरव कुमार आज दिनांक 01-02-2021 सुबह 09:26 बजे घर से दुकान के लिए निकला था, लेकिन वह दुकान पर नहीं पहुँचा और तभी से वह लापता है और अभी तक उसका कोई पता नहीं है और आज सुबह जब उसने कॉल की थी तब वह फोन पर कस्टमर से बात कर रहा हूँ, कहकर कॉल काट दी। उस टाइम सुबह के लगभग 10:05 बजे थे तथा तभी 10 मिनट बाद उसका दोबारा फोन आता है, जिसमें उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके साथ मारपीट हो रही थी। अतः आशंका है कि उसके बेटे का अपहरण कर हत्या न कर दी जाये, इसलिए इस संबंध में कार्यवाही करें और उसके बेटे की सकुशल बरामदगी की जाये।

4:— उपरोक्त तहरीर के आधार पर चिक एफ0आई0आर0 सं0-124 दिनांक 01-02-2021 समय 17:56 बजे धारा- 364 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत की गयी, जो प्रदर्श क-3 है।

5:— उपरोक्त का तस्करा कायमी जी0डी0 नंबर-56 दिनांक 01-02-2021 समय 17:56 बजे में किया गया, जो प्रदर्श क-4 है।

6:— मामले की विवेचना निरीक्षक बृजकिशोर ने ग्रहण की, जिसमें पर्चा नंबर-1 दिनांक 01-02-2021 को कित्ता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ0आई0आर0 लेखक और विवेचक द्वारा वादी के घर आकर निरीक्षण किया तथा उक्त समय वादी का बयान भी अंकित किया। इसके साथ ही उसने उल्लेखित किया कि घटनास्थल का निरीक्षण सी0सी0टी0वी0 कैमरे के आधार पर बनवाया गया और सी0सी0टी0वी0 कैमरे को चलवाकर उसको देखा गया व सर्विलांस सैट के माध्यम से गौरव के मोबाईल नंबर पर आयी

कॉल की जानकारी की तो मोबाईल नंबर—8650515580 पर गौरव के फोन से कॉल होना पाया। उक्त फोनधारक राकेश की जानकारी की गयी तो वह ई—रिक्शा चलाता है। तत्पश्चात् उसके सी0डी0आर0 हेतु आवेदन किया गया। विवेचक द्वारा स्वॉट टीम प्रभारी सुधीर कुमार त्यागी व निरीक्षक अखिलेश गौड़ से सहयोग की माँग की। पर्चा नंबर—2 दिनांक 02—02—2021 को किता किया गया, जिसमें राजकुमार उर्फ बब्बू से पूछताछ की गयी और गौरव की फोटो प्राप्त कर गश्ती तलाश व आकाशवाणी हेतु सूचना भरकर डी0सी0आर0बी0 को भिजवाया गया। गौरव के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गयी। पर्चा नंबर—3 दिनांक 03—02—2021 को किता किया गया और अपहृत की तलाश में लगाये गये कर्मचारीगण कां0 देवेश, संदीप, विदित, नाजिम से जानकारी ली गयी। प्रश्नगत बौलेरो यू0पी0—13बी0एम0—5206 प्रकाश में आयी। उक्त कार गुलवीर पुत्र महावीर, निवासी ग्राम गढ़िया, थाना जहाँगीराबाद की है और दिनांक 01—02—2021 को देवेन्द्र पुत्र राजवीर, निवासी ग्राम औरंगपुर गढ़िया गुलवीर से माँगकर टैक्सी में चलाने का काम करता है। देवेन्द्र की तलाश का प्रयास किया गया। पर्चा नंबर—4 दिनांक 04—02—2021 को किता किया गया और मुखबिर खास की सूचना के आधार पर पुलिस टीम के साथ आवश्यक सहयोग योजना बंदी करके इन्द्रा कालौनी में इकबाल के मकान को घेरकर दबिश देकर कमरे में पाँच व्यक्ति दो महिलायें तथा अपहृत गौरव को बरामद किया। उक्त पाँच व्यक्ति कालू मय तमंचा राजकुमार मय छुरा देवेन्द्र मय तमंचा इकबाल से कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई। भरत से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। महिला कोमल कुमारी पत्नी राजकुमार और अन्नू पत्नी कालू से कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। गौरव को पूर्व प्राप्त फोटो के आधार पर पहचाना तो अपहृत ने अपना

नाम गौरव पुत्र विजय सिंह, निवासी अमरमाया कालैनी, चांदपुर रोड, थाना कोतवाली नगर, बुलन्दशहर बताया और दिनांक 01-02-2021 को अपहरण की बात को तस्दीक किया। भाग गये व्यक्ति का नाम तेजवीर बताया और प्रयुक्त वाहन बाहर खड़ा होना कहा गया। तत्पश्चात् मुल्जिमान को जुर्म से अवगत कराते हुए माल सील सर्वे मौहर किया, उनको गिरफ्तार कर फर्द बनायी गयी। उसकी प्रति मुल्जिमान को दी गयी और थाने लाकर दाखिल किया। उसी दिन अपहृत गौरव का बयान भी अंकित किया। तत्पश्चात् मुल्जिमान कालू, राजकुमार, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, अन्नू व कोमल के भी बयान अंतर्गत धारा-161 जाब्ता फौजदारी अंकित किये गये। पर्चा नंबर-5 दिनांक 09-02-2021 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त तेजवीर की गिरफ्तारी का प्रयास किया, परंतु दस्तयाव नहीं हुआ। पर्चा नंबर-6 दिनांक 10-02-2021 को किता किया गया, जिसमें गाड़ी मालिक गुलवीर सिंह का बयान लिया, जिसमें तस्दीक किया कि उक्त गाड़ी उनकी है, जिसे उसने देवेन्द्र जो उसका भाई है, उसको दी थी। पर्चा नंबर-7 दिनांक 11-02-2021 को किता किया गया, जिसमें एस0एस0आई0 शत्रुध्न यादव, एस0आई0 रोहित कुमार, कां0 देवेन्द्र, कां0 मनोज, कां0 संजीव, कां0 मौ0 नाजिम के बयान अंतर्गत धारा-161 जाब्ता फौजदारी अंकित किये गये, जो बरामदगी के गवाह हैं तथा बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी बनाया और कां0 ऋचा का भी बयान अंकित किया तथा गाड़ी मालिक गुलवीर फौजी की संलिप्तता नहीं पायी गयी। अभियुक्त तेजवीर के घर दबिश दी गयी, परंतु दस्तयाव नहीं हो सका। पर्चा नंबर-8 दिनांक 15-02-2021 को किता किया, जिसमें यह अवगत किया कि कोर्ट मौहरिर कां0 अवनीश ने फोन पर बताया कि अभियुक्त तेजवीर अपराध सं0-206/2011,

धारा-279, 304ए भा0द0सं0 में न्यायालय ए0सी0जे0एम0-3, गौतमबुद्धनगर द्वारा जारी वारंट पर हाजिर होकर जेल गया। पर्चा नंबर-9 दिनांक 17-02-2021 को किता किया गया, जिसमें तेजवीर की पेशी हेतु बी वारंट तैयार किया गया। पर्चा नंबर-10 दिनांक 18-02-2021 को किता किया गया और बी वारंट दिनांकित 17-02-2021 को जिला गौतमबुद्धनगर में दाखिल किया गया। पर्चा नंबर-11 दिनांक 22-02-2021 को किता किया गया, जिसमें अपहृत गौरव का बयान अंतर्गत धारा-164 अंकित कराया गया। उक्त बयान का सारांश अंकित किया और तेजवीर अदालत में पेश नहीं हुआ। पर्चा नंबर-12 दिनांक 26-02-2021 को किता किया गया जिसमें पुनः वारंट जारी हुए। पर्चा नंबर-13 दिनांक 28-02-2021 को किता किया गया जिसमें प्रभारी फर्द गवाह निरीक्षक सुधीर कुमार त्यागी, निरीक्षक अखिलेश गौड़, एस0आई0 अजयदीप, एस0आई0 धीरज राठी, कां0 विकास कुमार, कां0 हरेन्द्र पुनिया, कां0 असलम, कां0 जितेन्द्र यादव, कां0 नीरज कुमार, कां0 वसीम, कां0 अभिषेक के बयानात अंकित किये गये। पर्चा नंबर-14 दिनांक 01-03-2021 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त तेजवीर को तलब कराकर उसका रिमांड बनवाया गया और उसे जेल में दाखिल किया। तत्पश्चात् उसके बयान लेने की अनुमति प्राप्त की गयी। मजीद बयान गौरव के अंकित किये गये। दुर्गाप्रसाद के भी बयान अंकित किये गये तथा मोबाईल नंबर-9759777358 व मोबाईल नंबर-8859482561 के संबंध में जानकारी की गयी तो उसने तस्दीक किया कि फोन करके तीस लाख रुपये गौरव को छोड़ने के लिए माँग की गयी थी। पर्चा नंबर-15 दिनांक 03-03-2021 को किता किया गया, जिसमें अभियुक्त तेजवीर के बयान अंकित किये गये। पर्चा नंबर-16 दिनांक 17-03-2021 को

किता किया गया और इसमें विवेचक ने अपना निष्कर्ष उल्लेखित करते हुए कहा कि गवाहान के बयानात और मुल्जिमान के बाबत आरोप अंतर्गत धारा-364ए, 328, 342 भा0द0सं0 बखूबी साबित होता है और उनका चालान जरिये आरोप पत्र 211/2021, धारा-364ए, 328, 342 भा0द0सं0 में मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रेषित किया गया।

7:- अभियुक्तगण देवेन्द्र, कालू उर्फ घनेन्द्र व राजकुमार उर्फ बल्लू से बरामदगी अपहृत के संबंध में असलाह बरामद हुए थे, जिनके आधार पर पृथक चिक एफ0आई0आर0 किता की गयीं। पृथक विवेचना की गयी और उन मुल्जिमान के विरुद्ध युक्ति-युक्त सबूत पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये।

8:- अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हुए। सत्र परीक्षण सं0-1266/2021 में अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, अन्नू, इकबाल, भारत, कोमल कुमारी, तेजवीर के विरुद्ध धारा-364ए, 328, 342 भारतीय दण्ड संहिता व सत्र परीक्षण सं0-1267/2021 में अभियुक्त देवेन्द्र तथा सत्र परीक्षण सं0-1268/2021 में अभियुक्त कालू उर्फ घनेन्द्र के विरुद्ध धारा-3/25 आयुध अधिनियम तथा सत्र परीक्षण सं0-1347/2021 में अभियुक्त राजकुमार उर्फ बल्लू के विरुद्ध धारा-4/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये, जिससे उन्होंने इंकार किया तथा विचारण की माँग की।

9:- चूँकि एक घटना और उनमें संलिप्त मुल्जिमान के संबंध होने के नाते उक्त बरामदगी जो अवैध असलाह की है, उक्त पर पंजीकृत अभियोग का विचारण एक साथ किया गया।

10:- अभियोजन की ओर से पी0डब्लू01 विजय सिंह वादी मुकदमा, पी0डब्लू02 गौरव कुमार, पी0डब्लू03 शत्रुधन यादव,

पी0डब्लू04 इंस्पैक्टर सुधीर कुमार, पी0डब्लू05 हैड कां0 मनोज कुमार, पी0डब्लू06 इंस्पैक्टर ब्रजकिशोर, पी0डब्लू07 उप-निरीक्षक तफसील अहमद, पी0डब्लू08 हैड कां0 मनोज कुमार को बतौर साक्षी अभियोजन द्वारा परीक्षित कराया गया। तत्पश्चात् अभियोजन ने अपना साक्ष्य का अवसर समाप्त किया।

प्रदर्श सूची

1	तहरीर	प्रदर्श क-1
2	फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी	प्रदर्श क-2
3	चिक एफ0आई0आर0 364ए भा0द0सं0	प्रदर्श क-3
4	जी0डी0 कायमी 364ए भा0द0सं0	प्रदर्श क-4
5	नक्शा नजरी	प्रदर्श क-5
6	आरोप पत्र	प्रदर्श क-6
7	नक्शा नजरी बाबत अभियुक्त कालू	प्रदर्श क-7
8	नक्शा नजरी बाबत अभियुक्त देवेन्द्र	प्रदर्श क-8
9	नक्शा नजरी बाबत अभियुक्त राजकुमार	प्रदर्श क-9
10	आरोप पत्र धारा-4/25 आयुध अधि0 अभियुक्त राजकुमार	प्रदर्श क-10
11	डी0एम0 अनुमति बाबत अभियुक्त कालू	प्रदर्श क-11
12	आरोप पत्र 25 आयुध अधि0 बाबत अभियुक्त कालू	प्रदर्श क-12
13	डी0एम0 अनुमति बाबत अभियुक्त देवेन्द्र	प्रदर्श क-13
14	आरोप पत्र 25 आयुध अधि0 बाबत अभियुक्त देवेन्द्र	प्रदर्श क-14

11:- तत्पश्चात् मुल्जिमान के बयान अंतर्गत धारा-313 जाब्ला फौजदारी अंकित किये गये। मुल्जिमान ने अपने बयानात में अपराध से

इंकार किया और बयानात को सही नहीं कहा बल्कि यह कहा कि उनको फंसाया गया है।

12:— मुल्जिमान को सफाई साक्ष्य का अवसर दिया गया तो अभियुक्त तेजवीर की ओर से धारा-233 (1) जाब्ता फौजदारी तथा इसी प्रकार से अभियुक्त राजकुमार, देवेन्द्र, भारत, कोमल की ओर से लिखित प्रतिवेदन दाखिल किये और डी0डब्लू01 विजेन्द्र सिंह, डी0डब्लू02 श्रीमती बीना, डी0डब्लू03 जितेन्द्र सिरोही, डी0डब्लू04 विपुल राज को भी परीक्षित कराया गया है।

13:— अभियोजन की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के अलावा वादी ने भी अपने अधिवक्ता नियुक्त किये, जो अपर शासकीय अधिवक्ता की सहायता निमित्त हैं। बचाव पक्ष की ओर से भी अधिवक्ता नियुक्त किये गये और उन्होंने अपने तर्क रखे।

14:— अभियोजन की ओर से यह तर्क रखा गया कि घटना वास्तविक है और मुल्जिम राजकुमार पड़ौसी है, टाईल्स का व्यवसाय है। सी0सी0टी0वी0 में ले जाना एकदम साबित है। चूँकि पूर्व में किसी पर आशंका नहीं थी, इसलिए तहरीर अज्ञात में दी गयी, जो पी0डब्लू01 ने समुचित रूप से साबित किया है। पी0डब्लू02 अपहृत है, जो मामले का मुख्य गवाह है। उसने अपने साथ जो हुआ, जिसने किया, उनको पहचाना और जाना। उक्त बयानात अकाट्य हैं तथा अन्य पुलिस कर्मी जिन्होंने अपहृत को बरामद किया था और मुल्जिमान की गिरफ्तारी तत्समय की थी, उन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया है। इस प्रकार से कथानक संदेह के परे साबित है। अभियोजन की सहायता कर रहे अन्य विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा कि प्रस्तुत मामले में गवाहान से जो जिरह है और उसमें जो प्रश्न किये गये, वह सूचक प्रश्न थे और उन सुझावात्मक तथ्यों से अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध ही अपराध की

पुष्टि कर ली है। इस प्रकार से मामले में कोई दोष नहीं रह जाता और दोषसिद्धि के अधिकारी हैं। बरामदगी दिनांक 04-02-2022 और पी0डब्लू02 के द्वारा दिनांक 03-02-2022 की तिथि को भी स्पष्ट कर कहा कि यह कोई अनहोनी की बात नहीं है क्योंकि तत्समय अपहृत की दिमागी तबीयत खराब रहती है, वह बंधन में रहता है, इसलिए उक्त बात वह कह सकता है। जहाँ तक अदालत में तारीख का प्रश्न है तो वह अनुचित नहीं है, बल्कि 3 और 4 का भ्रम सा है और उक्त के आधार पर यह कदापि आशय नहीं लगाया जा सकता कि घटना बनावटी है। किमिनल अपील सं0-39/1984, राकेश कुमार उर्फ बल्ली बनाम हरियाणा राज्य पेज-386 और 2002 (45) ए0सी0सी0 360 एस0सी0 तरुण बोरा उर्फ आलोक हजारिका बनाम असम राज्य में प्रतिपादित सिद्धांत को उल्लेखित करते हुए बताया कि इन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सूचक प्रश्न को पूर्ण रूप से सकारात्मक किस प्रकार से माना यह उल्लेखित किया गया है, इसलिए प्रस्तुत मामले में गवाहान के बयानात का उल्लेख करते हुए बताया कि इनसे जो पूछा गया, उससे घटना साबित है और उसका कोई लाभ मुल्जिम को नहीं दिया जा सकता।

15:- बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निरंतर अपने तर्क रखे और कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एन्टी टाईम और एन्टी डेट है। 364 भारतीय दण्ड संहिता में मामला बिना किसी उचित परीक्षण के कैसे दर्ज कर लिया, यह कदापि स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि फिरौती या हत्या करने की बात तहरीर में नहीं है। तब धारा-364 भा0द0सं0 में मुकदमा पंजीकृत होना स्वयं में स्पष्ट करता है कि किस प्रकार से पुलिस कार्यवाही कर रही थी। इसके अलावा तर्क रखा कि पी0डब्लू02 ने दिनांक 03-02-2021 को बरामदगी तथा 08:03 बजे

थाना कोतवाली नगर में अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित किया और यह भी कहा कि उसने बरामदगी वहाँ देखी थी, तब पुलिस के और गवाह जो दिनांक 04-02-2021 को बरामदगी की बात करते हैं, यह विरोधाभास के साथ-साथ अविश्वसनीय है, क्योंकि यदि दिनांक 03-02-2021 को जो बरामदगी हुई, उसका कोई मामला अदालत में नहीं है और दिनांक 04-02-2021 को जो बरामदगी हुई, उसका मामला अदालत में है, जिसको पी0डब्लू02 स्वीकार नहीं करता है। ऐसा घोर विरोधाभास होने के कारण अभियोजन कथानक असफल होता है। इसके अलावा यह भी तर्क रखा कि किसी गवाह के बयान को पूर्णतया में पढ़ा और देखा जायेगा, आंशिक भाग लेकर कोई आशय नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अभियोजन द्वारा जो तर्क रखे गये वह अनुचित हैं। नक्शा नजरी जो मौके पर बना है, वह वास्तविक नहीं है। इकबाल का मकान दिखाया गया, उस मकान के कागजात नहीं हैं। जहाँ इतने दिन कमरे में बंद रखना दिखाया गया, वह किसी सामान्य प्रसाधन से विहीन है। तब यह संभव नहीं है कि पी0डब्लू02 खाना, पीना और नित्यक्रम करना वह भी मुल्जिमान की उपस्थिति में संभव नहीं है। जो कथित नशीला पदार्थ देने का प्रश्न है, उसके संबंध में अभियोजन का साक्ष्य नहीं आया न ही कोई मेडिकल है। सी0डी0 जो है, वह टूटी हुई है, जिसे अदालत ने रेखांकित किया है। जो महिलायें हैं, उनकी कोई वास्तविक भूमिका नहीं है। जिस मुल्जिम को भागना बताया गया, जब उस कमरे में कोई खिड़की, दरवाजा इतना पर्याप्त नहीं है कि कोई उसमें से निकल सकता है, तब उसकी दीवार फांदकर जाना संभावना के विपरीत है। जिस जगह से अपहरण करना बताया गया और जहाँ ले जाना बताया गया, उस जगह पर आवाजाही है और वहाँ पर अपहृत ने अपने को बचाने के लिए कोई आवाज नहीं

लगाना संदिग्ध है। यह पूरा मामला मुल्जिम राजकुमार और उसकी सम्पत्ति को हड़पने के लिए रचा बसा गया है, क्योंकि वादी टाईल्स का काम करता है और उसे गोदाम की जरूरत थी और वह अपने घर के पास जगह चाहता था, जिसमें राजकुमार सीधे तौर पर शामिल है। जो फर्द के गवाह अभियोजन ने सुधीर त्यागी और शत्रुघन यादव को पेश किया है, उनके बयान आपस में विरोधाभासी हैं। ऐसी स्थिति में द टना साबित नहीं होती है। अभियोजन का अपना केस संदेह के परे साबित करने का दायित्व पूर्णतया विफल है और अभियुक्तगण दोषमुक्ति के अधिकारी हैं।

16:— अभियोजन की ओर से जवाब आया कि मुल्जिमान के नाम-पते हैं, उसको देख लिया जाये तो उससे स्पष्ट हो जायेगा कि यह झूठ नहीं हो सकता।

17:— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

18:— इस सत्र विचारण हेतु निम्नलिखित बिन्दु विरचित किये जाते हैं:—

1— क्या एफ0आई0आर0 एन्टी टाईम और एन्टी डेट है?

बिन्दु सं0-1:—

19:— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस ने जानबूझकर घोर लापरवाही कही है और सही प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं लिखी तथा यह भी कहा कि 364 भारतीय दण्ड संहिता में मामला बिना किसी उचित परीक्षण के कैसे दर्ज कर लिया तथा यह भी आरोप है कि अनुचित और प्रभाव में आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गयी।

20:— अभियोजन का तर्क यह है कि कहना गलत है कि एफ0आई0आर0 अनुचित है, क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं की गयी।

21:— उपरोक्त बिन्दु और तर्क के संबंध में तहरीर प्रदर्श क-1, चिक, कायमी जी0डी0, वादी पी0डब्लू01 तथा लेखक और विवेचक या प्रभारी अधिकारी की भूमिका को देखना होता है। वादी अपनी तहरीर प्रदर्श क-1 में यह कहता है कि उसका पुत्र गौरव दिनांक 01-02-2021 को सुबह 09:26 बजे सुबह दुकान के लिए निकला था, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा, वह तभी से लापता है। उसका फोन आया तो उसने बताया कि वह कस्टमर से बात कर रहा है और उसी समय पुनः 10 मिनट बाद फोन आया, जिसमें उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज तथा मारपीट होना लग रहा था और ऐसी आशंका है कि उसका अपहरण कर हत्या न कर दी गयी हो। इसी तथ्य को पी0डब्लू01 ने अपने बयानात में स्पष्ट किया है। प्रस्तुत मामले की चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क-3 दिनांक 01-02-2021 को समय 05:56 अपरान्ह में दर्ज की गयी और उसका तस्करा कायमी जी0डी0 नंबर-4 में किया गया। लेखक पी0डब्लू05 कां0 मनोज कुमार ने अपने बयानात में उक्त तथ्य को तस्दीक किया। चिक एफ0आई0आर0 अंतर्गत धारा-364 भा0द0सं0 विरुद्ध अज्ञात दर्ज की गयी। चूँकि तहरीर किसी व्यक्ति के नाम से नहीं है। अनहोनी की आशंका पर आधारित है और जो अपहरण कर हत्या की आशंका है। टेलीफोन कॉल पर मारपीट, चीखना-चिल्लाने के संबंध में वादी की प्राथमिक जानकारी है। घर से अपहृत गौरव समय 09:26 बजे दिनांक 01-02-2021 को निकला और वह दुकान पर नहीं पहुँचा। यह भी तथ्य पी0डब्लू01 की व्यक्तिगत जानकारी में है। जो अभियुक्तगण के

विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ है तथा जिनका विचारण हो रहा है, उनके स्वाभाविक होने या आशंकित होने के बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं है। सामान्यतः और विधिक प्रावधान यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संज्ञेय अपराध की दर्ज होने का आशय जो होता है कि पुलिस कार्यवाही धारा-154 जाबता फौजदारी के अंतर्गत युक्ति-युक्त आरंभ करे। इस कारण से यह प्रश्न करना कि यह दिखावटी, साजिश, अनुचित तौर पर लिखी और बतायी गयी, यह तर्क इस आधार पर उचित नहीं होता है।

22:- जो विशेष रूप से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा-364 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जो नहीं बनता था। इस तर्क के संबंध में यह कहना है कि कोई कार्य या कार्य का लोप जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित है, वह अपराध के तौर पर देखा जाता है। उक्त के अन्यत्र न तो किसी कार्य या कार्य के लोप को अपराध के तौर पर नहीं देखा जाता। धारा-154 जाबता फौजदारी विशिष्ट अपराध के कार्य या लोप को उल्लेखित नहीं करती, बल्कि वह यह कहती है कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर पुलिस का दायित्व क्या होगा। इस कारण से यदि धारा का उल्लेख तार्किक तौर पर गलत भी माना जाये, तब धारा-154 जाबता फौजदारी के अंतर्गत कितना की गयी चिक एफ0आई0आर0 को उसके वास्तविक मूल्य से नहीं हटाया जा सकता। फिर भी अपराध के संबंध में पड़ताल की आवश्यकता है। धारा-364 भारतीय दण्ड संहिता में अपहरण और व्यपहरण कर किसी व्यक्ति को हत्या कर सकना या उसे हत्या के भयाक्रान्त में रखा जाये तो वह दण्डनीय होगा। धारा-364 भा0द0सं0 व्यपहरण को परिभाषित करती है कि कोई बलपूर्वक अनुचित उद्देश्य के लिए एक स्थान से

किसी व्यक्ति को हटाता है तो वह व्यपहरण होगा। प्रस्तुत मामले में अपहृत गौरव दिनांक 01-02-2021 को सुबह 09:26 बजे घर से निकलता है और समय 10:05 और फिर पुनः उसके 10 मिनट बाद दो फोन कॉल से वार्ता होती है। लेकिन वह बतायी गयी दुकान पर अथवा स्थान पर होना नहीं पाया गया। इसके आधार पर यह कहा गया कि किसी ने उसको जबरन उठाकर नहीं ले गया, तब धारा-364 भा0द0सं0 में कैसे मामला पंजीकृत हो गया। गौरव अपने घर से निकला और दुकान पर नहीं पहुँचा, यह तथ्य विवादित नहीं है। गौरव के इसी न पहुँचने के तथ्य को दूसरे तथ्य से परिपुष्टि यह होती है कि उसने जब फोन किया तो उसके चीखने-चिल्लाने और मारपीट की आवाज आयी। यह अग्रेता कड़ी को पूर्ण कर देता है कि गौरव अपनी दुकान पर नहीं पहुँचा और जहाँ उसे होना चाहिए था, वहाँ वह है तथा जहाँ वह है, वह भयाक्रान्त स्थिति में है, अज्ञान लोगों के बीच में है। उसके साथ सामान्य सद्भाविक व्यवहार नहीं हो रहा है, बल्कि चीखने और चिल्लाने का वातावरण भयाक्रान्त है और वादी पी0डब्लू01 विजय सिंह उसका पिता है। उसकी आशंका गौरव के गमन के सादृश्य पूर्ण रूप से स्थापित होता है कि यह अपहरण ही है। अब यह कहना कि कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, जिसने उसे हटाया हो या ले गया हो, तब 364 भा0द0सं0 में कैसे एफ0आई0आर0 लिखी जा सकती है, यह तक अनुचित है। क्योंकि परिस्थिति स्पष्ट कर रही है कि वह अपने से अनुचित स्थान पर नहीं गया और उसे ले जाया गया। जो फोन कॉल पर वार्ता है, वह मृत्यु के भयाक्रान्त के वातावरण की है तथा इस स्थिति में धारा-364 भारतीय दण्ड संहिता के अव्यव पूर्ण रूप से तहरीर प्रदर्श क-1 में परिलक्षित होते हैं। इस कारण से उक्त मामला धारा-364 में पंजीकृत किया गया, जो अनुचित नहीं है।

23:— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने थाने की कार्यवाही पर भी प्रश्न किये कि दिनांक 01-02-2021 समय 09:26 बजे सुबह की घटना को यदि सांकेतिक तौर पर मान भी लिया जाये तो दिनांक 01-02-2021 समय 05:56 बजे शाम को एफ0आई0आर0 पंजीकृत होना यह दर्शाता है कि कैसा क्या किया जा रहा था और कैसा क्या बनाया जा रहा था। यदि इस तर्क को माना जाये कि यह उचित है तो अपहृत गौरव का समय 05:26 बजे शाम तक बरामद हो जाना चाहिए था या मिल जाना चाहिए था या उसके आसपास मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिला तथा इस दौरान किसी को भी अपने अनुचित मंतव्य के लिए नामित नहीं किया जा सकता है वह भी नहीं हुआ। तीसरा अपने लिए और स्वजन की तलाश एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके उलट पुलिस की निष्क्रियता इसी प्रकार की है कि कहने को तो उसे धारा-154 जाबता फौजदारी के प्रावधान अनिवार्य रूप से पालन योग्य हैं, परंतु उसमें वह सही, गलत सोचती है और आशंकित होकर कार्यवाही करती है। यदि इस मामले में ऐसा माना जाये कि ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन यह पुलिस की सामान्य दशा है और इस मामले में उक्त प्रावधान के बाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक से अधिक मामलों में वृहद् संवैधानिक पीठ ने भी स्पष्ट किया है कि जब भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिले और तो वह दर्ज करने से इंकार न करे। फिर भी प्रस्तुत मामले के तथ्यों को देखा जाये तो पी0डब्लू01 ने कहा कि वह थाने गया और तहरीर दी। पी0डब्लू05 ने कहा कि जब वादी आया तो उसने तहरीर के आधार पर चिक कित्ता की थी और इसी आधार पर पुलिस ने अग्रेतर कार्यवाही की, इसलिए जो विलम्ब का उल्लेख किया जा रहा है कि घटना के तत्काल पश्चात् ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी, यह

तार्किक नहीं है। पुलिस ने तब कार्यवाही की जब उसे तहरीर प्रदर्शक-1 प्राप्त करायी गयी। उसने उसके आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शक-3 किता की, यह कोई अनुचित और अनहोनी नहीं है।

24:— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का इसके अलावा यह भी तर्क है कि जो चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्शक-3 है, उसमें पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया और यह कभी नहीं पाया जाता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति वादी को दी गयी हो और उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा-158 जाब्ता फौजदारी के अंतर्गत युक्ति-युक्त समय पर न्यायालय में पहुँचा दी गयी हो। यह जो विलम्ब किया जा रहा है, यह तन्त्र का अनुचित गठबंधन को दर्शाता है तथा इसी आधार पर अभियोजन केस खंडित होता है। चिक प्रदर्शक-3 में प्रति प्राप्त कराये जाने के स्थान पर वादी के हस्ताक्षर नहीं हैं। जी0डी0 कायमी प्रदर्शक-4 में उल्लेख है कि 'वादी को चिक की प्रति दी गयी'। यद्यपि कि पुलिस अथवा किसी को भी ऐसी कोई अधिकारिता नहीं है कि यथा नियम या विधि को वह अपने से माने या न माने या उसकी जगह अपने नियम प्रस्तावित कर ले। चिक की प्रति वादी को देने के स्थान पर वादी के हस्ताक्षर नहीं हैं और जी0डी0 में जो उल्लेख है, उससे यह स्पष्ट होता है कि सब कुछ पुलिस अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि जी0डी0 पर कोई हस्ताक्षर नहीं बनवाये जाते हैं और उसके लिख देने से कि 'दी गयी' पर्याप्त नियम प्रतिस्थापित नहीं होता या पूर्ति नहीं होती। पुलिस की कारगुजारी के आलोचनात्मक पक्ष को देखने की आवश्यकता नहीं है और वह इस प्रकार के खामी से स्पष्ट भी होती है और इस खामी को अभियोजन की शाबाशी के तौर पर नहीं देखा जा सकता और न ही उसे उत्साहित किया जा सकता है।

25:— धारा-158 जाब्ता फौजदारी में पुलिस अधिकारी के माध्यम

से पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जावेगी और मजिस्ट्रेट को उक्त चिक प्रदर्श क-3 दिनोंक 05-02-2021 को प्राप्त हुई। शहरी क्षेत्र, डाक की समुचित और पृथक त्वरित व्यवस्था के बावजूद यदि चार दिन बाद चिक एफ0आई0आर0 मजिस्ट्रेट को भेजी जा रही है तो भी पुलिस की अच्छाई के तौर पर नहीं देखा जाता बल्कि हमेशा प्रावधान धारा-154, 157, 158 जाब्ता फौजदारी का प्रश्न है कि पुलिस रिपोर्ट तत्काल अपने निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजी जावेगी। उससे इतना रहता है कि मजिस्ट्रेट उक्त पर निगरानी कर सकेगा तथा किसी प्रकार के विलम्ब के आधार पर कोई अनुचित कार्य को रोकेगा। इस संबंध में यह सब होने के बावजूद यह अभियुक्त की भी जिम्मेदारी है कि वह स्पष्ट करे कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो किस प्रकार से उसका पक्ष प्रभावित हो गया अथवा किस प्रकार से तथ्यों से छेड़छाड़ की गयी। इस तथ्य के संबंध में जो भी उसकी प्रतिरक्षा की योजना है तथा बयान 313 जाब्ता फौजदारी है, वह जो जवाब उसने दाखिल किया उनसे यह प्रतिकूल रूप से साबित नहीं होता है कि इस पुलिस नाकामी से उसके केस में उसके विपरीत प्रतिकूल कार्यवाही की गयी हो। 2013 ए0आई0आर0 एस0सी0डब्लू0 2456 रतिराम बनाम मध्यप्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रति भेजने का उद्देश्य यह है कि किसी प्रकार का संदेह प्रथम सूचना रिपोर्ट में न रहे और इस आधार पर न्यायालय कोई निष्कर्ष देने के लिए विवश हो। परंतु यदि न्यायालय यह मानता है कि वह अभियोजन कथानक और गवाहान को सत्य पाता है तो यह कदापि अभियोजन के विपरीत न हो सकेगा। इसी संबंध में 2006 सी0आर0एल0जे0 957 और 2006 सी0आर0एल0जे0 2851 में विलम्ब को स्पष्ट करने की जिम्मेदारी अभियोजन को दी गई है। इस समय के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए

प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथानक को इस आधार पर दूषित पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता, जब तक कि इस तथ्य के संबंध में अन्य गवाह की विश्वसनीयता तथा मामले की अन्य परिस्थिति का समुचित रूप से विश्लेषण न किया जाये। लेकिन इतना तो अवश्य है कि सतर्कता के साथ कथानक को देखा जाना चाहिए। तदानुसार इस प्रकार के तर्क स्वीकार होने योग्य नहीं हैं और अभियुक्तगण के विरुद्ध यह बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

2:- क्या प्रस्तुत तात्विक साक्षी विश्वसनीय हैं?

बिन्दु सं0-2:-

26:- पी0डब्लू01 वादी विजय सिंह ने अपने बयानात में बताया कि उसकी चांदपुर रोड बुलन्दशहर गुजरात टाईल्स की दुकान है, जिस पर उसका पुत्र गौरव बैठता है और वह भी उसके साथ बैठता है। दिनांक 01-02-2021 समय 09:30 बजे उसका पुत्र गौरव दुकान के लिए गया, लेकिन वह दुकान पर नहीं पहुँचा तो उसको समय 10:05 बजे सुबह गौरव के मोबाईल नंबर-8859482561 पर फोन किया तो उसने अभी बात करने को कहकर काट दिया। फिर उसके 10 मिनट बाद उसने वादी के मोबाईल पर फोन किया। उक्त फोन से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी और गौरव का फोन कट गया। इसके पश्चात् उक्त फोन स्विच ऑफ आने लगा। आशंकित होकर उसकी तलाश तथा घरवालों को बातें बतायी, फिर थाने में तहरीर लिखकर दी। उक्त तहरीर प्रदर्शक-1 उसके लेख व हस्ताक्षर में है। गौरव पैदल दुकान पर जाता था। उस दिन भी गया था। कुछ समय बाद दुर्गाप्रसाद, निवासी चांदपुर का 06:41 बजे शाम तीन तारीख को फोन आया था। उक्त फोन गौरव के फोन से था, जिस पर दुर्गाप्रसाद ने बताया कि भागदौड़ बंद, शान्त घर में बैठ जाओ और

तीस लाख रूपये का इंतजाम करो। गौरव की बरामदगी के बाद बताया था कि तेजवीर ने कॉल की थी।

27:— उपरोक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कहा कि “वह देवेन्द्र मुल्जिम को घटना से पहले नहीं जानता था। दिनांक 01-02-2021 को वह अपने गोलिया गाँव से बुलन्दशहर आ गया था। आने का समय याद नहीं है। पुलिस के पास दिनांक 01-02-2021 को गया था। उक्त समय याद नहीं है। दिनांक 01-02-2021 समय 10:05 बजे कॉल करने पर एहसास हो गया था कि उसके बेटे के साथ अनहोनी हो गयी है। तत्समय पुलिस के पास इसलिए नहीं गया कि उसको ढूँढ रहा था। वह सबसे पहले कोतवाली नगर, बुलन्दशहर गया, जहाँ लिखित शिकायत पुलिस को की। उस समय तक पुलिस को घटना के विवरण की जानकारी नहीं थी। घटना के बाद गौरव को बरामदगी के समय पुलिस के साथ नहीं गया था। पुलिस ने दिनांक 04-02-2021 को थाने बुलाया था। उक्त समय ध्यान नहीं है। रात को बरामदगी हुई थी और सुबह कोतवाली नगर बुलाया था। गौरव थाने में किस समय मिला था, उक्त समय ध्यान नहीं है। पुलिस ने मेरे मोबाईल नंबर— 8273897226 और 9359576243 को कब्जे में नहीं लिया। मुझे याद नहीं है कि उसने किस मोबाईल नंबर से गौरव से बात की थी। घर पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा है। यह याद नहीं है कि सी0सी0टी0वी0 की डी0वीआर0 किस दिन पुलिस ने कब्जे में ली थी। मैं। उसको अंदाज से नहीं बता सकता”।

28:— सहअभियुक्त तेजवीर की प्रतिपरीक्षा में आगे उक्त साक्षी पी0डब्लू01 ने बताया कि “मुझे 10:00 बजे पता चल गया था कि बेटे के साथ अनहोनी हो गयी। उसका किसी लड़के से लड़ाई—झगड़ा नहीं था। उसके ढूँढने—ढाँढने में समय लगा इसलिए पुलिस को सूचना देने

में शाम हो गयी। शाम जब तक मैंने पुलिस को सूचना दी, तब तक मुझे यह पता नहीं चला था कि मेरे बेटे का कोई अपहरण हो गया और न ही तब तक कोई फिरौती माँगी थी। घटना वाले दिन शाम तक किसी पड़ौसी ने नहीं बताया कि गौरव का अपहरण हो गया। वह अपनी दुकान पर पहुँचा या नहीं, चूँकि मुझे यह कोई जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने दरोगा को किसी नक्शा नजरी के बारे में नहीं बताया था। यदि दरोगा ने यह लिखा हो कि मेरे बताने पर नक्शा नजरी बनाया तो यह बात गलत है। यह बात सही है कि मैंने अपनी एफ0आई0आर0 में यह लिखवाया है कि जब मैंने अपने पुत्र से फोन पर बात की थी तो उसने कहा था कि मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। मैंने गौरव द्वारा कस्टमर से बात करने की बात दरोगाजी को बतायी थी। उन्होंने मेरे बयानों में क्यों नहीं लिखी, यह नहीं बता सकता। तेजवीर से कोई जान-पहचान नहीं है और वह नहीं बता सकता कि वह दिल्ली में डी0टी0सी0 में संविदा पर चालक है। वह यह भी नहीं बता सकता कि कि उसका कोई मकान बुलन्दशहर में है या नहीं और उसने पहली बार तेजवीर को अदालत में देखा है। स्वयं से कहा कि यह मेरे पड़ौसी राजकुमार उर्फ बब्लू पुत्र झम्मन सिंह के यहाँ आता-जाता था, वहीं से मैंने देखा था”।

29:— पुनः अन्य मुल्जिमान की ओर से प्रतिपरीक्षा की गयी और उसमें कहा कि “उसकी दुकान चांदपुर रोड पर है, गोदाम घर पर है तथा अन्यत्र नहीं है। समय 10:05 बजे जब उसने बेटे के मोबाईल पर बात की तो बताया था कि वह किसी कस्टमर से बात कर रहा है। उसके 10 मिनट बाद गौरव की कॉल आयी तो उसके पीछे से जोर-जोर की आवाज चीखने-चिल्लाने की आ रही थी। मुझे समय याद नहीं कि कब थाने एफ0आई0आर0 लिखाने गया। मैं दुकान

से तहरीर लिखकर थाने गया था। मैंने एफ0आई0आर0 में यह बात कि मेरा लड़का धीरे-धीरे बोल रहा था, याद नहीं है यह लिखा हो। मैं घटना के पहले से राजकुमार उर्फ बब्लू, कोमल कुमारी, भरत को जानता हूँ। यह मेरे पड़ोसी हैं। 12-14 साल से इन लोगों को जानता हूँ। इन लोगों के घर पर परचून की दुकान है। कोमल इस दुकान को नहीं चलाती है बल्कि राजकुमार और उसका लड़का भरत चलाता है। यह बात सही है कि तीनों लोग एक ही मकान में साथ-साथ रहते हैं और उसी मकान के आगे दुकान चलाते हैं। मेरे व राजकुमार के मकान के बीच दुर्गाप्रसाद का मकान और दुकान फिर भैंसों की डेरी, एक प्लॉट खाली और उसके बाद राजकुमार का मकान है। दुर्गाप्रसाद दूर के मौसा हैं। घटना के समय सी0सी0टी0वी0 कैमरे घर पर लगे हैं और कैमरे की फुटेज पुलिस ने ली थी। न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न पर गवाह ने बताया कि नक्शा नजरी है, परंतु कहाँ का है, यह नहीं बता सकता”।

30:- यह साक्षी वादी है और तहरीर प्रदर्श क-1 को तस्दीक किया है तथा इसके बताने के अनुसार उसके पुत्र गौरव घर से दुकान के लिए पैदल गया, परंतु दुकान नहीं पहुँचा और पैदल जाने की आदत के संबंध में कहा कि वह दुकान पर हर रोज पैदल जाता था। दुकान का कारोबार में उसका पुत्र तथा वह बैठते थे। उसके व्यापार के संबंध में भी स्पष्ट किया कि गुजरात टाईल्स के नाम से दुकान थी। राजकुमार, भरत और उसकी पत्नी को तस्दीक किया कि इनके मकानात उसके मकान के पास होने के नाते उनको 12-14 साल से जानता है। 10:05 बजे गौरव से बात होने पर उसने कस्टमर से बात होने की बात बतायी और 10 मिनट बाद चीखने-चिल्लाने की आवाज उसके फोन से सुनायी दी। यह तथ्य दूसरे तथ्य पर आधारित है, जिसे

पी0डब्लू02 के साथ देखा जा सकता है। समय 09:30 बजे घर से निकलना, 10:05 बजे कॉल करना, उसके 10 मिनट बाद फिर कॉल होना, जिस मोबाईल पर कॉल की गयी वह गौरव का मोबाईल नंबर— 8859482561 है, जिन नंबरान से उसने कॉल की वह अपने बताये और वह नंबर— 8273897226 व 9359576243 है। यह नंबरान वादी के पुलिस को सुपुर्द नहीं किये गये और न ही उसने ऐसा स्वीकार किया कि उक्त नंबर/मोबाईल पुलिस को दिये हों। परंतु यह कहना कि उसे पता नहीं कि इन दो नंबरान में से उसने किस नंबर पर गौरव के मोबाईल पर कॉल की थी, इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। घर पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे होने तथा डी0वी0आर0 पुलिस के द्वारा प्राप्त करने को तस्दीक करता है, परंतु किस तारीख, किस दिनांक, किस समय पुलिस को उसने ऐसे इलैक्टॉनिक सामान कब्जे में दिये, यह तथ्य स्पष्ट नहीं करता और यह तथ्य भी अन्य पुलिस साक्षी पर आधारित भी हैं। नक्शा नजरी घटनास्थल यानि कि घर आदि को देखा, परंतु वह सही है या गलत या अपने द्वारा बनवाये जाने से स्पष्ट इंकार है, इसलिए उक्त नक्शा नजरी के संबंध में यह गवाह का तथ्य साबित नहीं है। अपहृत की बरामदगी में पुलिस टीम के साथ नहीं था, बल्कि दिनांक 04-02-2021 को कोतवाली नगर पुलिस के बुलाने पर वह कोतवाली नगर गया, तब उसे गौरव मिला इसलिए बरामदगी के बाबत भी यह गवाह प्रत्यक्षतः नहीं है, परंतु इतना अवश्य है कि दिनांक 01-02-2021 को गौरव के जाने के पश्चात् 04-02-2021 को गौरव को पुलिस अभिरक्षा में देखने और उससे मिलने तथा उसकी सुपुर्दगी लेना अवश्य ही क्रम को स्थापित करता है। अनहोनी गौरव के साथ होने की बात वह सुबह से मान लेता है, जबकि घटना की रिपोर्ट 05 बजकर 56 मिनट पर शाम को दर्ज करायी जाती है। इसका उसने

स्पष्टीकरण दिया कि उसको ढूँढता और तलाश करता रहा और इसके पहले उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। इस साक्षी के इस आचरण को स्वाभाविक, मानवीय, पुत्र प्रेम और अपनी समझ तथा पुलिस की नकारात्मक छवि को ध्यान में रखते हुए तार्किक ठहराया जा सकता है कि यह संभव हो कि पहले खुद खोजा जाये, फिर सही बात बतायी जाये। परंतु विधि इस प्रकार की शंकाओं पर आधारित नहीं होती है, बल्कि तथ्य के लिए सबूत की आवश्यकता बताती है तो उक्त बाबत तहरीर प्रदर्श क-1 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत है, तब उसके इस आचरण की पुष्टि हो जाती है कि वह अपने पुत्र की तलाश में था। फिरौती के संबंध में कोई कॉल उसे सीधे तौर पर नहीं आयी न ही गौरव ने फिरौती के संबंध में कॉल पर कोई सूचना दी। जो सूचना फिरौती के बाबत दी, उसके लिए प्रत्यक्षतः गवाह दुर्गाप्रसाद होते हैं, जिसे अभियोजन ने साबित नहीं कराया, इसलिए फिरौती के संबंध में कोई भी तथ्य को इस गवाह से साबित कराया जाना पर्याप्त नहीं है। अन्यत्र जो प्रश्न किये गये गौरव की आवाज धीरे-धीरे होना अथवा तेज होना, अनहोनी पहले पता चल जाना, फिर शाम को पुलिस थाने में बताना, नक्शा नजरी विवेचक द्वारा वादी की निशानदेही पर बनाना, उसको देखकर इंकार करना, मोबाईल फोन की पुलिस की सुपुर्दगी अथवा इस संबंध में सी0डी0आर0 का कोई विश्लेषण करना, तेजवीर के मकान, दुकान का बुलन्दशहर में न होना अथवा उसके किसी कार्य के दिल्ली में करने की भी जानकारी न होने से तात्विक भिन्नता के तौर पर मानकर अविश्वसनीय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पुलिस का कार्य करने का नजरिया अलग प्रकार का है, उसके लिए वादी को दोषी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से यह साक्षी विश्वसनीयता की श्रेणी में रहते हुए कुछ तथ्यों के बाबत परिपुष्टि हेतु

अन्य साक्ष्य पर आधारित होता है।

31:— पी0डब्लू02 गौरव कुमार जो अपहृत है, जिसे आगे विशेष साक्षी कहा जावेगा, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि “वह दिनांक 01-02-2021 की सुबह 09:30 बजे घर से दुकान गुजरात टाईल्स पर रोजाना की तरह पैदल निकला था। वह राजकुमार की दुकान पर 200 रुपये खुलवाने के लिए पहुँचा। वहाँ पर राजकुमार व उसका लड़का भरत मौजूद था। उनसे 200/- रुपये खुलवाकर राजकुमार ने उससे तसवीर वाली टाईल्स बनवाने की जानकारी लेने लगा। तभी उसके घर की तरफ से नीले रंग की बैलेनो कार आयी। उसमें चार आदमी बैठे थे। राजकुमार ने उसका मोबाईल नंबर ले लिया। गाड़ी में बैठे चार व्यक्ति इकबाल, तेजवीर, देवेन्द्र, कालू थे। उक्त गाड़ी उसके पास आकर रूकी। उनको वह पहले से नहीं जानता था। परंतु घटना के समय यह लोग एक-दूसरे के नाम ले रहे थे। कार में सवार व्यक्ति ने दुकान गुजरात टाईल्स का पता पूछा और वह दुकान का पता बता रहा था तो राजकुमार ने कहा कि यह गुजरात टाईल्स के मालिक हैं और राजकुमार ने यह भी कहा कि इनके साथ गाड़ी में बैठकर चले जाये तो उसने कहा कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा। तभी उसके पिता का फोन आया तो उसने कस्टमर से बात कहकर काट दिया तथा गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठे इकबाल ने उससे कहा कि उसे उल्टी आती है, इसलिए उसे खिड़की की तरफ बिठा लो और इस प्रकार से विशेष साक्षी को बीच में बिठा लिया। उक्त गाड़ी चांदपुर बम्बे पहुँची तो कालू ने कहा कि एक लेबर के आदमी को भूड़ चौराहे से लेना है तथा गाड़ी दायें ओर से बायीं ओर तेजी से मुड़ गयी। इसका जब विरोध किया और पिता को फोन लगाया तो इन लोगों ने बात नहीं करने दी तथा दबोच लिया, जिससे

उसकी चीख निकल गयी और वह पिताजी से बात नहीं कर पाया। उसे कार में दबोचकर नहर पर लेकर गये और नहर पर ले जाकर कार में बैठे व्यक्तियों ने जबरन कट्टा व चाकू दिखाकर नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कमरे में बंद था। वहाँ पर कार में बैठे चारों व्यक्ति इकबाल, तेजवीर, देवेन्द्र और कालू और उनके साथ राजकुमार और उसका लड़का भारत, राजकुमार की पत्नी कोमल व कालू की पत्नी अन्नू मौजूद थी। उक्त लोगों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। उनसे छोड़ देने को कहा तो उन लोगों ने मारपीट की तथा कट्टा, चाकू दिखाकर तीस लाख रुपये दिलवाने की माँग करने लगे। उसके सामने उसके फोन से तेजवीर ने तीस लाख रुपये की माँग की और जब भी उसे होश आता, तब मारपीट करते और जबरन नशीला दूध पिलाते थे जिससे उसे नींद आ जाती थी। दिनांक 03-02-2021 को पुलिस मौके पर आ गयी और छुड़ा लिया। वहाँ पर मौजूद राजकुमार, भरत, कोमल, इकबाल, तेजवीर, देवेन्द्र, कालू, अन्नू को पकड़ लिया तथा तेजवीर वहाँ से भाग गया। पुलिस पकड़कर कोतवाली लायी और उसके बाद अस्पताल ले गयी। इसके बाद उसे पिताजी को सौंप दिया। राजकुमार का लड़का भरत विगत दिनों से उसकी दुकान पर किसी न किसी व्यक्ति को लाकर धूमता रहता था। हाजिर अदालत मुल्जिमान को उसने देखकर बताया कि ये वहीं लोग हैं, जिन्होंने उसके साथ घटना की”।

32:- उपरोक्त मुख्य बयानात की सत्यता प्रतिपरीक्षा के तौर पर बचाव पक्ष को प्रदान होती है और किसी गवाह की विश्वसनीयता भी प्रतिरक्षा के आधार पर तय होती है। मुल्जिमान की ओर से पृथक-पृथक कर जिरह की गयी, जो इस प्रकार से है:-

33:— प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी पी0डब्लू02 ने बताया कि “वह गुजरात टाईल्स पर बैठा है। उसकी फर्म का रजिस्ट्रेशन है और जी0एस0टी0 नंबर है। उसकी फर्म का खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। उसको वह चार साल से चला रहा है तथा रिटर्न दाखिल कर रहा है, परंतु यह नहीं बता सकता कि कितने रूपये का रिटर्न दाखिल किया है। घर से दुकान की दूरी एक किलोमीटर है, जिस पर वह हर रोज पैदल जाता है। वह गुटखा, तम्बाकू, शराब नहीं पीता। वह घर से हजार रूपये छुट्टा व बीस हजार रूपये लेकर चला। उसने एक बार दो सौ रूपये के छुट्टे कराये। 200/- रूपये के छुट्टे को लेकर भी प्रश्न किये गये तथा यह भी पूछा गया कि पुलिस को यह बताया कि नहीं बताया अथवा न्यायालय में इस प्रकार के बयान दिये गये, परंतु यह विशेष तथ्य नहीं हैं। दरोगा ने चार तारीख को बयान लिये थे और उसने नाम मुल्जिमान के बताये थे। वह घर से दुकान की ओर चलेगा तो उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। शुगर मिल का गेट उसकी दुकान के सामने नहीं है, बल्कि दीवार मिल की है। फिर कहा कि जब घर से दुकान की ओर चलेंगे तो पहले मेन रोड पर आयेंगे, फिर दाहिनी तरफ चलकर दुकान पर पहुँचेंगे। मैंने मुल्जिमान से यह नहीं कहा कि केवल 400 मीटर जाना है तो तुम्हें उल्टी कैसे आ जायेगी। यह बात सही है कि मुल्जिमान के कहने पर मैंने अपनी सीट बदल ली। घर से चलकर नहर तक की दूरी के रास्ते में आबादी है तथा दुकानें हैं। जब गाड़ी चांदपुर बम्बे पर पहुँचती है तो गाड़ी दुकान की तरफ न मुड़कर भूड़ चौराहे की तरफ मुड़ गयी थी। मैंने यह बात दरोगा से बता दी थी। मैं बेहोश था, मुझे पता नहीं है कि कमरा किस तरफ था। मैं दिशा का ज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बेहोश था। कमरे में एक दरवाजा था जो बरामदे में खुलता था। कमरे में एक

ऊँचाई पर रोशनदान छोटा 1 x 1 का होगा। पुलिस वाले मेन गेट से अंदर आकर कमरे में आ गये। मैंने मजिस्ट्रेट को आठ नाम बताये थे। मजिस्ट्रेट को तेजवीर के भागने की बात भी बतायी थी। मजिस्ट्रेट को पढ़कर सुनाया कि तेजवीर वहाँ नहीं था तो कहा कि तेजवीर भाग गया। दुर्गाप्रसाद मेरे पड़ोसी हैं और जानता हूँ। मैंने उनको अपने से फिरौती मॉगने की बात नहीं बतायी थी। उनके पास तेजवीर का फोन फिरौती के बाबत आया था। मैंने तेजवीर को पहले से नहीं जानता था। मेरे पिता भी नहीं जानते थे। मेरे व राजकुमार के घर के बीच दुर्गाप्रसाद का घर व दुकान, डेरी, खाली प्लॉट और फिर राजकुमार का घर है। डेरी और दुर्गाप्रसाद के घर के सामने काफी पेड़ हैं। यह पेड़ सड़क से 5-7 फिट ऊँचे होंगे। यह पेड़ बम्बे के सहारे लगे हैं न कि मेरे घर की तरफ। मैं पेड़ों की चौड़ाई नहीं बता सकता। सड़क की चौड़ाई 08 फिट है। सड़क से मेरे व दुर्गाप्रसाद के मकान लगे हैं। सड़क से बम्बे का पानी 02 फिट है और घर से 10 फिट दूर है। घर पर सिक्योरिटी कैमरा लगा था। यह कैमरा छजली और कुछ कैमरा दीवार पर लगे हुए हैं। मेरे मकान की फर्श से छत की ऊँचाई 12-13 फिट है। यह कहना गलत है कि यह ऊँचाई 10 फिट से कम है। फर्श से छजली की ऊँचाई करीब कितनी है, मैं नहीं बता सकता। छजली छत से 2-3 फिट नीचे है। छजली से दीवार में लगे कैमरे 3-4 फिट नीचे हैं। मेरे कैमरे में आया है कि गाडी नजर आयी है। यह कैमरा छजली वाला है। मैंने कैमरे की डी0वी0आर0 नहीं देखी थी। पुलिस की विलप में देखा था। राजकुमार का मकान तिरछा है। मैं नहीं बता सकता कि राजकुमार के मकान की जो दीवार मेरी ओर है, उसकी लंबाई कितनी है। पेड़ मेरे घर की ओर भी हैं। घटना के समय मैं अपने मकान से राजकुमार के मकान की दिशा यानि कचहरी से

चांदपुर जाने वाली सड़क पर आये। इसी रोड से मेरे घर की सड़क भी मिलती है। वहाँ से चांदपुर गाँव से निकलकर नेशनल हाईवे पर आये। बम्बे से नेशनल हाईवे के बीच दुकान, मकान, बिजलीघर, मार्केट पड़ते हैं। यह सब 9-10 बजे के बीच खुल जाते हैं। नेशनल हाईवे व नहर के बीच में चांदपुर गाँव है व आबादी है। तहसील, कोतवाली, बस स्टैंड सब पड़ते हैं। लोग चलते हैं”।

34:- प्रतिपरीक्षा अभियुक्त इकबाल में कहा कि “दिनांक 27-05-2022 को वह घटना के बाद नहर पर पहुँचा तो गाड़ी में कुल चार लोग थे और वह था। नहर से गाड़ी भूड़ चौराहे पर नहीं गयी थी। घर से नहर तक पहुँचने में कितने मिनट लगे नहीं बता सकता। गाड़ी में वह कितने घंटे रहा नहीं बता सकता। यह भी ध्यान नहीं है कि उसकी दुकान के सामने गन्ना मिल से नहर तक वाहन ट्रैक्टर आदि थे। गन्न मिल नवम्बर माह से अप्रैल तक चलता है। कभी-कभी थोड़ा बहुत समय आगे-पीछे हो जाता है। जिस सड़क पर मेरी दुकान गुजरात टाईल्स मौजूद है, उसी सड़क पर गन्ना मिल का गन्ने का घुसने का गेट है और कभी कभी जाम लग जाता है। मैं बंधक के रूप में एक कमरे में रहा था। मैं समय नहीं बता सकता कि इस मकान में कितने बजे पहुँचे। मैं मकान के आसपास आबादी की स्थिति नहीं बता सकता। मुझे पता नहीं कि जिधर तेजवीर का जाना बताया है, उधर मकान के अंदर से दिखाई देता है या नहीं। मैं नहीं बता सकता कि जिस गाड़ी से मुझे ले जाया गया, वह गाड़ी किस स्थान पर कब तक खड़ी रही। मुझे गाड़ी के अंदर का इंटीरियर नहीं पता इस समय याद नहीं है। गाड़ी का नंबर मैंने पिता को नहीं बताया था। मकान में कुल कितने कमरे हैं, मैं नहीं बता सकता। मैं एक कमरे में था। कम साईज का होगा, मैं नहीं बता सकता। कमरे की दीवार पर रंग नहीं था,

सीमेंट लगा हुआ था। घटना के बाद मैं इस स्थान पर नहीं गया था। मकान की तरह ही कमर था या और कोई निर्माण था, मैं नहीं बता सकता। उस कमरे में दो खाट पड़ी हुई थी। जब होश आया तो कमरे में लोगों को देखा था। चार लोग थे। सब एक साथ मेरे पास आते-जाते थे। लैटीन कमरे के अंदर नहीं थी। टॉयलेट आदि के लिए मुझे कभी मकान के बाहर नहीं ले गये। मैं अपने घर से जाकर और घर लौटने तक एक ही कपड़ों में रहा। पुलिस ने मेरे वह कपड़े कब्जे में नहीं लिये थे। उन कपड़ों का कोई हुलिया रंग नहीं लिखा गया है। मुझे इस समय ध्यान नहीं है कि मुल्जिमान किस रंग के कपड़े पहने हुए थे। पुलिस ने मेरा मेडिकल कराया था, परंतु किस प्रकार की जाँच की नहीं बता सकता। पुलिस वाले मेरे पास दिनांक 03-02-2021 में पहुँचे थे, लेकिन समय याद नहीं है। मुझे समय याद नहीं है कि पुलिस कितने समय तक मेरे साथ कमरे में रही। पुलिस मुझे बरामद करके थाना कोतवाली नगर ले गयी और कोई जगह नहीं ले गयी थी। पुलिस की गाड़ी से कोतवाली आये थे। मैं समय नहीं बता सकता कि बरामद करने के बाद कितने समय कोतवाली लेकर आये थे। मुझे वह समय याद नहीं है कि पुलिस जब लेकर आयी कोतवाली पहुँचने का समय याद नहीं है और अपने घर पहुँचने का समय भी याद नहीं है। जब मैं कोतवाली में था तो मेरे माता और पिता आये थे। मुझे याद नहीं है कि कोई वकील मेरी मदद को पहुँचा हो। पुलिस की मौजूदगी में मैं पूरे समय होश में था। मैं नहीं बता सकता कि कोतवाली से बंधक बनाने वाली जगह कितने किलोमीटर है। पुलिस ने कोतवाली या घर अथवा जेल में किसी मुल्जिम की शिनाख्त नहीं करायी। मैं मेडिकल कराने का समय नहीं बता सकता। मुझे याद नहीं है कि पुलिस ने कोई सी0सी0टी0वी0 फुटेज इस घटना के बारे में मुझे

दिखाई हो। इस घटना के संबंध में मेरा बयान बरामदगी स्थल और कोतवाली में लिया था। मैं अपना नाम गौरव कुमार लिखता हूँ। कोतवाली में पुलिस ने मेरी बरामदगी की लिखा-पढ़ी मेरी मौजूदगी में की थी। मुझे यह याद नहीं है कि उस बरामदगी पर मेरे हस्ताक्षर कराये या नहीं। आगे कहा कि जब मैं घर से गया था तो मेरे पास फोन था, मुझे वह फोन वापस नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि वह फोन किसी मुल्जिम के पास से मिला हो। मुझे सिम भी नहीं मिला”।

35:— अग्रिम प्रतिपरीक्षा इकबाल में कहा कि “राजकुमार और भारत ने कहा था कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठे आदमियों ने भी मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा था। पहले मैंने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया था, फिर दोबारा कहने पर गाड़ी में बैठा था। मैंने तो कहा था कि मैं पैदल चला जाऊँगा। नहर पर दवा पिला दी थी। मैं गाड़ी में ही बेहोश हो गया था। मेरी इकबाल से कोई जान पहचान नहीं है। यह कहना गलत है कि इकबाल ने गाड़ी में बैठने के लिए न कहा हो। यह कहना गलत है कि मैंने राजकुमार व भारत के कहने पर इकबाल का नाम लिया हो। यह बात सही है कि इकबाल ने मेरे घर पर किसी को फोन नहीं किया था। यह कहना सही है कि इकबाल ने कोई माँग मेरे पिता से नहीं की थी। मकान की जानकारी है कि वह इकबाल का है। मुझे इकबाल के मकान होने की जानकारी इस बात से है कि जब भी खाना लाता था तो इकबाल लाता था। यह बात सही नहीं है कि मैं राजकुमार के मकान को खरीदना चाहता था, इसलिए उसे गलत फंसाया। यह बात सही है कि हाजिर अदालत मुल्जिमान मेरे बंधक रहने के दौरान मौजूद रहे, लेकिन खाना नहीं देते थे”।

36:— उपरोक्त विशेष साक्षी नीले रंग की बैलेनो कार का पंजीयन नंबर, उस गाड़ी का इंटीरियर तथा वह गाड़ी कितने समय,

कहाँ पहुँची और कहाँ रुकी, उक्त के संबंध में याद नहीं अथवा ध्यान नहीं जैसे उत्तर से स्पष्ट किया। इसी प्रकार से जिस मकान में बंधक था, उस मकान के बाबत इतना तो है कि उसमें दो चारपाई, सीमेंट की दीवार व छत थे, परंतु किसी प्रकार की लैटिन लगी हुई नहीं थी। उक्त मकान में रोशनदान और दरवाजे का होना भी कहता है। सी०सी०टी०वी० फुटेज डी०वी०आर० को कब्जे में लेना अथवा उस फुटेज को देखने के संबंध में भी ध्यान नहीं देने की बात कहता है। परंतु इतना अवश्य मानता है कि पुलिस ने क्लिप दिखायी थी। दिनांक 03-02-2021 को अपनी बरामदगी पुलिस के द्वारा किया जाना तस्दीक करता है। जो लोग कार में बैठे थे तथा जो लोग उक्त कमरे में आते-जाते थे, उनकी पहचान भी स्पष्ट करता है। मकान इकबाल के होने की तस्दीक इस बात से करता है कि वह खाना लेकर आता था, परंतु उसके संबंध में यह भी कहता है कि उसने कभी फिरौती नहीं माँगी। इस सब के अलावा अपने संबंध में शारीरिक अक्षमता पर नशीला पदार्थ देकर बेहोश जैसी स्थिति में रखना, जो गाड़ी में बैठाने से शुरू हो जाता है और वह इसी स्थिति में लगातार रहता है। पुलिस द्वारा बरामद करने के उपरांत वह कोतवाली नगर लाया जाता है, वहीं पर उसके पिता और अन्य लोग मिलते हैं, जहाँ सुपुर्दगी में दिया जाता है। उसके बयान मौके पर भी होते हैं और कोतवाली नगर में भी लिये जाते हैं और मेडिकल कराने की बात भी स्वीकार करता है। मुल्जिमान का जिरह में अलग-अलग पूछना अथवा उसका सारतः में यह स्पष्ट है कि परिस्थिति न तो एक मुल्जिम के संबंध में पृथक थी न अन्य मुल्जिम के संबंध में अलग थी, बल्कि जो पृष्ठभूमि है, वह सभी मुल्जिमान के बाबत समान है। जहाँ तक उनकी किसी विशिष्ट भूमिका का प्रश्न है तो वह गवाह ने स्पष्ट किया कि चार लोग कार में थे।

भारत और राजकुमार ने उसे गुजरात टाईल्स के मालिक के रूप में पहचान करायी और कार में बैठे सवार को दुकान की तस्दीक कराते हुए उसके साथ जाने को कहा। गवाह ने गाड़ी में बैठने के दौरान इकबाल के यह कहना कि उसे उल्टी आती है और उसे गेट के किनारे बैठना है, तब इस साक्षी को बीच में बिठाया गया और उसे दबोचा गया। उक्त स्थान जहाँ पर उसे बरामद किया, वहाँ पर अन्नू और कोमल की निगरानी प्रमुखतः थी। जो तथ्य उसकी समझ से बाहर हैं, उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि सी०सी०टी०वी० फुटेज डी०वी०आर० का कब्जे में लेना। बेहोशी की हालत में समय की निश्चिन्ता, दिशा तय करना आदि। क्योंकि उसकी बेसुधी की स्थिति यह पर्याप्त आधार है कि सामान्य बोध के आधार पर ऐसी अपेक्षा बेसुध आदमी से नहीं की जा सकती। मोबाईल का होना, पैसे नहीं मिलना, जो वह घर से लेकर गया था, एक ही कपड़ों में रहना, यह विवेचक का उत्तरदायित्व को दबाकर नहीं डाला जा सकता कि उसने कपड़े क्यों नहीं दिये, मोबाईल प्राप्त क्यों नहीं किया और उसका मोबाईल क्यों बरामद नहीं हुआ। इस साक्षी के संबंध में एक अन्य विशेष तर्क यह है कि दिनांक 03-02-2021 की बरामदगी, पूछताछ कोतवाली नगर में ले जाये जाने और लिखा-पढ़ी कोतवाली में होने पर गवाह अभियोजन से अतिरिक्त है। इस तथ्य को अन्य बरामदगी के गवाह तथा विवेचक के बयान के साथ देखा जा सकेगा, अन्यथा गवाह की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं है।

37:- पी०डब्लू०३ निरीक्षक शत्रुघ्न यादव, पी०डब्लू०४ निरीक्षक सुधीर कुमार त्यागी तथा पी०डब्लू०६ निरीक्षक बृजकिशोर पुलिस साक्षी हैं, जो बरामदगी साक्षी विशेष साक्षी गौरव के हैं। इनके द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्शक-2 को तस्दीक किया गया। पी०डब्लू०६ इस मामले का

विवेचक भी है। इन गवाहान की मुख्य परीक्षा में कहा गया कि “दिनांक 04-02-2021 को निरीक्षक मय एस0एस0आई0 शत्रुघन यादव व अन्य के साथ बहवाले रपट नंबर-9 समय 02:46 बजे थाने से रवाना होकर वास्ते तलाश अपहृत गौरव संबंधित अपराध सं0-124/2021, धारा-364 भारतीय दण्ड संहिता में रवाना होकर पतारसी-सुरागरसी करते हुए पुलिस चौकी डिप्टी गंज आये। उक्त चौकी पर थाने के कर्मचारी हैड कां0 देवेन्द्र सिंह, हैड कां0 मनोज कुमार, हैड कां0 संजीव कुमार, कां0 विदित, कां0 मोहम्मद नाजिम मिले, जो पूर्व से अपहृत की पतारसी, सुरागरसी और तलाश में लगे हुए थे। सब लोग बैठकर आपस में अब तक की कार्यवाही को साझा किया और साथ होकर मामन चुंगी पर आये तथा बातचीत करने लगे। तभी स्वाट टीम के प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार त्यागी मय निरीक्षक अखिलेश कुमार गौड़, एस0आई0 अजयदीप, एस0आई0 धीरज राठी, हैड0 कां0 विकास कुमार, हैड कां0 हरेन्द पुनिया, हैड कां0 असलम, हैड कां0 जितेन्द्र यादव, कां0 नीरज कुमार, कां0 वसीम, कां0 अभिषेक, कां0 प्रवली, कां0 कपिल नैन, कां0 विशाल चौहान, कां0 आकाश नेहरा, कां0 चालक मणिकान्त, कां0 जितेन्द्र त्यागी भी गौरव की तलाश करते हुए मामन चुंगी चौराहा पर आये और सभी लोग मिलकर बात कर रहे थे कि मुखबिर खास ने सूचना दी कि जिस गौरव की तलाश में हैं, वह इस समय इन्द्रा कालौनी में इकबाल के मकान में कुछ लोगों ने अपहृत कर बंधक बना रखा है। उसकी निगरानी में 5-6 व्यक्ति लगे हुए हैं तथा उनमें दो महिलायें भी उनकी सहायता के लिए मौजूद हैं। यह भी बताया कि जिस कार से अपहरण किया था, वह कार भी वहीं खड़ी है और उनके पास असलाह हैं। यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। उक्त सूचना पर विश्वास करके पी0 आर0 वी0

तलब कर कां० तनु चौधरी व कां० ऋचा को साथ लिया। सभी ने आपस में जामा तलाशी ली, किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं मिली तथा मुखबिर को उसके बताये अनुसार इन्द्रा कालौनी में इकबाल के मकान पर आये। मुखबिर ने मकान के पास आकर इशारा किया तथा मुखबिर चला गया। पुलिस बल ने इकबाल के मकान को चारों तरफ से घेरकर दबिश दी। तभी एक व्यक्ति छत से भाग, जिसे पकड़ने के लिए स्वाट टीम के एस०आई० अजयदीप, कां० असलम व कां० नीरज व कां० वसीम ने पीछा किया, लेकिन हाथ नहीं आये। मकान में अंदर प्रवेश कर तलाशी ली तो उसमें कमरे में पाँच व्यक्ति व दो महिलायें अपहृत गौरव को घेरकर बैठे हुए निगरानी करते मिले। पकड़कर नाम-पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो एक ने अपना नाम कालू पुत्र वीरेन्द्र कुमार, निवासी ग्राम नैथला बताया, जिसके दाहिने हाथ में पकड़े एक तमंचा 315 बोर तथा पहने लोवर की दाहिनी जेब से दो कारतूस जिंदा 315 बोर के मिले। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राजकुमार उर्फ बल्लू पुत्र झम्मन सिंह, निवासी अमर माया कालौनी, चांदपुर रोड, कोतवाली नगर, बुलन्दशहर बताया, जिसकी जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकड़े एक छुरा बरामद हुआ। तीसरे ने अपना नाम देवेन्द्र पुत्र राजेन्द्र, निवासी औरंगपुर गड़िया, थाना जहाँगीराबाद बताया, जिसकी जामा तलाशी से पहनी पैंट की दाहिनी फेंट से एक अदद तमंचा 315 बोर व पैंट की दाहिनी जेब से दो जिन्दा कारतूस 315 बोर के बरामद हुए। चौथे ने अपना नाम इकबाल पुत्र अल्लाराजी, निवासी इन्द्रा कालौनी, थाना कोतवाली देहात बताया, जिसकी जामा तलाशी में कोई वस्तु बरामद नहीं हुई। पाँचवे ने अपना नाम भारत पुत्र राजकुमार, निवासी अमर माया कालौनी, चांदपुर रोड बम्बा, थाना कोतवाली नगर बताया, जिसकी जामा तलाशी से भी कोई

वस्तु बरामद नहीं हुई। हमराही महिलाओं की सहायता से पकड़ी गयी महिलाओं का पता किया तो उनमें से एक ने अपना नाम कोमल कुमारी पत्नी राजकुमार, निवासी अमर माया कालौनी तथा दूसरी ने अपना नाम अन्नू पत्नी कालू, निवासी नैथला, थाना कोतवाली देहात बताया। उनकी जामा तलाशी से कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई। गौरव को फोटो के आधार पर पहचाना और उसका नाम पूछा तो उसने नाम गौरव पुत्र विजय सिंह, निवासी अमर माया कालौनी, चांदपुर रोड, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर बताया और कहा कि दिनांक 01-03-2021 को जब वह घर से अपनी दुकान पर जा रहा था तो राजकुमार और भारत ने अभियुक्त देवेन्द्र, कालू, इकबाल और तेजवीर से चाकू और तमंचे के बल पर अपहरण फिरौती के लिए कराया था। उसका अपहरण एक कार में किया था। कार में देवेन्द्र, कालू, इकबाल व तेजवीर थे। देवेन्द्र कार चला रहा था। बाकी तीनों ने उसे राजकुमार व भारत के कहने पर गाड़ी में बैठाकर दबोच लिया था। तभी उसने अपने पिता को फोन किया था। नहर पर जाकर इन लोगों ने उसे नशीला पदार्थ जबरदस्ती पिला दिया था। उसी दिन से उसे इस कमरे में बंधक बनाकर रखा है और तीस लाख रुपये की माँग कर रहे हैं। यह भी कहा कि उसे दूध के साथ नशीला पदार्थ पिलाते थे और महिलायें भी इन सभी अभियुक्तों के साथ उसे बंधक बनाये रखने व अपहरण में पूरी सहायता कर रही हैं। भागे गये व्यक्ति और गाड़ी के संबंध में पूछा तो मुल्जिमान ने उक्त गाड़ी को बाहर खड़ी करना बताया और भागे हुए व्यक्ति का नाम तेजवीर पुत्र दिगम्बर, निवासी बड़पुरा, थाना आहार, जिला बुलन्दशहर बताया। मुकदमा अपराध संख्या- 124/2021, धारा-364 भा0द0सं0 से संबंधित है, जिसकी विवेचना विवेचक बृजकिशोर द्वारा की जा रही है। तमंचा, कारतूस, छुरा

का लाईसेंस तलब किया तो कोई नहीं दिखा सका। अभियुक्त देवेन्द्र, भारत, कालू, राजकुमार, इकबाल, कोमल कुमारी व अन्नू को जुर्म धारा-364ए, 328, 342 भारतीय दण्ड संहिता व अभियुक्त देवेन्द्र व कालू को जुर्म अंतर्गत धारा-4/25 आयुध अधिनियम से अवगत कराते हुए उचित निर्देशों का पालन कर बरामद तमंचा, कारतूस, छुरा को कब्जे में लिया और मुल्जिमान को सुबह 08:00 बजे हिरासत में भी लिया। माल को अलग-अलग कपड़ों में सील किया और नमूना मौहूर तैयार किया। बरामद कार यू0पी0-13-बी0एम0-5206 को भी पुलिस के कब्जे में लिया गया। मौके पर जनता के लोगों से गवाही के लिए कहा, परंतु कोई तैयार नहीं हुआ और इधर-उधर चले गये। गिरफ्तारी मेमो बनाया। फर्द विवेचक बृजकिशोर ने बोल-बोलकर एस0एस0आई0 शत्रुघन यादव से लिखायी तथा उसको पढ़ाकर बतौर गवाहान हमराहियान के हस्ताक्षर बनवाये गये तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त राजकुमार को दी गयी तथा सभी के अलामात बनवाये जा रहे हैं।

38:- मुल्जिमान राजकुमार, भारत, कोमल, तेजवीर, कालू उर्फ घनेन्द्र, अन्नू, इकबाल की ओर से साक्षी पी0डब्लू03 शत्रुघन यादव से जिरह की गयी। प्रतिपरीक्षा में बताया कि “फर्द प्रदर्श क-2 कई पेज में है। यह बात सही है कि मुल्जिमान एवं गवाहान के हस्ताक्षर केवल अंतिम पेज पर हैं। अंतिम पंक्ति में फर्द की एक नकल दिये जाने का तथ्य लिखा है, लेकिन फर्द के अंत में नकल प्राप्त करने का कोई विवरण अंकित नहीं है। यह बात सही है कि सभी अभियुक्तगण के लिए पहले तैयार नहीं की थी। फर्द बरामदगी मेरे द्वारा घर के बाहर लिखी गयी थी अर्थात् दरवाजे के बाहर लिखी गयी थी। मुझे इस समय याद नहीं है कि घर के सामने किस व्यक्ति का घर है। यह भी याद नहीं है कि उस गली में कुल कितने घर हैं। यह घर रास्ते के

कितने अंदर हैं। यह जानकारी नहीं है कि यह घर सड़क के ही लेवल में हैं। ऐसा नहीं है कि जिस घर का नक्शा बनाया गया हो, वह कई सीढ़ी ऊपर हो। मैंने मकान के कमरों की गिनती नहीं कही है और इस समय याद भी नहीं है। मकान का रास्ते की तरफ एक दरवाजा था, जिसकी चौड़ाई नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि फर्द बरामदगी थाना कोतवाली नगर में बैठकर लिखी गयी हो। यह कहना भी गलत है कि इन्द्रा कालौनी में कोई फर्द बरामदगी न लिखी गयी हो और असलाह व गौरव की बरामदगी इन्द्रा कालौनी में न हुई हो। मैं नहीं बता सकता कि मोबाईल कितने कर्मचारियों के पास था, परंतु मेरे पास था। यह बात सही है कि फर्द बरामदगी में अंकित सामान व अपहृत गौरव आज न्यायालय में पहचान करने के लिए मेरे सामने मौजूद नहीं हैं। मौजूद मुल्जिमान के नाम से वाकिफ हूँ। लेकिन इनकी कोई शिनाख्त विवेचक ने हिरासत के दौरान नहीं करायी। यह बात सही है कि इस मामले का विवेचक मैं नहीं था और न कोई अधिकारी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी थी। मामन चुँगी पहुँचने हेतु व इन्द्रा कालौनी पहुँचने के लिए रवानगी जी०डी० कोतवाली नगर में अंकित की गयी थी। ऐसा नहीं है कि फर्द बरामदगी में अंकित रपट नंबर—9 समय 2:46 बजे की रवानगी केवल डिप्टी गंज पुलिस चौकी के लिए की गयी हो। यह सही है कि फर्द बरामदगी में मामन चुँगी से आगे का विवरण दर्ज नहीं है, लेकिन पतारसी—सुरागरसी व अन्य फोर्स साथ होने का विवरण दर्ज है। विवेचक को नक्शा इन्द्रा कालौनी एवं अमर माया कालौनी की निशानदेही नहीं की थी। नक्शा के समय मैं विवेचक के साथ नहीं गया था। मेरे साथ कोतवाली के फोर्स की संख्या करीब 8—9 लोग थे। स्वॉट टीम के करीब 10—12 लोग थे। स्वॉट टीम की रवानगी इस अपराध के संबंध में डिप्टी गंज या कोतवाली नगर में नहीं

हुई थी और कहा कि उसकी रवानगी अलग से चलती है, वह मैंने देखी नहीं है"। अग्रिम प्रतिपरीक्षा में कहा कि "मैंने अपने मोबाईल की लोकेशन विवेचक को उपलब्ध नहीं करायी थी। फर्द पुलिंदा पर मुकदमा अपराध संख्या लिया गया है। लेकिन यह याद नहीं है कि किस-किस गवाह के हस्ताक्षर कराये थे। मैंने राजकुमार के घर सी0सी0टी0वी0 आने-जाने की जानकारी नहीं की थी। ऐसा नहीं है कि मुल्जिमान राजकुमार आदि को उनके घर अमर माया कालौनी से रात्रि में पुलिस ने जबरन अपनी अभिरक्षा में लिया हो। थाना कोतवाली नगर में और गौरव के साथ इन्द्रा कालौनी में उपस्थिति दिखायी हो। यह कहना गलत है कि राजकुमार का मकान विजय सिंह खरीदना चाहता हो और दबाव बनाने के लिए यह मामला प्लान्ट करा दिया हो। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य मुल्जिमान की संलिप्तता या रोल की जानकारी मेरे द्वारा फर्द लिखने से पहले नहीं थी"।

39:- अभियुक्त तेजवीर द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी0डब्लू03 ने कहा कि "यह कहना सही है कि हम 28 लोग कर्मचारीगण दबिश देने गये थे। मुझे यह याद नहीं है कि उस समय मकान के अंदर हम पुलिस कर्मी एक साथ कितने घुसे थे। मुझे इस समय ध्यान नहीं है कि कितने लोग घर के अंदर और कितने बाहर थे। मैं घर के अंदर घुसने वाले लोगों में था। घर के अंदा दो महिलायें और पाँच पुरुष थे। तेजवीर नाम का मुल्जिम कमरे से निकलकर भाग गया था। जब हम मकान के अंदर घुसने लगे तो मुल्जिम तेजवीर पहले से ही घर की छत के ऊपर था। मकान में जीना चढ़ने के लिए है। विवेचक ने नक्शा नजरी में नहीं दिखाया तो इसकी वजह नहीं बता सकता। गवाह ने संलग्न नक्शा नजरी को देखकर कहा कि यह

बरामदगी स्थल का है, जो सही है। मुल्जिम तेजवीर को पकड़े जाने के लिए उसके पीछे भागे थे, उन्होंने मुझे बताया था। भागे हुए मुल्जिम के बारे में पकड़े गये मुल्जिमान ने नाम बताया था। जो लोग मुल्जिम तेजवीर के पीछे भागे थे, उनके नाम नहीं बता सकता। विवेचक ने गिरफ्तार किया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे बयान कब लिये थे। यह बात सही है कि मुल्जिम तेजवीर का नाम 161 जाब्ता फौजदारी में नहीं लिया। अन्य दो सहअभियुक्त का कंफेशन के आधार पर लिया है। जिस कमरे की छत से मुल्जिम तेजवीर भागा था, मैं उस कमरे की ऊँचाई नहीं बता सकता। मैं अंदाज से भी नहीं बता सकता। जनता का गवाह उस समय कोई नहीं था। बरामदगी का समय मुझे ध्यान नहीं है कि जनता का आदमी आया था या नहीं। यह बात सही है कि मैंने 161 जाब्ता फौजदारी का बयान विवेचक को दिया था कि जनता कोई गवाह भलाई-बुराई के कारण गवाही देने को तैयार नहीं है। मैंने स्वयं भी जनता के लोगों से कहा था, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ था। जनता का कोई व्यक्ति नाम बताने को तैयार नहीं हुआ था”।

40:— अभियुक्त कालू उर्फ घनेन्द्र व अन्नू द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी पी0डब्लू03 ने बयान दिया है कि “मैं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही विवेचक के साथ अपहृत की बरामदगी के लिए प्रयासरत था। विवेचक ने अपहृत के मोबाईल की कॉल डिटेल्स या लोकेशन ट्रेस करने की कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी। मैं व मेरे साथ विवेचक तथा दरोगाजी रोहित थाने से 2:46 बजे रवाना हुए थे। हम लोग पुलिस की जिप्सी में थे। उसे रोहित चला रहा था। डिप्टी गंज चौकी रात्रि लगभग तीन बजे पहुँचे थे। वहाँ एक-डेढ़ घंटा रुके थे। डिप्टी गंज चौकी की पुलिस कर्मचारीगण अपनी अलग गाड़ी से हमारे

साथ गये थे। उनके पास प्राईवेट गाड़ी थी। मामन चुँगी चौराहे पर सुबह पाँच बजे हम लोग पहुँच गये थे। स्वाँट टीम वाले पहले से ही मामन चुँगी पर मौजूद थे। उनकी अपनी गाड़ी थी। मुखबिर लगभग 06:30 बजे आया था। उसे बुलाया नहीं था। मुखबिर पैदल आया था। मुखबिर स्वाँट टीम की गाड़ी में बैठकर बरामदगी स्थल पर गया था। मुखबिर की सूचना के बाद 10 मिनट में महिला आरक्षी आ गयी थी। बरामदगी स्थल के लिए कुल पाँच गाड़ी थीं। एक-दूसरे की जामा तलाशी मामन चुँगी तिराहे पर ली थी। बरामदगी वाला घर एक मंजिल बना हुआ है। मुल्जिमान व अपहृत को भूतल से पकड़ा था। जब हम कमरे में घुसे थे तो अपहृत जमीन पर बैठा था। हाथ पैर खुले थे। मुल्जिमान भी जमीन पर बैठे हुए थे। सभी लोग फर्श पर ही बैठे हुए थे। फर्द सीमेंट का था या ईटों का था या संगमरमर का था, ध्यान नहीं है। कमरे में कोई चारपाई, बैड, कुर्सी, मेज वगैरा कोई फर्नीचर नहीं था। कमरा करीब 15 गुणा 12 फीट का होगा। इस कमरे में घुसने के लिए एक ही दरवाजा है जिससे अंदर घुसे थे। कमरे में छत के सहारे पीछे की तरफ एक छोटा सा जंगला टाईप रोशनदान था, वहाँ मैंने कोई बाथरूम नहीं देखा था। दीवार का प्लास्टर था। मैंने किसी मुल्जिम को नहीं पकड़ा था और लोगों ने पकड़ा था। मुल्जिमान से बरामद तमंचो के अलावा कोई जिन्दा कारतूस नहीं था। किसी भी मुल्जिम के पास कोई रूपये, कागज, बीड़ी, सिगरेट, मोबाईल नहीं था, कोई जेवर नहीं था। कमरे में सोने, ओड़ने का सामान नहीं था। खाने-पीने का सामान पर ध्यान नहीं दिया। मौके पर सारी कार्यवाही करने में लगभग एक घंटा लगा होगा। थाने वापस होने में लगभग सुबह 08:30 बजे आये थे। महिला आरक्षी की गाड़ी में बैठी थीं तथा सभी मुल्जिमान अलग-अलग चारों गाड़ियों में बैठे थे। अपहृत को

लेकर आये थे। अपहृत हमारी गाड़ी में नहीं आया था। किस पुलिस टीम की गाड़ी से आया था, ध्यान नहीं है। मुल्जिमान से पूछताछ मौके पर ही की थी। मुल्जिमान तीस लाख रूपये की मॉग किससे कर रहे थे, इस बारे में अपहृत ने कुछ नहीं बताया था। अपहृत ने अपने मोबाईल व अन्य सामान कहीं गिरने या चोरी होने या छीनने की बात नहीं बतायी। फर्द में अपहरण का दिनांक 01-03-2021 लिखा है, वह लिपिक द्वारा गलती है। जो फर्द मेरे द्वारा बनायी गयी थी उसमें सहवन 01-02-2021 के स्थान पर 01-03-2021 लिख गया है। विवेचक को दिये गये बयान में अपहरण का दिनांक 01-03-2021 है, वह भी सहवन से है”।

41:- अभियुक्त इकबाल द्वारा जिरह करने पर इस साक्षी पी0डब्लू03 ने बयान दिया है कि “जिस मकान के कमरे से अपहृत बरामद हुआ था वह कमरा खाली था। इस कमरे के आगे बरामदा है, कोई अन्य कमरा नहीं है। कमरे से छत पर जाने के लिए जीना नहीं है। लेकिन बरामदे से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। यह कहना गलत है कि राजकुमार प्रकाश में आने पर इकबाल की दोस्ती की वजह से झूठा फंसाया हो”।

42:- पी0डब्लू04 निरीक्षक सुधीर कुमार त्यागी ने अन्य तथ्यों के साथ यह कहा कि घटना के समय आसपास काफी भीड़ हुई थी, जिन्हें मौके पर गवाही के लिए कहा गया था, परंतु भलाई-बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ था।

43:- अपनी प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू04 ने कथन किया है कि “नक्शा नजरी विवेचक ने मेरी मौजूदगी में नहीं बनाया। गौरव का घर मैंने घटना की दिनांक 01-02-2021 को देखा था। उस दिन या इस केस की अपराध संख्या में मेरी कोई रवानगी कोतवाली नगर से नहीं

हुई थी और गौरव के घर की भी सी0सी0टी0वी0 फुटेज एक-दो बार देखी थी। मेरे द्वारा सी0सी0टी0वी0 फुटेज की कॉपी नहीं ली गयी थी। यह बात सही है कि गौरव के घर पर सी0सी0टी0वी0 फुटेज में किसी मुल्जिम की शकल, सूरत पहचान नहीं आ रही थी। विवेचक द्वारा दिनांक 28-02-2021 को सी0डी0 नंबर-13 में अंकित किया गया है जिसमें यह भी अंकित है कि गौरव ने बताया कि दिनांक 01-03-2021 को जब मैं घर से दुकान पर जा रहा था तब घटना हुई थी। यही तिथि फर्द के गवाहान के बयानों में भी लिखी हुई है। यही तिथि एफ0आई0आर0 में लिखी है। इस तिथि के अंकन का कोई कारण मैं नहीं बता सकता। गौरव के बयान विवेचक द्वारा कब-कब या कहाँ-कहाँ लिखे गये, इसकी जानकारी नहीं है। मामन चुँगी पर हम लोग मुल्जिमान की सुरागरसी में पहुँचे। बरामदगी स्थल पर मेरे या मेरी टीम के जाने की जानकारी मुझे मामन चुँगी पर पहुँचने पर नहीं थी। मुखबिर की सूचना कोतवाली नगर इंसपैक्टर बृजकिशोर को थी। हम लोग बरामदगी स्थल पर सुबह 04-02-2021 को चार बजे पहुँच गये थे। यह याद नहीं है कि डिप्टी गंज पुलिस चौकी व मामन पुलिस चौकी पर कौन-कौन पुलिस कर्मी थे। यह बात सही है कि कोतवाली नगर व इन दोनों चौकियों के रास्ते अलग-अलग हैं। दोनों पुलिस चौकी कोतवाली नगर की अलग-अलग दिशा में हैं। यह सही है कि इन्द्रा कालौनी कोतवाली देहात की नई मंडी चौकी में आती है और यहाँ पहुँचने का रास्ता कोतवाली नगर से डिप्टी गंज व मामन चौकी को भी होकर है और कोतवाली नगर से सीधा रास्ता इन्द्रा कालौनी को जाता है। इसमें मामन चौकी एवं डिप्टी गंज चौकी नहीं पड़ती हैं। बरामदगी स्थल पर करीब 15-20 मकान बने हुए थे। जिनमें से दो मकान इस मकान के सामने बने हुए थे और तीन मकान एक

ओर बराबर में थे और मकान नहीं बने थे। मकान के दक्षिण में कोई मकान नहीं था। इस मकान में पहुँचने के लिए रास्ते से कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई है, रैंप करीब दो फिट ऊँची बनी हुई था। मकान के दरवाजे के पास लैटिन बना हुआ था और एक कमरा और आंगन में छत लगी हुई थी। इस तरह का नक्शा मैंने विवेचक को इसलिए नहीं बनवाया क्योंकि उन्होंने मेरी निशानदेही पर नक्शा अंकित नहीं किया था। यह बात सही है कि इन्द्रा कालौनी से कोतवाली नगर तक आने-जाने का रास्ता सघन आबादी क्षेत्र है और मार्केट भी है। वादी विजय सिंह को मैं घटना की दिनांक से पहचानता-जानता हूँ। दिनांक 04-02-2021 को देखा था। इससे पहले नहीं जानता था। दिनांक 04-02-2021 को हम कोतवाली नगर नहीं गये थे। इस केस के मामले में कोतवाली नगर नहीं गये। मेरी जानकारी में नहीं है कि अभियुक्त राजकुमार इस केस के वादी विजय सिंह के मकान को लेकर कोई झगड़ा हो और वादी राजकुमार के घर को खरीदना चाहता हो। यह भी जानकारी नहीं है कि राजकुमार द्वारा प्लॉट खरीदने तथा मकान बनाने पर विजय सिंह द्वारा विरोध किया गया हो। यह कहना गलत है कि दिनांक 03-02-2021 को देर शाम अभियुक्त देवेन्द्र को दिल्ली से बुलाकर सिकंद्राबाद-दादरी के बीच बने टोल से सिकंद्राबाद की ओर लुहारली गाँव के सामने से गिरफ्तार किया गया हो। मुझ याद नहीं है कि दिनांक 04-02-2021 को कब्जे में लेते समय मुल्जिमान द्वारा कपड़े किस रंग के पहने हुए थे। मुखबिर द्वारा बताया मकान इकबाल का बताया गया था। इकबाल का मकान इसी के बराबर में निर्मित है, जिसमें उसका परिवार रहता है तथा अंदर से दरवाजा लगा है। बरामदगी वाला मकान लगा है। यह बात सही है कि मैंने दिनांक 01-02-2021 से 04-02-2021 के बीच सी0सी0टी0वी0

फुटेज वादी के घर के कैमरे की विवेचक को नहीं दी और मेरा काम साक्ष्य संकलन करना नहीं था। मेरे द्वारा कोई वैज्ञानिक या अन्य साक्ष्य विवेचक को नहीं दिया। विवेचक का काम साक्ष्य प्राप्त करना है”।

44:— अभियुक्त कालू उर्फ घनेन्द्र व श्रीमती अन्नू की ओर से अग्रिम प्रतिपरीक्षा में साक्षी पी0डब्लू04 ने कहा कि कोतवाली नगर की पुलिस सरकारी गाड़ी से थी, जो टाटा सूमो थी। वह पहले से ही मामन चुंगी पर खड़ी थी। मुझे याद नहीं है कि कोतवाली नगर की कितनी गाड़ियाँ थी। स्वॉट टीम की दो गाड़ियाँ थीं। मुझे नहीं मालूम कि मुखबिर सवारी से आया था या पैदल आया था। कुल दबिश में कितनी गाड़ियाँ पुलिस की थीं, मुझे याद नहीं है। मुखबिर कोतवाली नगर की गाड़ी में बैठकर गया था। जब अपहृत गौरव को बरामद किया था तो वह कमरे में चारपाई पर अधबेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। चारपाई पर एक गद्दा बिछा हुआ था। मुल्जिमान भी कमरे में बिछी चारपाई पर बैठे थे। हमने गौरव के मुँह पर पानी की छींटें दिये, वह बोलने की स्थिति में आ गया था। पानी हमने उसी कमरे में से बाथरूम में से लिया था। मैंने किसी मुल्जिम की तलाशी नहीं ली थी। किस मुल्जिम से क्या बरामद हुआ मुझे ध्यान नहीं है। गौरव को मैंने अच्छी तरह से देखा था। गौरव के पास कोई रूपये, पैसे, अंगूठी, चैन नहीं थे। मुल्जिमान को पुलिस अपनी गाड़ी में लेकर गयी। मुझे जानकारी नहीं है कि अपहृत को किस गाड़ी में लेकर गये थे। यह कहना गलत है कि कालू को उसके घर से उठाकर झूठा फंसाया हो”।

45:— अभियुक्त इकबाल द्वारा की गयी अग्रिम प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी पी0डब्लू04 ने बताया कि “हमें एक तारीख को ही एस0एस0पी0 बुलन्छशहर द्वारा घटना के अनावरण के लिए आदेश दिया गया था। यह आदेश लिखित में नहीं आता है। हम लोग एक

तारीख के दोपहर बाद इस घटना के अनावरण में लग गये थे। मुझे ध्यान नहीं है कि उस समय तक एफ0आई0आर0 हुई थी या नहीं। हमें करीब चार बजे मुखबिर मिला था। वह बरामदगी स्थल तक हमारे साथ रहा। मामन चुँगी से इन्द्रा कालौनी की दूरी करीब पाँच किलोमीटर है और पहुँचने में पाँच—सात मिनट लगे। मैं चीरघर तिराहे से बांये मुड़कर गया था। हम लोग स्टेडियम वाली रोड आवास विकास से जाकर इन्द्रा कालौनी पहुँचे थे। उस समय आसपास के लोग सो रहे थे। मौके पर पाँच पुरुष व दो महिलायें व एक अपहृत घर में मिला था। एक अभियुक्त मकान की छत से भाग गया था। अपहृत गौरव की चोटों का मुआयना मैंने नहीं कराया था। अभियुक्त तेजवीर के संबंध में कहा कि मैंने इसको गिरफ्तार नहीं किया था”।

46:— पी0डब्लू06 निरीक्षक बृजकिशोर ने फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी प्रदर्श क-2 को तस्दीक करते हुए उक्त के बाबत अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया कि “इन्द्रा कालौनी कोतवाली देहात, बुलन्दशहर की नई मण्डी चौकी की बीट के अंतर्गत आती है। मैंने इसकी सूचना उक्त पुलिस को नहीं दी। चूँकि मुल्जिमान के भागने का अंदेशा था, इसलिए क्षेत्र की पुलिस को सूचना नहीं दी। जनता का गवाह भलाई—बुराई के कारण तैयार नहीं हुआ और बिना नाम बताये चले गये। हमने कोई सरकारी गाड़ी मौके पर पहुँचने के लिए इस्तेमाल नहीं की। हम अपनी निजी गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने निजी गाड़ियों का विवरण फर्द व बयान 161 जाब्ता फौजदारी में नहीं किया और न ही तस्करा जी0डी0 में उसका उल्लेख किया। इन्द्रा कालौनी पहुँचने का तस्करा कायमी जी0डी0 में अंकित नहीं है। मामन चुँगी पोस्ट है, वहाँ कोई जी0डी0 नहीं चलतही। बीट का कोई रिकॉर्ड वहाँ नहीं रहता। फर्द बरामदगी में बीट का विवरण नहीं है। बीट मामन चुँगी पोस्ट के

नाम से जानी जाती है। केवल एसओजी प्रभारी व कर्मचारियों से मेरी बातचीत हुई थी और मुखबिर ने सूचना दी थी। बीट का तस्करा फर्द में नहीं है। दिनांक 01-03-2021 का स्पष्टीकरण दिया कि यह टाईपिंग मिस्टेक है और दो की जगह तीन सहवन् हो गया है। यह भी सही है कि आरोप पत्र दाखिल करने तक यह दुरुस्त नहीं हुआ। 364 व्यस्क के अपहरण से संबंधित होती है, जिसकी विवेचना मैंने की थी। 364ए भाद0सं0 में तरमीम कर आरोप पत्र दिया। यह बात सही है कि विवेचना के दौरान रूपयों के लेन-देन का सबूत नहीं पाया। खुद कहा कि माँग की गयी थी। घटनास्थल का नक्शा नजरी पत्रावली पर नहीं है। कागज सं0-14ए को देखकर गवाह ने कहा कि इसमें अलग अमर माया कालौनी का नक्शा अंकित नहीं है। यह बात सही है कि माल मुकदमा तमंचा, कारतूस आदि न्यायालय में शिनाख्त के लिए आज मेरे समक्ष नहीं है। यह कहना गलत है कि कार बैलेनो को थाना जहाँगीराबाद की पुलिस द्वारा उसके मालिक के घर से जबरन उठाकर थाना कोतवाली नगर में मंगवाया गया था और कार की बाबत विवेचना मैंने ठीक नहीं की। यह कहना गलत है कि राजकुमार, राजकुमार की पत्नी कोमल एवं बेटा भारत को उनके घर से रात्रि में उठाकर इस मामले में प्लांट किया गया हो और और इस बिन्दु पर सही विवेचना न की गयी हो। देवेन्द्र को भी कॉल करके बुलन्दशहर बुलवाया और दिल्ली से बुलन्दशहर के रास्ते में दादरी, सिकंद्राबाद के रास्ते में गिरफ्तार कर लिया हो। गाड़ी डीएल0-3सी0सी0एम-6065 से गिरफ्तार किया हो। फुटेज पीड़ित के अपहरण के समय की है। यह जानकारी है कि सी0सी0टी0वी0 में समय आ रहा था, लेकिन इस समय याद नहीं है कि क्या समय आ रहा था। यह कहना सही है कि नीले रंग की बैलेनो कार किसी की भी हो सकती है। फिर खुद कहा

कि उस पर नंबर लिखा था। कोई विशिष्ट पहचान थी या नहीं यह ध्यान नहीं है। राजकुमार मुझे वादी के घर पर घटना के दौरान बरामदगी से पूर्व मिला था और मैंने उसका बयान भी लिया था। वादी के घर पर भारत और कोमल नहीं मिले थे। मैंने नक्शा नजरी सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर वादी से बनवाया था। अब पत्रावली पर ऐसा कोई नक्शा मौजूद नहीं है। मैंने मोबाईल नंबर—8650515580 की सी0डी0आर0 व लोकेशन ली थी, परंतु वह पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। फिर कहा कि वह नंबर सर्विलांस को दिया था, लेकिन वह लगा नहीं था। लोकेशन जानने के लिए कोई नंबर सर्विलांस को नहीं भेजा। प्रश्नगत सी0डी0 वस्तु प्रदर्श-1 को न्यायालय में चलाया गया जो नहीं चली। गौरव का कोई फोन न तो घटनास्थल पर मिला और न ही विवेचना के दौरान मुझे दिया गया”।

47:— अन्य मुल्जिमान कालू व श्रीमती अन्नू की ओर से जिरह में कहा कि अपहृत गौरव था। चारपाई, बैड, कुर्सी थे या नहीं ध्यान नहीं है। अपहृत का जो मोबाईल अपहरण होते समय उसके पास था, वह बरामदगी अपहृत के समय उसके पास से नहीं मिला न ही किसी अभियुक्त के पास से मिला। पूरी विवेचना के दौरान उस मोबाईल की न तो तलाश की गयी न ही पूछताछ की गयी। फिरौती की रकम गौरव के फोन से एक दिन पूर्व माँगी थी। लेकिन वह मोबाईल नंबर आज तक नहीं मिला है और न ही मेरे द्वारा उसकी कोई तलाश की गयी है। अपहृत के मोबाईल की सी0डी0आर0 तलब की गयी, लेकिन प्राप्त नहीं हो सकी। मुखबिर अचानक मिल गया था और गाड़ी में बैठकर बरामदगी स्थल तक गया था। जब हम बरामदगी स्थल पर पहुँचे तो अपहृत जमीन पर बैठा हुआ था, हाथ पैर बंधे नहीं थे। मैं नहीं बता सकता कि कमरे में क्या-क्या सामान था, कुछ सामान था।

हम पुलिस वालों की संख्या 25 के करीब थी। मौके से कोई मोबाईल अथवा वीडियोग्राफी नहीं करायी। न्यायालय द्वारा किये गये प्रश्न के संबंध में कहा कि मुल्जिम ने फिरौती वादी के मौसा दुर्गाप्रसाद के मोबाईल नंबर पर मॉगी थी। मुझे यह नंबर याद नहीं है। मैंने सी0डी0आर0 निकलवाने के लिए रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन मिली नहीं। एस0एस0पी0 आवास पर सर्विलांस ऑफिस है, जिस पर मैंने डाक भेजी थी। मैंने यह डाक कर्मचारी के द्वारा भेजी थी। यह बात सही है कि जो मैंने रिपोर्ट बनाकर एस0पी0 को भेजी थी, उसमें दुर्गाप्रसाद और अपहृत के मोबाईल का उल्लेख नहीं है। मैं यह नहीं कह सकता कि अगर न्यायालय कप्तान से सी0डी0आर0 तलब करे तो प्राप्त हो सकती है। मैंने मोबाईल कंपनी की जानकारी नहीं की। मैंने धारा-328 इसलिए लगायी थी कि पीड़ित के बयान के आधार पर डाक्टरी संभावना थी, सबूत प्राप्त नहीं हुआ था। अभियुक्त इकबाल के संबंध में बताया कि मैं नहीं बता सकता कि घर में बच्चा सही सलामत था। वहाँ पाँच पुरुष और दो महिलायें अपहृत के अलावा मौजूद थे। यह मुझे जानकारी नहीं है कि इकबाल की पत्नी से मकान दोनों महिलाओं ने किराये पर लिया हो। उस मकान में मात्र एक कमरा बना हुआ था, आगे चौक था। मैं नहीं बता सकता कि इस मकान की दीवार कितनी चौड़ी थी। मकान पर कंधे पर पैर रखकर चढ़ा जा सकता है। यह बात सही है कि इकबाल ने कोई फिरौती वादी से नहीं मॉगी थी”।

48:- यह तीनों गवाह पी0डब्लू03, पी0डब्लू04 व पी0डब्लू06 पुलिस कर्मी हैं और बरामदगी से सीधे संबंधित हैं। इनमें एक तो पी0डब्लू06 इतना महत्वपूर्ण है कि वह मामले का विवेचक भी है और पी0डब्लू03 शत्रुघन यादव और पी0डब्लू04 सुधीर कुमार त्यागी अपनी

विभागीय वरीयता में निरीक्षक के पद पर है। इसका आशय इतना मात्र है कि तीनों गवाह सेवा में एक परिपक्व सेवा अवधि पदीय रूप से प्रोन्नत हैं, जिनसे पुलिस कार्यवाही के बाबत उच्चतर कसौटी अपेक्षित है। फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी प्रदर्श क-2 तथा बयानात 161 जाब्ता फौजदारी तथा अन्य जगह जो दिनांक 01-03-2021 का उल्लेख हुआ है, उसके बाबत इन तीनों का कहना है कि वह सहवन लिपिकीय त्रुटि है। इसको लिपिकीय त्रुटि इसलिए माना जा सकता है कि घटना दिनांक 01-02-2021 की है और आरोप पत्र दिनांक 17-03-2021 का है और चिक एफ0आई0आर0 दिनांक 01-02-2021 की है तथा मुल्जिमान की गिरफ्तारी का रिमांड दिनांक 04-02-2021 में लिया गया। इस कारण से जो वास्तविक और प्रक्रिया में समय का उल्लेख है वह कदापि दिनांक 04-02-2021 की जगह दिनांक 01-03-2021 नहीं हो सकता यानि कि कहना है कि दिनांक 04-02-2021 को लेखन के तौर पर नहीं बल्कि प्रक्रिया में दिनांक 04-02-2021 को 04-03-2021 मानकर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। कहने का आशय यह है कि समय को पीछे नहीं किया जा सकता। समय ऐसा कारक है जो निरंतर और समान रूप से सब के लिए सर्व व्याप्त है। समय काल में घटना अपनी पहचान पाती है। समय के अनुसार घटना नहीं बनती, इसलिए कथित स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से ग्राह्य होता है और वह लिपिकीय ही माना जावेगा।

49:- पी0डब्लू04 निरीक्षक सुधीर कुमार त्यागी स्वाॅट टीम प्रभारी हैं, जो थाना क्षेत्र से विस्तृत जिले की सीमाओं तक पुलिस कार्य का उत्तरदायित्व उनको प्रदान है इसलिए उसका थाना कोतवाली नगर, कोतवाली देहात, डिप्टी गंज चौकी अथवा मामन चौकी पर कोई लिखा-पढी करना अथवा आने-जाने का कोई विवरण रखना न तो

अपेक्षित है और न ही इसकी आवश्यकता है। यह भी उन्होंने स्पष्ट किया कि उनको दिनांक 01-02-2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के अनावरण का निर्देश था। यद्यपि इस बाबत जब पूछा गया कि इस बाबत कोई लिखित आदेश था या नहीं तो उनका जवाब था कि इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। इस बाबत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की जो भी शंका है कि ऐसा अनुचित है और यह संभव नहीं है, तब इसको विधिक रूप से स्पष्ट है कि स्वाॅट टीम का प्रभार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण अधीन रहते हुए जिले की सीमाओं तक विस्तारित है। धारा-36 जाब्ता फौजदारी पुलिस के कार्य को बढ़ते हुए क्षेत्र के अनुसार समान रूप से निहित करते जाने का प्रावधान करती है। कहने का आशय यह है कि जो पुलिस के अधिकार थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में प्राप्त हैं वही पुलिस अधीक्षक को पूरे जिले में प्राप्त है तथा उसी प्रकार के अधिकार पुलिस महानिदेश को पूरे प्रदेश में प्राप्त होते हैं। दूसरा जाब्ता फौजदारी की धारा-41 प्राविधानित करती है कि पुलिस को संज्ञेय अपराध के संबंध में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार करने की पूर्ण अधिकारिता है। यदि उक्त दफा को धारा-39, 40 जाब्ता फौजदारी के साथ संयुक्त रूप से विवेचित किया जाये, तब जैसी अपेक्षा और आशंका व्यक्त है कि लिखित आदेश होने या न होना न तो मायने रखता है और न ही उसको साबित करने की आवश्यकता है। यह अवश्य होता कि बचाव पक्ष इस तथ्य को प्रतिकूल रूप से रखता कि स्वाॅट टीम, एस0ओ0जी0, क्यू0आर0टी0, एस0आई0टी0, एस0टी0एफ0, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि-आदि जैसी पुलिस अनुसंधान अथवा पुलिस कार्य इकाई वैधानिक रूप से अस्तित्व में नहीं रहती। इस बाबत कोई राजाज्ञा होना या न होने की अपेक्षित होकर रखी

जाती, तब इस तर्क में बल मिलता कि ऐसी कोई सूचना अथवा आदेश जब स्वाॅट टीम प्रभारी को नहीं है तब वह कैसे वादी के घर गया और सी०सी०टी०वी० देखा और अपहृत की सुरागरसी और पतारसी में लग गया अन्यथा विधिक रूप से व्यवहारिक और युक्ति-युक्त है कि पी०डब्लू००४ का अपराध अनावरण में भाग लेना कानूनी रूप से वर्जित नहीं है तदानुसार बचाव पक्ष के तर्क इस बाबत स्वीकार नहीं होते।

50:- सी०डी०आर०, सी०सी०टी०वी० फुटेज, घटना की क्लिप, अदालत में दाखिल सी०डी० को गवाहान ने बताया कि उन्होंने वादी के घर लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे से बैलेनो गाड़ी रंग नीला को वादी के घर से आता दिखायी दिया। यद्यपि कि मुल्जिमान की कोई पहचान नहीं हो रही थी। उस गाड़ी का नंबर भी था। उक्त सी०डी० पी०डब्लू००६ द्वारा साबित कराने की कोशिश की गयी, जिसे अभियोजन ने वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में तस्दीक तो कराया, परंतु जब न्यायालय में उस सी०डी० को चलाया गया तो वह चल नहीं सकी। इसके अतिरिक्त धारा-65बी साक्ष्य अधिनियम में आवश्यक प्रमाणन की जो जरूरत है, उसको भी कोई पूर्ति नहीं की गयी। इसी प्रकार से सी०डी०आर०, मोबाईल नंबर, उनकी लोकेश के बाबत पी०डब्लू००६ यह तो कहता है कि उसने सर्विलांस कार्यालय एस०एस०पी० आवास पर दी थी, परंतु मिल नहीं सकी। जो मिला नहीं तथा जिसे साबित नहीं कराया, जिस पर अभियोजन नासमझी जैसे काम हैं। विवेचक का अधूरापन है। उस तथ्य के बारे में न्यायालय द्वारा कोई भी विवेचित कर तथ्य की पुष्टि कराना अपेक्षित नहीं समझता, परंतु इतना स्पष्ट है कि इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेज मौखिक दस्तावेज की श्रेणी में ही साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए परिपुष्टि के लिए उक्त सबूत का होना बहुत ही

आवश्यक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सी०सी०टी०वी० फुटेज के नहीं होने से जो बयानात वादी पी०डब्लू००१ विजय सिंह, पी०डब्लू००२ गौरव, पी०डब्लू००३ शत्रुघन यादव, पी०डब्लू००४ सुधीर कुमार त्यागी, पी०डब्लू००६ बृजकिशोर ने कहे हैं, उससे इंकार किया जाये अथवा उसे अनदेखा किया जाये। इन बरामदगी गवाहान की योजनाबद्ध तरीके से कथित इकबाल का मकान स्थित इन्द्रा नगर कालौनी, थाना कोतवाली देहात, जिला बुलन्दशहर से बरामदगी की है। यह बरामदगी दिनांक ०४-०२-२०२१ की है। बरामदगी की योजना दिनांक ०४-०२-२०२१ समय ०२:४६ मिनट से शुरू होती है। इस समय विवेचक पी०डब्लू००६ बृजकिशोर व एस०एस०आई० शत्रुघन यादव व अन्य के साथ मुकदमा अपराध संख्या-१२४/२०२१, धारा-३६४ भारतीय दण्ड संहिता के मामले में पतारसी-सुरागरसी और बरामदगी हेतु निकल पड़े। वह सब जाकर पूर्व में नियोजित टीम हैड कां० देवेन्द्र सिंह, हैड कां० मनोज कुमार, हैड कां० संजीव कुमार, कां० विदित, कां० मोहम्मद नाजिम से डिप्टी गंज चौकी पर मिले। वहाँ आपस में जानकारी साझा की। फिर मामन चुंगी चौराहे पर आये, जहाँ पर स्वाँट टीम के निरीक्षक सुधीर कुमार त्यागी अन्य पुलिस की टीम के साथ मिले, जो इसी मामले में लगे हुए थे। तभी कथित मुखबिर का आना बताया जिसे पुलिस टीम अपने साथ लेकर इन्द्रा कालौनी आते हैं। सभी गवाहान ने कहा कि कुल पुलिस वाले २५ से अधिक थे। तब यह पूर्ण संभव है कि एक-दूसरे को नाम-पते से जानना-समझना लिखित में तो संभव है, लेकिन मौखिक तौर पर स्पष्ट करना दुष्कर है। मुखबिर को कौन, कैसे साथ ले गया, कौन, कैसे फिर वापस आया, इस पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की घोर आपत्ति है कि कभी वह पैदल चलकर आया तो विवेचक के साथ गया, कभी वह स्वाँट टीम के साथ गया। फिर इसके बाद

मुखबिर कैसे और कहाँ चला गया। उसके जाने के संबंध में भी गवाहान की भिन्नता है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो संसूचना पुलिस को प्राप्त होती है, उक्त सूचना के स्रोत को तलब करने अथवा उसे साबित करने की आवश्यकता अथवा जरूरत अभियोजन को नहीं है। इसलिए मुखबिर के द्वारा जो बताया गया, जिसके बारे में बताया गया और जहाँ बताया गया वह मायने नहीं रखता, क्योंकि उक्त सूचना साबित कराया जाना विधि के द्वारा अपेक्षित नहीं है। उसी प्रकार से वह किस प्रकार से गये, किस प्रकार से वापस हो गये, वह भी मायने नहीं रखता। इस कारण से जो मुखबिर के संबंध में आपत्तियाँ हैं और शंकायें हैं, वह निर्मूल हैं।

51:— इस मामले में यह भी बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की यह भी आपत्ति शत्रुघन यादव बरामदगी स्थल पर चारपाई व अन्य सामान से इंकार करता है। पी0डब्लू06 विवेचक भी चारपाई से इंकार करता है, बाकी सामान का ध्यान न होने की बात करते हैं। वहीं पी0डब्लू04 दो चारपाई की बात करता है। एक चारपाई पर अपहृत कमरे में था और बाकी एक चारपाई पर मुल्जिमान थे। अपहृत बेहोशी की हालत में था, उसे होश में लाया गया और वह अर्धबेहोशी में था। जबकि पी0डब्लू03 उसे जमीन पर बैठा हुआ बताता है। इस मामले में गवाहान के बयानात को देखा जाये तो पी0डब्लू03 जो फर्द लेखक है, वह कहता है कि उसने कमरे से बाहर बैठकर फर्द लिखी थी। स्वाँट टीम की जिम्मेदारी बरामदगी की थी तो उसने गौरव को कमरे के अंदर से बरामद किया तो उसने उस हिसाब से बताया। विवेचक की जिम्मेदारी अपराध के अनवेषण की थी तो उसने वही बताया जो प्रदर्शक-2 फर्द में उल्लेखित है अथवा पी0डब्लू02 ने जैसा कहा। लेकिन यदि पी0डब्लू04 के बयानात की कोई भी विश्वसनीयता या

सत्यता की परिपुष्टि होने को देखना है तो वह पी0डब्लू02 है, जो चारपाई होने की बात करता है। इसलिए फर्श पर नीचे बैठना, कमरे की ऊँचाई, दीवार का रंग, फर्श की स्थिति जैसे प्रश्न के एक-दूसरे के संबंध में जो अंतर होता है वह विरोधाभास के तौर पर नहीं होता है, बल्कि वह चीजों को जानने, याद करने और उसको बताने के अपने मानवीय क्षमता पर निर्भर होता है। वैसे पी0डब्लू02 जो वहाँ पर एक दिन से ज्यादा रहा, उसने जो बयानात मकान के बारे में कहे, इन पुलिस साक्षीगण के बयानात से मकान के आंतरिक स्थिति की पुष्टि देता है, इसलिए बरामदगी के संबंध में गवाहान के बयानात को लेकर जो असंगतता बतायी जा रही है वह ऐसी नहीं है, बल्कि इनके अलावा अन्य साक्ष्य से परिपूर्ण है।

52:— बचाव पक्ष की ओर से इन गवाहान के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात कही और वह यह कही कि दिनांक 04-02-2021 को फर्द बनती है और उसी दिन बरामदगी होती है, जनता का गवाह नहीं होता है, जबकि कोई अन्य गवाह कुछ और कहते हैं। जनता का गवाह फराहम करना एक कानूनी आवश्यकता है, परंतु जब स्थिति इतनी स्वाभाविक और उचित न हो कि जनता का गवाह दिनांक 04-02-2021 के समय 02:46 से सुबह के 08:00 बजे तक दबिश देने के पहले फराहम करने की कोशिश करना, फिर उन्हें तलब करना, फिर तलब करने की औपचारिकता जिसमें नोटिस देना और मुकदमा लिखाना आवश्यक है, जिसमें वह इंकारी करते हैं। तब ऐसी तात्कालिक और आवश्यक बरामदगी त्वरित रूप से करना परिस्थितिवश संभव नहीं है। अपराध की जो प्रकृति है, उसमें अपहृत का जीवन क्षण-दर-क्षण संकटापन्न है। सूचना की संवेदना अति गंभीर है। अपराधी के तौर तरीके की पूर्ण जानकारी पुलिस को नहीं है,

इसलिए गवाह को फराहम करना अथवा किसी को गवाही के लिए कहना या उनको इंकार करने पर नोटिस देना, फिर नहीं मानने पर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करना, यह परिस्थितिवश अनुकूल नहीं था। यद्यपि कि पी0डब्लू04 यह कहता है कि जब मुल्जिमान के संबंध में कार्यवाही हो रही थी तो काफी लोग आ गये थे, परंतु कोई तैयार नहीं हुआ। दबिश देकर गिरफ्तार करने और दबिश के पश्चात् लिखा-पढ़ी होने में मूल अंतर है। दबिश एक संभावना पर आधारित पुलिस कार्यवाही है और दबिश पश्चात् बरामदगी की कार्यवाही एक तमाशा के रूप में जन लोक को है, इसलिए यदि कोई उसमें शामिल नहीं होता या नहीं हुआ तो इन साक्षियों का स्पष्टीकरण पर्याप्त रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि लोग उत्सुक तो थे, लेकिन तत्पर गवाह बनने को तैयार नहीं हुए। इस कारण से धारा-100 (4) जाब्ता फौजदारी के आवश्यक अव्यव का पालन करते हुए समुचित उपक्रम पुलिस के द्वारा दिखाया गया, जिसे गवाहान ने अपने बयानों में एक दूसरे की परिपुष्टि की है।

53:- बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इन गवाहान से अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह जानना चाहा कि मुल्जिमान को उनके घर से पकड़ा अथवा फोन करके उन्हें बुलाया, फिर भिन्न-भिन्न स्थानों से पकड़कर यहाँ की गिरफ्तारी दिखा दी, जिससे इन गवाहों ने इंकार किया। किस मुल्जिम को कब उठाया, कहाँ से उठाया, कितने बजे उठाया, किसके सामने उठाया, किसने देखा, किसने क्या शिकायत की, कौन किस शिकायत को लेकर कहाँ गया, वह समय, दिनांक, स्थान कौन सा था, यदि वह मोबाईल का प्रयोग कर रहे थे या किसी कार्य में लगे हुए थे तो उक्त मोबाईल नंबर किसके नाम था, कैसे वह नंबर वही अभियुक्त उपयोग में ला रहे थे, उसकी तस्दीक किसने की या

वह किसी के यहाँ नौकरी कर रहे थे तो उस व्यक्ति द्वारा तस्दीक करना कि यह व्यक्ति उक्त समय यह काम इस जगह का कर रहा था। किसी मुल्जिम का किसी सार्वजनिक स्थान से निकलना, उसकी सी0सी0टी0वी0 फुटेज में दर्ज हो जाना, उसको प्रमाणिक साक्ष्य के तौर पर बचाव में प्रश्न करना या सबूत के तौर पर पेश करना, जैसी प्रतिरक्षा की योजना बचाव पक्ष के द्वारा पूछे गये प्रश्नों से जाहिर नहीं होती है और नही इनकी वह पूर्ति करता है, तब यह प्रतिकूल रूप से नहीं माना जा सकता कि मुल्जिमान को बुलाकर उनको एक साथ लगाकर, फिर चालान कर दिया हो, इस कारण से यह तर्क अनुचित है।

54:— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने मकान के बाबत भी तर्क रखे कि यह इकबाल का मकान है अथवा इकबाल ने किराये पर ले रखा था, इस बाबत कोई गवाहान ने तस्दीक नहीं की और इकबाल का मकान उसी जगह और भी थे, जैसा कि पी0डब्लू04 कहता है, तब यह स्थान इकबाल के मकान के रूप में लगाना गलत है। न्यायालय का इस प्रकार का मानना नहीं है कि अभियोजन के द्वारा जो भी कहा जाये, उसको सही मान लिया जाये। प्रतिरक्षा की यूक्ति गवाह की सत्यता का औजार है। जिरह के दौरान गवाह से ऐसे भी तार्किक प्रश्न किसी वस्तु, किसी दस्तावेज को लेकर किये जा सकते हैं, जिसको उसने पहले देखा हो या न बताया हो। यदि वह मकान इकबाल का नहीं है या उसके स्वामित्व में नहीं है या इकबाल उसमें नहीं रहता है या इकबाल उसमें किराये पर रहता है या उसका कोई लेना—देना नहीं है तो बचाव पक्ष को यह साबित करना होगा कि फिर अपहृत सहित कैसे सभी मुल्जिमान उस मकान में पुलिस को मिले और यदि वह मकान किसी और का था तो उसे प्रतिरक्षा में प्रस्तुत किया

जाता कि पुलिस ने ऐसा मकान किराये पर लेकर उसमें कुछ लोगों को ले जाकर और फिर क्या किया पता नहीं है। जब ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर मकान के कब्जे के बाबत दीवानी प्रक्रिया की तरह स्वत्व की घोषणा न तो की जानी है न की जा सकती है और न किये जाने की आवश्यकता है, इसलिए उक्त तर्क युक्ति-युक्त नहीं होता है।

55:— बचाव पक्ष की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न गवाहान से किया गया कि कमरा कैसा था, बाथरूम कहाँ था, जीना था या नहीं था, उसकी दीवारें कितनी ऊँची थीं, रोशनदान कैसा था, सड़क से मकान कितना ऊँचा था, कितनी सीड़ियाँ लगी थीं। सामान्य तौर पर गवाहान ने बताया कि एक कमरा था, जिसमें एक रोशनदान था, सीमेंट का प्लास्टर और फर्श था और बाथरूम उसमें नहीं था। पी0डब्लू04 ने बताया कि बाथरूम बाहर था और बरामदा था। अन्य गवाहान ने बताया कि ऊपर चढ़ने के लिए जीना नहीं था, लेकिन रास्ता था। इससे यह तो प्रतिकूल से साबित नहीं होता है कि ऐसा कोई मकान न हो या उसका ऐसा कोई मकान का प्रतिरूप देखकर समझ गया हो कि क्या ऐसा ही मकान था, जो देखा। जो नक्शा बनाया गया, उसमें रेखीय तौर पर दर्शित है, जिसमें किसी इंजीनियर, लेखपाल की मदद आधारभूत संरचना के निमित्त नहीं ली गयी है। उक्त जगह से अपहृत को पाया गया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी की गयी, तब मकान का इस प्रकार का स्पष्ट विवरण आवश्यक नहीं होता कि बताया जाये। जहाँ तक लैट्रीन का प्रश्न है कि वह थी या नहीं थी या बाहर थी, वह पी0डब्लू02 के बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कोई लैट्रीन वहाँ नहीं थी और उसे बाहर नहीं ले जाया गया। यदि कोई लैट्रीन नहीं थी तो उसका उपयोग नहीं होना तो उसके न होने के समान है और यदि उपयोग हुआ होता तो चाहे वह

अंदर होती या बाहर वह मायने रखती। इसलिए लैट्रीन को लेकर नजरिया बनाये जाने की ऐसी कोई संरचना बरामदगी के बाबत बनायी जा रही है, तार्किक नहीं होता है।

56:— इन गवाहान से यह भी तर्क रखा गया कि इन्द्रा कालौनी के पहुँचने के रास्ते कौन से थे, कितने बजे कौन पहुँचा और कब, कहाँ पहुँचे, उक्त प्रश्नों को गवाहान ने स्पष्ट किया। समय की शुद्धि उस प्रकार से संभव नहीं है, जिस प्रकार से समय का मूल्य निर्धारित किया जाता। यानि कि सिनेमाहॉल में कोई टिकट तीन घंटे के समय के लिए दिया जाता है, तब तो संभव है कि समय की निश्चितता अवश्य बतानी चाहिए, परंतु जहाँ समय की कोई सीमा न हो कि उसे कितने समय में क्या करना है, बस इतना अवश्य हो कि इस कार्य को कर लेना है और जल्द कर लेना है, तब गवाहान के समय अंतराल को लेकर जो प्रश्न किये जा रहे हैं, वह गलत हैं और गवाहान की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है। इसी प्रकार रास्ते को लेकर भी विश्वसनीयता प्रभावित नहीं है। पुलिस चौकी को सूचना न देना, उसके संबंध में पी0डब्लू06 व अन्य ने बताया कि सूचना संवेदनशील थी और उसके लीक हो जाने की संभावना थी, इसलिए कोतवाली देहात को सूचना नहीं दी गयी थी। यह तर्क पर्याप्त है कि क्यों सूचना नहीं दी गयी।

57:— उपरोक्त तार्किक परीक्षण से गवाहान के द्वारा बयानात की विश्वसनीयता को पुरजोर तरीके से परखा गया, जिससे वह बरामदगी के संबंध में अविश्वसनीय नहीं पाये जाते हैं। अन्य गवाहान औपचारिक हैं, जिन्होंने पुलिस कार्यवाही को तस्दीक किया है।

58:— उपरोक्त प्रकार के अभियोजन साक्ष्य से प्रथमतः यह देखा जाना है कि क्या जो साक्षी अभियोजन के विश्वसनीय पाये गये, उनसे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है या नहीं। पी0डब्लू01 विजय

सिंह वादी है और पी0डब्लू02 का पिता है व तहरीर प्रदर्श क-1 को पुलिस में पंजीकृत कराने का भी गवाह है। इसके अलावा अपहृत गौरव को पुलिस के कब्जे से बरामद करने के उपरांत सुपुर्दगी पाने का भी गवाह है। इसने गौरव के संबंध में बताया कि वह गुजरात टाईल्स के नाम से दुकान करता है। उक्त दुकान पर वह व उसका लड़का बैठता है। उसका लड़का दिनांक 01-02-2021 की सुबह 09:30 बजे के बाद घर से निकला तो 10:05 बजे उसके नंबर- 8859482561 पर फोन किया तो उसने बताया कि वह कस्टमर से बात कर रह है तथा इस तथ्य को पी0डब्लू02 अपहृत गौरव ने तस्दीक किया कि वह हर रोज की तरह दुकान के लिए निकला था तो वह घर से निकलकर राजकुमार की दुकान पर पहुँचा, जहाँ उसने 200/- रुपये के छुट्टे कराये तथा राजकुमार से तसवीर वाली टाईल्स के संबंध में बातचीत करने लगा और उसके बाद या तभी नीले रंग की बैलेनो कार उसके घर की तरफ से आयी, जिसमें लोग बैठे हुए थे। उनसे राजकुमार ने बातचीत की तथा उन्होंने दुकान का पता किया और राजकुमार ने यह भी बताया कि यही दुकान के मालिक हैं तथा इनके साथ दुकान पर चले जायें। यह जो स्थिति है वह पी0डब्लू02 के उस कथन की पुष्टि करती है जिसमें उसने 10:05 बजे जब फोन किया था तब गौरव ने कस्टमर से बात करना कहकर काट दिया था। तब इसकी पुष्टि हो जाती है कि गौरव कस्टमर से बात कर रहा था, इसलिए उसने फोन काटा और गौरव के इस बयान से तस्दीक होता है कि वह कस्टमर बनकर आये थे और दुकान का पता कर रहे थे, जिनको राजकुमार पहले से जानता था। इसके पश्चात् पी0डब्लू01 यह कहता है कि 10 मिनट के बाद पुनः गौरव का फोन आया तो पीछे से चीखने-चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिससे उसे अनहोनी की बात लगी। इस तथ्य

की पुष्टि पी0डब्लू02 करता है कि जब उसे गाड़ी में बैठा लिया और उल्टी आने का बहाना करके इकबाल गाड़ी की खिड़की की तरफ बैठ गया और उसे बीच में बैठा लिया तथा भूड़ चौराहे से मजदूर लेने की बात कहकर गाड़ी जब चलने लगी तो गौरव ने इसका विरोध किया और गाड़ी नहर की तरफ मुड़ गयी और उसे गाड़ी में बैठे लोगों ने दबोच लिया। इससे अनहोनी की परिस्थिति की पुष्टि होती है कि गौरव संकट में था और उसने अपने बचाव के लिए उक्त फोन अपने पिता को किया था, जिसे पिता ने उठाया और पिता ने सुना, उसे गौरव ने तस्दीक किया। गौरव दुकान नहीं पहुँचा, जबकि वह दुकान के लिए निकला था और हर रोज दुकान के लिए जाता था। दुकान पर जाकर व्यापार करता था। जिस प्रकार की परिस्थिति घट रही थी, उससे कोई भी आशंका पी0डब्लू01 को होना संभावित है और जिस प्रकार से गाड़ी में गौरव को ले जाया गया तथा दुकान नहीं गया, इससे भी आशंका बलवती थी कि कुछ भी स्वाभाविक और सद्भाविक नहीं है वरन् अनुचित उद्देश्य है, जो इस तथ्य से झलकता है कि टाईल्स के मालिक राजकुमार की मुलाकात कराना, राजकुमार के द्वारा उसे गाड़ी में बैठ जाना कहना, इकबाल व अन्य मुल्जिम द्वारा फरेब करके उसे गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बीच में बिठा लेना, फोन पी0डब्लू01 को नहीं करने देना अथवा अधूरी कॉल होना, उसे जबरन बलपूर्वक दबोचने से मंतव्य स्पष्ट है कि जाहिरा आशंका सही थी। जहाँ तक मोबाईल नंबर पी0डब्लू01 के दो हैं और गौरव का एक है। उनकी सी0डी0आर0 का सबूत एकत्रित न करना, उन मोबाईल नंबर को जब्त न करना, उनकी कोई लोकेशन की जानकारी न करना अथवा ऐसा विवेचक या पुलिस करती है, परंतु उसे पुलिस रिपोर्ट 173 जाब्ता फौजदारी का भाग नहीं बनाती या यह कहें कि इस प्रकार के

साक्ष्य को वह अपने पास छिपाकर रखता है, तब यह तार्किक होता है कि जो बहतरीन उच्च गुणवत्ता का सबूत हो सकता था और उसको पेश नहीं किया गया, तब उसके प्रतिकूल आशय युक्ति-युक्त लगाया जा सकता है। यद्यपि पी0डब्लू06 ने अपने बयानात में स्पष्ट किया कि उसने सी0डी0आर0 के लिए सर्विलांस कार्यालय को लिखा था, परंतु वहाँ से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। उक्त दाखिल आवेदन को भी उसने संलग्न होना बताया। एस0पी0 कार्यालय या एस0एस0पी0 द्वारा ऐसी कोई मोबाईल कंपनी का नाम प्रदान न कराने से प्रतिकूल इसलिए नहीं होता है क्योंकि पी0डब्लू01 व पी0डब्लू02 के जो घटना के बाबत आचरण अंतर्गत धारा-8 साक्ष्य अधिनियम में उल्लेखित है, वह पर्याप्त है, इसलिए विवेचक को जो अच्छे से अच्छा करना चाहिए या करने का प्रयास किया और वह सफल नहीं हुआ, उसके उस कारण पी0डब्लू01 व पी0डब्लू02 के घटना संबंधी आचरण धारा-8, 9 साक्ष्य अधिनियम में संगत होते हैं।

59:- पी0डब्लू02 गौरव अपहृत है, जो दिनांक 01-02-2021 को 10:00 बजे के पश्चात् उसकी मर्जी के बिना उसे ले जाया गया है और फिरौती के संबंध में जो दुर्गाप्रसाद के फोन पर बात करने की बात है तथा गौरव के फोन से वह कॉल की गयी थी तथा दुर्गाप्रसाद को बतौर विवेचक ने साक्षी बनाये जाने के बावजूद अभियोजन ने उसे परीक्षित नहीं कराया कि ऐसी कोई फिरौती की सूचना उसे फोन से मिली थी या नहीं। यद्यपि कि पी0डब्लू01 व पी0डब्लू02 यह कहते हैं कि दुर्गाप्रसाद के फोन पर सूचना फिरौती की आयी थी और दुर्गाप्रसाद परीक्षित नहीं हुए न उनके मोबाईल नंबर को इस मामले में सर्विलांस पर रखा गया न पी0डब्लू06 विवेचक ने जरिये साक्ष्य तस्दीक किया। यह तो कहा कि वह किसी अन्य की आई0डी0 थी। फिर भी

जब कोई सिम नंबर की आई0डी0 न हो और विवेचना का भाग भी नहीं बनायी गयी हो, तब उस पर कोई निष्कर्ष अपेक्षित कर देना युक्ति-युक्त नहीं था। दुर्गाप्रसाद कौन था या कथित रूप से फूफा था, जो उसी कालौनी में रहता था। दुर्गाप्रसाद से बात करने की बात पी0डब्लू02 कहता है। दुर्गाप्रसाद से जो खबर मिली उसे पी0डब्लू01 कहता है। यदि दुर्गाप्रसाद को इस कड़ी से हटा दिया जाये तो पी0डब्लू01 ने अपहृत अवधि के दौरान जो कहा और पी0डब्लू01 ने दुर्गाप्रसाद से जो सुना, उससे परस्पर पुष्टि होती है कि फिरौती माँगी गयी। दूसरा यदि यह भी कहा जाये कि पी0डब्लू01 से कोई फिरौती नहीं माँगी गयी न कोई कॉल आयी और विवेचक भी यह स्पष्ट करता है कि उसने पैसे के लेन-देन के संबंध में कोई सबूत इकट्ठा नहीं किया तो भी पी0डब्लू02 अपनी मौजूदगी में यह तस्दीक करता है कि उसके फोन से दुर्गाप्रसाद को फोन करके पैसे तीस लाख रुपये की माँग की थी। इसलिए ऐसे प्रकरण में लेन-देन का पूर्ण हो जाना अपेक्षित नहीं है, बल्कि माँग महत्वपूर्ण है और माँग पी0डब्लू02 पुष्ट करता है, जिसके पश्चात्वर्ती आचरण में पी0डब्लू01 से भी पुष्टि होती है।

60:- पी0डब्लू02 व्यस्क है, दुकान का कारोबार करता है, पी0डब्लू01 के साथ दुकान का संचालन करता है, फर्म है, रजिस्टर्ड है, रिटर्न दाखिल होती है, टाईल्स का व्यापार है, जैसे तथ्यों पर कोई विवाद नहीं है, न ही इसके संबंध में कोई प्रतिकूल तारतम्य है। गौरव दिनांक 01-02-2021 से घर से निकलकर मुल्जिमान के कब्जे में रहकर, चलकर उनको अन्य मुल्जिमान के सहयोग से मकान में बंधक बनाये रखा गया। पी0डब्लू01 इस तथ्य को तस्दीक करता है कि दिनांक 01-02-2021 को उसका लड़का गौरव घर से सुबह 09:30

बजे निकला था और फिर वापस नहीं आया तथा उसे अनहोनी की आशंका है। पी0डब्लू02 इस आशंका को मजबूत करता है कि उसे राजकुमार, भारत द्वारा मुल्जिमान जो गाड़ी में सवार थे, दुकान ले जाने के बहाने गाड़ी में बैठाया, दबोचा तथा इन्द्रा कालौनी के मकान कथित रूप से इकबाल में बंधक बना दिया, जहाँ पर दो महिलायें अन्नू व कोमल निगरानी करती थीं तथा समय-समय पर मुल्जिमान आते-जाते रहते थे और उसे कार में बिठाने के पश्चात् गौरव के प्रतिरोध करने पर उसे दबोचकर और नशीला पदार्थ देकर बेसुध कर दिया और गौरव पी0डब्लू02 इसी तथ्य को आगे बढ़ाकर कहता है कि बंधक बनाने के दौरान उसे नशीला पदार्थ दूध में मिलाकर देते थे तथा वह लैट्रीन, बाथरूम करने नहीं गया। पी0डब्लू02 के व्यस्क के तथ्य को इसलिए उल्लेखित करना है, जिससे कि उसकी समझ स्पष्ट हो सके कि वह घटना की परिस्थिति में क्या देख पा रहा था और क्या हो रहा था। जब अपहरण और बंधक बनाने की संभावना की स्थिति पी0डब्लू01 और पी0डब्लू02 के बयानात की परस्पर पुष्टि से यह स्थापित है कि उसका अपहरण जबरन ले जाकर कर लिया गया। ऐसे अपहृत गौरव को काबू में रखने के लिए जो सामान्य उपाय हो सकते थे, वह इसी प्रकार के नशीला/मादक द्रव्य या औषधि ही हो सकती थी अथवा चीखने-चिल्लाने, छटपटाने, भागने, बोलकर, उत्तेजित करने, किसी को आवेश में उपहति कारित करने या सक्रिय मानसिक रूप से अपने निकास की यूक्ति, सोचना या जो लोग बंधक बनाकर निगरानी में बने हुए थे, उनको प्रलोभित, मोहित करना, अपने को घायल कर लेना, जैसे मानवीय क्रियाएँ संभव थीं और उन क्रियाओं का दमन मुँह, हाथ-पॉव बाँधकर एकान्त में रखकर भी किया जा सकता था, परंतु यह विकल्प सोची, समझी योजना के अनुसार जोखिमपूर्ण था, इस

कारण से मादक या नशीला वस्तु का सेवन कराना बेहतर विकल्प है। जो पी0डब्लू02 गौरव पर आजमाया गया तथा वह सफल था। क्योंकि दुकान जाने वाले रास्ते अथवा इन्द्रा कालौनी ले जाने वाले रास्ते पर लोगों की आवाजाही, अगल-बगल दुकानें, वाहन का चलना, पुलिस की नजदीकी के तथ्य जाने गये तो उस गवाह ने तस्दीक किया। यह हरकतों से बचने का नशीला उपाय युक्ति-युक्त हुआ, इसलिए विवेचक या अन्य बरामदगी गवाह को कोई कमरे से नशीले पदार्थ का न मिलना अथवा चिकित्सीय रिपोर्ट में इस प्रकार की कोई जाँच न करना, जो मलमूत्र अथवा रक्त या सलाईवा से संभव थी, वह अमल में नहीं लायी गयी न चिकित्सीय रिपोर्ट से इसकी संभावना तलाशी, परंतु मौके की परिस्थिति, घटना की प्रकृति और तौर-तरीके यह इंगित करते हैं कि हरकतों का शमन का अचूक तरीका नशीला पदार्थ का सेवन कराना है। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से इस पर कई आपत्तियाँ हैं कि यह सब झूठ है, तब इसकी प्रतिरक्षा में वह प्रतिरक्षा की नीति या योजना नजर नहीं आती कि अपहृत क्यों और कैसे, कब और कब तक बिना किसी सद्भाविक, सांस्कारिक प्रयोजन के अपरिचित के पास ऐसी जगह रहा, जो उसकी न तो अपनी थी न उसके परिजन की थी, इसलिए अपहृत का मुल्जिमान के कब्जे से मिलना परिस्थिति पुष्टि कराती है कि संभावना निर्मूल प्रकार की नहीं है, बल्कि वास्तविक है।

61:- इस कथानक और उसके सापेक्ष आये सबूत पी0डब्लू02, पी0डब्लू03, पी0डब्लू04, पी0डब्लू06 ने जो मुख्यतः बरामदगी को लेकर प्रश्नचिन्ह किये हैं, जिसमें यह कि जो फर्द प्रदर्शक-2 है, मौके पर तहरीर की गयी जिसे पी0डब्लू03 ने पी0डब्लू06 के बोलने पर अंकित किया वह दिनांक 04-02-2021 की है और उसे मौके की बतायी गयी

है, जिसे पी0डब्लू03, पी0डब्लू04, पी0डब्लू06 तस्दीक करते हैं, लेकिन पी0डब्लू02 जो अपहृत है, वह अपनी बरामदगी दिनांक 03-02-2021 को बताता है और उसी दिन थाने में पुलिस के द्वारा लाया जाना भी मानता है। विरोधाभास का आलम यह है कि जो अपहृत हुआ तथा जिसे बरामद किया गया, जो चलकर थाने पहुँचा वह सामान्य प्रज्ञावान है तो दिनांक 03-02-2021 की बरामदगी को दिनांक 04-02-2021 में पी0डब्लू03, पी0डब्लू04, पी0डब्लू06 कैसे तस्दीक कर सकते हैं या तो दिनांक 03-02-2021 की घटना सही है या 04-02-2021 की सही है या दोनों सही नहीं हैं और इसके अलावा यह भी है कि उक्त फर्ड बरामदगी एवं गिरफ्तारी प्रदर्श क-2 मौके की नहीं है और जैसी बतायी जा रही है, वैसी तैयार नहीं है।

62:- इस तर्क के संबंध में घटना के बाबत परिप्रेक्ष्य देखा जाना आवश्यक होता है कि पी0डब्लू03 शत्रुघन यादव, पी0डब्लू04 सुधीर कुमार त्यागी, पी0डब्लू06 बृजकिशोर जो पुलिस कर्मी और निरीक्षक के पद पर हैं, उनमें से पी0डब्लू03 व पी0डब्लू06 थाना कोतवाली नगर से दिनांक 04-02-2021 को समय 02:46 बजे रपट नंबर-9 से रवाना होते हैं। वह सब से पहले डिप्टी गंज चौकी जाते हैं, जहाँ पर पूर्व से कर्मचारी इसी अपराध के अनावरण में लगाये गये थे, वह मिलते हैं और फिर मामन चुँगी आते हैं, जहाँ पर स्वाँट टीम से मुलाकात होती है। इन तीनों इकाई का एक मात्र उद्देश्य मुकदमा अपराध सं0-124/2021, धारा-364 भारतीय दण्ड संहिता में पतारसी-सुरागरसी व बरामदगी की उम्मीद थी या तलाश थी। इसलिए उद्देश्य किसी का भी भ्रमित और अलग प्रकार का नहीं है। पुलिस का कार्यबल एकीकृत लक्ष्य की पूर्ति हेतु अग्रसरण था। यद्यपि कि किसी साक्षी ने थाने से चलने के समय को छोड़कर डिप्टी गंज और फिर मामन

चौकी, उसके बाद इन्द्रा कालौनी स्थित कथित इकबाल के घर तक पहुँचने के लिए समय को निश्चित नहीं बताया। वह सब लगभग के जैसा है, जिसमें किन्हीं ने तो याद नहीं का भी बहाना बनाया। आशय यह हुआ कि थाने से रवाना होकर डिप्टी गंज चौकी कितने समय पहुँच गये, कितने समय उन्होंने दूसरी टीम से मुलाकात करके मशवरा किया, फिर कितने समय के बाद वह मामन चौकी आये और कितने समय तक मशवरा किया और फिर मामन चौकी से कितने बजे वह बरामदगी स्थल के लिए निकले तथा कितने समय तक वह मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच गये। चूँकि मुखबिर मामन चुँगी पर मिला था। मामन चौकी रिपोर्टिंग चौकी नहीं है, इसलिए जी0डी0 नहीं चलती है। स्वाँट टीम प्रभारी की आमद कोतवाली नगर में नहीं है और वह कोतवाली नगर की जी0डी0 से संचालित नहीं होते तथा एक प्रकार का स्वतंत्र है। वह विवेचक नहीं है, बल्कि एक्शन ग्रुप को लीड करने वाला है। सूचना संवेदनशील, अपहृत की जान को खतरा, उसके लीक होने की संभावना, रात का समय, जब सामान्य आवागमन वाहन, लोगों की क्रियाशीलता, उद्यमता, रात के पहर में अत्याधिक कम होती है। इस कारण से अपने लक्ष्य की ओर जाकर बरामदगी करना सब से बड़ा उद्देश्य था। समय का आंकलन या स्थान-स्थान पर समय का नोट किया जाना न तो इन परिस्थितियों में संभव है और न किया जा सकता है या ऐसा किया जाना भी अपेक्षित नहीं होता कि प्रक्रियागत स्थिति को बनाते, संभालते हुए लक्ष्य की चिन्ता न करना, कदाचित तार्किक आधार नहीं होते हैं, इसलिए यदि किन्हीं गवाहान ने समय निश्चित को याद नहीं होना या बताने में असमर्थ रहे तो उससे यह इन परिस्थितियों में अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि वह कभी मुखबिर द्वारा बताये गये और ले जाये गये स्थान

पर नहीं पहुँचे थे। आपातकालीन सेवायें, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन, संचार की दुनिया, वाणिज्यिक औद्योगिक उत्पादन जैसे ऐसे रूप हैं, जहाँ समय 12–12 घंटे के अंतराल से नहीं मापा जाता है, बल्कि समय की ईकाई के रूप में निरंतर 24 घंटे को दिन–तारीख के तौर पर देखा जाता है। कोई भी तंत्र जिसमें विशेषकर पुलिस व इसी प्रकार के आपातकालीन सेवाओं में समय का मापन दिन का 24 घंटे रहता है, इसलिए यह समय प्रबंधन 24 घंटे के दिवस का सामान्य व्यक्तियों में दो भागों में विभक्त किया जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से सूर्योदय तक। यह वह भ्रम बनाता है जो इस मामले में अपहृत गौरव से हो रहा है। क्योंकि सूर्योदय के पहले घड़ी की सुई अंधेरे के आवरण में रात्रि का विस्तार है, जबकि 12 बजे के बाद दिवस में परिवर्तन हो जा रहा है। गौरव पी0डब्लू02 की बरामदगी का समय इन्द्रा कालौनी में स्थित कथित इकबाल के मकान से कितने बजे गये न तो यह फर्द प्रदर्श क-2 में उल्लेखित है और न ही किसी गवाह से यह समय तस्दीक किया गया। अपहृत गौरव को थाने ले जाया गया, इसको पी0डब्लू03, पी0डब्लू04 व पी0डब्लू06 तस्दीक करते हैं। पी0डब्लू02 भी कहता है कि वह थाने पुलिस की अभिरक्षा में गया था। फर्द प्रदर्श क-2 पर कोई हस्ताक्षर गौरव के नहीं हैं न ही गौरव तस्दीक करता है कि उसने कोई हस्ताक्षर फर्द पर बनाये हों। पी0डब्लू03, पी0डब्लू04 व पी0डब्लू06 भी तस्दीक नहीं करते कि गौरव के उन्होंने कोई हस्ताक्षर प्रदर्श क-2 पर बनवाये थे अथवा नहीं बनवाये तो क्यों नहीं बनवाये और अपहृत यह कहता है कि लिखा–पढ़ी थाना कोतवाली नगर में हुई थी, परंतु बचाव पक्ष या मुल्जिमान की ओर से इसी प्रश्न का स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं करते हैं कि कौन सी लिखा–पढ़ी थाने में उसके समक्ष हुई थी न ही कथित फर्द प्रदर्श

क-2 को दिखाकर पूछा गया कि क्या यही कागज आपके समक्ष तहरीर हुए थे और हस्ताक्षर अन्य लोगों के कराये थे अन्यथा मुल्जिमान की गिरफ्तारी उपरांत थाने में उनका दाखिला, हवालात, अदालती कागजात की तैयार जैसे और भी कार्य हो सकते हैं जो संभाव्य है कि गौरव के समक्ष पुलिस ने किये हों। जब तक प्रदर्श क-2 को दिखाकर, बताकर, समझाकर, पहचान बताकर तस्दीक नहीं किया गया, तब तक उक्त बयान के आधार पर यह मान लेना कि फर्द प्रदर्श क-2 थाने पर लिखी गयी, विरोधाभासी नहीं है। क्योंकि इसका दूसरा कारण यह है कि पी0डब्लू04 जो स्वाँट टीम प्रभारी शत्रुघन यादव है, वह स्पष्ट करता है कि वह अपहृत को थाना कोतवाली नगर पुलिस को सुपुर्द किया और उसके बाद वह कोतवाली नगर नहीं आया और अपने कार्यालय वापस चला गया तथा फर्द प्रदर्श क-2 पर अपने बने हस्ताक्षर को पहचानने, उसको उक्त स्थान पर लिखा जाना भी तस्दीक किया, इसलिए पी0डब्लू02 के बयानात से यह पुष्टि होती है कि जो भी थाने पर कार्यवाही हुई वह फर्द के अलावा कार्यवाही थी न कि कथित फर्द की कार्यवाही हो।

63:- विवेचक पी0डब्लू06 और कोतवाली नगर पुलिस की जो कार्यवाही है, उसमें दिनांक 04-02-2021 का उल्लेख है और सुबह 08:00 बजे गिरफ्तारी दिखायी है। पी0डब्लू01 और पी0डब्लू02 तस्दीक करते हैं कि अपहृत पी0डब्लू02 को पी0डब्लू01 ने थाने पर देखा था और वहाँ से वह उसे घर लाये थे। जहाँ उसके परिवार वालों को दिया गया था। घरवालों के साथ वकील नहीं आया था। इस संबंध में बचाव पक्ष की कोई योजना या प्रश्न नहीं है कि कितने बजे सुपुर्दगी ली गयी और ऐसी सुपुर्दगी की कोई लिखित में तहरीर दी थी या नहीं तथा गौरव को कितने बजे थाने से जाने दिया। यदि इस तथ्य स्पष्टतः नहीं

है, तब 08:00 बजे गौरव को घरवालों को सोंपना अथवा 08:00 बजे के बाद उसका जाना स्वयंमेव नहीं माना जा सकता। यह भी संभाव्य है कि परिस्थितिवश बरामदगी अपहृत की होने के बाद मुल्जिमान के संबंध में आवश्यक कार्यवाही रहते हुए अतिरिक्त पुलिस बल के साथ अपहृत को थाने भेजा गया हो और उसकी सुपुर्दगी उक्त समय के किसी समय पूर्व में कर दी गयी हो। इस कारण से दिनांक 03-02-2021 और 04-02-2021 का तात्त्विक विरोधाभास नहीं है, बल्कि पी0डब्लू02 की समझ, लोक व्यवहारिकता और परिस्थिति की विशेषता, अचानक, अंधेरा होना, घर परिवार से अनुचित रूप से दूर रहकर बंधक रहना, अचेतन जैसी अवस्था बने रहना जैसे कारक हो सकते हैं, जिससे इस प्रकार का तिथि का फेर कहा गया, जबकि वास्तविक ऐसा नहीं है। वैसे दफा-100 (4) जाब्ता फौजदारी उल्लेखित करती है कि मौके पर जन साक्षी होने चाहिए या उनको तलब कर लेना चाहिए, तब किसी स्थान विशेष की तलाशी लेनी चाहिए और उप धारा-5, 6 व 7 यह कहती है कि तलाशी में यदि कोई वस्तु बरामद हो तो उसकी फर्द या मेमो तैयार करनी चाहिए और गवाहों के हस्ताक्षर बनाकर उसकी एक प्रति उसको देनी चाहिए, तब जो मौके की फर्द प्रदर्श क-2 को ध्यान में रखा जाये तो तिथि की जो भिन्नता है, वह पी0डब्लू02 के बयान के आधार पर विरोधाभास जैसी होती है लेकिन इस धारा के अंतर्गत जो तलाश और वस्तु बरामदगी का तौर तरीका, हस्ताक्षर बनवाकर सूची देना यह सब देखा जाये तो प्रस्तुत मामले में मुल्जिमान के हस्ताक्षर और गवाहों के हस्ताक्षर भी बने हुए हैं। उक्त हस्ताक्षर किस प्रकार से उक्त कागजात पर बनवाये गये अथवा उक्त हस्ताक्षर किसी कोरे कागज पर या किसी दबाव में या किसी अन्यत्र उपयोग में लाये जाने हेतु डरा धमकाकर ऐसे हस्ताक्षर

बनवाये गये हों तब इस बाबत मुल्जिमान की प्रतिरक्षा की योजना स्पष्ट होनी चाहिए, वह नहीं होती है। इस कारण से केवल पी0डब्लू02 के द्वारा तिथि को लेकर जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है वह मुल्जिमान के द्वारा बने हस्ताक्षर तथा उस संबंध में कोई प्रतिरक्षा की योजना किसी गवाहान के बयान से प्राप्त न करने से भी पुष्टि होती है कि बरामदगी अवैध नहीं है। चूँकि पी0डब्लू02 के फर्द प्रदर्शक-2 पर कोई हस्ताक्षर नहीं बने हुए हैं, इसलिए उसके द्वारा यह कहना कि बरामदगी के संबंध में कार्यवाही थाना कोतवाली नगर पर हुई थी, वह संगत नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई कागज उसे दिखाया जाना चाहिए था, जो नहीं दिखाया गया। ऐसा कोई कागज उसे पढ़कर सुनाया जाना चाहिए था, जो नहीं सुनाया गया। तब यह मानना उचित नहीं है कि बरामदगी मनमानी है और जैसा मौके पर हुआ वैसा नहीं किया गया।

64:— मौके के स्थल इन्द्रा कालौनी को लेकर भी प्रश्न किये गये कि उसमें जो मकान था वह अकेला था, जिसमें ऊपर की तरफ एक रोशनदान था तथा एक गेट था, जबकि पी0डब्लू02 और पी0डब्लू04 उस कमरे के सहारे एक बरामदा होना भी बताते हैं। चारपाई को लेकर भी पी0डब्लू02 व पी0डब्लू04 परस्पर तस्दीक करते हैं कि चारपाई थी, जबकि पी0डब्लू03 और पी0डब्लू06 ऐसी कोई चारपाई के होने से इंकार करते हैं। यह तथ्य ध्यान में रखे जाने योग्य है कि स्वाॅट टीम का कार्य एक्शन का था और वास्तविक बरामदगी अपहृत की जिम्मेदारी विशेष रूप से उस पर थी और जो अपहृत जिस परिस्थिति में था, उसके लिए वह महत्वपूर्ण है, तब चारपाई और बरामदे के बाबत जो इन गवाहान का बयान है, वह परस्पर पुष्टिकारक है तथा अन्यत्र बरामदगी साक्षी पी0डब्लू03 व पी0डब्लू06 के द्वारा इस संबंध में

चारपाई का जो प्रश्न है, वह असंगत तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि साक्ष्य विधि अंतर्गत धारा-134 में सबूत की गुणवत्ता पर विश्वास करता है, उसकी संख्या पर विश्वास नहीं करता। इसके अलावा न्यायालय तथा भारतीय विधि शास्त्र का पहलू है कि घुन में से दाने चुगना और उस प्रकार के वैधानिक व्यवस्था से विपरीत है, जहाँ किसी एक तथ्य की स्पष्टतः या असत्य होने से पूरा कथन असत्य मान लिया जाता है। इस कारण से उतनी भिन्नता रहते हुए अभियोजन कथानक की अग्रिम कड़ी पूर्ण होती है।

65:- प्रस्तुत मामले में बरामदगी स्थल पर जाने के रास्ते, वाहन का उपयोग, उनका जी0डी0 में उल्लेख न होना, प्राईवेट वाहन का पी0डब्लू06 के द्वारा बताये जाने पर भी जो विरोधाभास का आधार लिया गया, वह तात्विक विरोधाभास में नहीं आता, क्योंकि किसी गंतव्य पर पहुँचने के तौर तरीके और उक्त जगह पर जो कार्यवाही हुई है, उसमें अंतर होने से या स्पष्ट न होने के कारण बरामदगी को उक्त के आधार पर झूठा मानना कदाचित उचित नहीं है। बरामदगी एक तात्विक तथ्य है, जिसकी पुष्टि बरामदगी साक्षी तथा पी0डब्लू02 करते हैं, जबकि रास्ते और वाहन के प्रकार एक औपचारिक विसंगति है, इसलिए यह तात्विक विरोधाभास का अंतर नहीं लेता और वाहन के प्रकार को लेकर इसी प्रकार से मुखबिर का गाड़ी से वापस आना तथा उसका मिलना तथा उसका विवेचक सहित स्वाँट टीम प्रभारी को बताने पर भी जो आशंका जाहिर की, वह भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि संज्ञेय अपराध की सूचना का विशिष्ट लक्षण मात्र अपराध का संज्ञेय होना है। उसमें क्या कौन होना चाहिए, यह न तो अपेक्षित होता है न इसका कोई प्रपत्र होता है, इसलिए मुखबिर द्वारा जो सूचना मिली उस पर जो कार्यवाही की गयी, जब ऐसे मुखबिर के संबंध में पुलिस को न

बताने की पूरी आजादी साक्ष्य अधिनियम प्रदान करता है, तब इस मुखबिर के विचलन को लेकर जो तार्किक तर्क बचाव पक्ष की ओर से हैं, वह भी औपचारिक विरोधाभास के तौर पर ही देखे जा सकते हैं, लेकिन तात्त्विक नहीं हैं।

66:— प्रस्तुत मामले में यदि साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अपराध की संरचना, योजना और उसको अंजाम देने के तौर-तरीके, किसी तथ्य को सुसंगत किसी आचरण के कारण हो जाना, मुल्जिमान का गठजोड़ होना यह साक्ष्य विधि के अध्याय-2 धारा-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 से पूर्णतया संगत होते हैं, जिसमें राजकुमार, भारत का वादी के मकान या अमर माया कालौनी में एक साथ रहना, लंबे समय से एक-दूसरे को जानना, वादी का गुजरात टाईल्स के नाम की दुकान से टाईल्स, पत्थर का व्यापार करना, रोज का उनकी दुकान का आना-जाना, मकान में सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना और तात्कालिक रूप से राजकुमार के द्वारा घटना के समय जानबूझकर तस्वीर वाली टाईल्स की बात करना और नीले रंग की बैलेनो कार में बैठे लोगों से जानकारी होना तथा पी0डब्लू02 गौरव को उसमें बैठने के लिए उत्प्रेरित अथवा विश्वास में लेना तथा गाड़ी में सवार अन्य मुल्जिमान द्वारा गौरव की सीट बदलना व प्रथमतः दुकान पर जाने का उद्देश्य बताकर भूड़ चौराहे से मजदूर को लेने की बात करना, फिर विरोध करने पर फोन से बात न करने देना तथा दबोचकर और नशीले पदार्थ का सेवन कराकर अनुचित प्रभाव में लेकर ऐसी अंजान रिहाईश में रखना जिसका कोई संबंध वादी अथवा अपहृत से नहीं था। फिर वहाँ पर राजकुमार की पत्नी कोमल तथा कालू की पत्नी अन्नू द्वारा देखभाल करना, इकबाल द्वारा खाने की व्यवस्था करना और मुल्जिमान का समय-समय पर आना-जाना तथा विवेचक को राजकुमार द्वारा

घटना के संबंध में कुछ भी स्पष्ट न करना, बल्कि राजकुमार और उसका लड़का भारत ने अपहृत की पहचान कराना, यह सब योजनागत, संगठित व्यवहार में लायी गयी सोच और उसके परिणाम में अपहृत को जबरन ले जाने तथा उसके सामने रूपों की माँग करना एक सिलसिलेवार क्रम में सुसंगत तथ्य हैं जो पूर्ण रूप से साबित हैं। बरामदगी में पी0डब्लू02 और पी0डब्लू04 गुणवत्तापूर्ण परिपुष्ट करते हैं और उसके सहायक तौर पर पी0डब्लू03 व पी0डब्लू06 तस्दीक करते हैं। पुलिस बल का इस प्रकार का नियोजन अपराध की स्पष्टतः देता है। इस प्रकार से घटना का कथानक साबित है। अरविन्द कुमार उर्फ निमीचन्द बनाम राजस्थान 2022 सी0आर0एल0जे0 374 एस0सी0 में मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई गवाह झूठा बयान करता है तो उसके पूर्ण बयान को झूठे के तौर पर नहीं देखा जाये बल्कि भारतीय विधि शास्त्र में गेहूँ को घुन से निकालने की युक्ति अपनानी चाहिए। यदि यह साक्ष्य में पृथक किया जाना संभव नहीं है, जिसके कारण उक्त साक्ष्य को असंभव बनाता हो तो स्वाभाविक होगा कि उसको अपेक्षित किया जाये। उक्त सिद्धांत सर्तकता का स्थान ले चुका है। असमानता के प्रकार को देखना चाहिए। यदि विरोधाभास तात्विक है, जिससे साक्षी की विश्वसनीयता न्यायालय के मनास्तक में यह बनती है कि उसे कुछ भी पृथक संभव नहीं है, तब अविश्वास किया जा सकता है अन्यथा नहीं।

67:— यदि प्रस्तुत मामले में परिस्थितियाँ देखी जायें तो पी0डब्लू01 ने कानूनी प्रक्रिया को जरिये प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराकर आरंभ की। पी0डब्लू02 अपहृत है, जिसने अपने आप को कैसे, किसने अपहरण किया और कैसे, कहाँ रखा तथा उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया तथा किस प्रकार की फिरौती उसके सामने

मॉगने की बात कही गयी। उक्त विश्वसनीय होने के नाते जब पी0डब्लू03, पी0डब्लू04, पी0डब्लू06 उसकी बरामदगी करते हैं तो वह स्थापित कर देता है कि जो अपहृत हुआ था, उसको उन्होंने कथित इकबाल के मकान से बरामद किया तथा तेजवीर जो तत्समय मकान में था, कूदकर भाग गया, जिसे पी0डब्लू02 ने स्पष्ट बयान में कहा कि तेजवीर गाड़ी में बैठा था तथा उसने फिरौती की मॉग उसके सामने की थी। तेजवीर के भागने का जो तरीका है, वह पी0डब्लू03 बताता है कि कमरे से निकलकर छत से जाकर कूदा था, जबकि अन्य बताते हैं कि वह छत पर था और पुलिस को देखकर कूदा। यह भी कहता है कि आंगन में छत पर चढ़ने के लिए रास्ता था, जिससे भागा। उक्त तेजवीर यद्यपि कि मौके से बरामद नहीं हो सकी, उसके पीछे पुलिस कर्मचारी भी गये, लेकिन वह नहीं पकड़ा गया, लेकिन बैलेनो गाड़ी रंग नीले में तेजवीर की उपस्थिति ऐसी थी कि पी0डब्लू02 के बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होता है।

68:— पी0डब्लू01 यद्यपि कि पिता है और पी0डब्लू02 उसका पुत्र है। पी0डब्लू01 को हितबद्ध साक्षी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी। पुत्र के दुकान पर न पहुँचने पर अपहरण की आशंका व्यक्त की गयी। यही उसके बयानात में कहा गया है, इसलिए उस पर पिता होने के नाते हितबद्ध का आरोप लगाया जाना सही नहीं है। वैसे भी ए0आई0आर0 1953 एस0सी0 364 दिलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए0आई0आर0 2019 एस0सी0 (किमिनल) 1110 लल्लूभोज बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में हितबद्ध साक्षी के संबंध में कहा गया कि यदि उससे यह जाहिर नहीं होता है कि मुल्जिमान को फंसाकर या दण्डित कराकर उसका क्या फायदा होगा। प्रस्तुत मामले में बचाव पक्ष की ओर से यह गवाहान से

पूछा गया कि वादी टाईल्स का गोदाम वादी अपने मकान में बना रखा था, उसे जगह की आवश्यकता था तथा वह राजकुमार का मकान खरीदना चाहता था, इसलिए झूठा आरोपित किया है। यह दलील इसलिए उचित नहीं है क्योंकि पी0डब्लू01 व पी0डब्लू02 यह मानते हैं कि वह 10–12 साल से उसी कालौनी में साथ–साथ रह रहे हैं। उनके बीच कोई मुकदमेबाजी नहीं है। किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है, बल्कि पी0डब्लू02 तो अभियुक्त राजकुमार की किराने की दुकान पर पैसे छुट्टे कराने गया, जो एक सद्भाविक, सहचर और पड़ोस के आचरण में आता है। फिर राजकुमार का मकान वादी के मकान से लगा हुआ नहीं है। ऐसी कोई आवश्यकता वादी के बयान से या पी0डब्लू02 के बयान से नहीं हुई कि उन्हें ऐसी कोई मकान की जरूरत थी और उसे येन–केन–प्रकारेण राजकुमार को परेशान करके मकान लेना चाहते हों या कोई पैसे उसे उधार दे रखा हो या जबरन ले रखा हो, तब राजकुमार, उसका पुत्र भारत और पत्नी कोमल को अनुचित रूप से नामित करना और उसका फल प्राप्त करने का आशय नहीं मिलता। इस कारण से हितबद्ध के तर्क और तथ्य युक्ति–युक्त नहीं हैं।

69:— पुलिस को लेकर भी प्रश्न किये गये। बरामदगी में वही एक मात्र गवाह हैं, जनता के लोग जब मौके पर आ गये तो उनको गवाह न बनाने का प्रश्न पुलिस साक्षीगण से किये ये तो उनका उत्तर आया कि जनता के लोगोंसे गवाही को कहा गया, परंतु वह बिना नाम बताये चले गये। इस कारण से उनकी विश्वसनीयता खंडित हो जाती है। इस बाबत यह स्पष्ट करना है कि पुलिस साक्षी का होना कोई कानूनी वर्जना नहीं है, बल्कि एक सतर्कता का नियम अवश्य है। ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 3344 प्रमोद कुमार बनाम दिल्ली राज्य में साक्ष्य

अधिनियम की धारा-3 को उल्लेखित करते हुए कहा कि पुलिस गवाहान पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनकी विश्वसनीयता अविश्वसनीय न हो और यदि न्यायालय विश्वसनीयता पाता है तो उस पर विश्वास कर सकते हैं। प्रस्तुत मामले में तो स्थिति यह है कि पी0डब्लू04 स्वाॅट टीम प्रभारी आकामक इकाई, अपहृत की बरामदगी का लक्ष्य तथा कोतवाली नगर की पुलिस का लॉजिस्टिक सपोर्ट तथा पुलिस द्वारा अपने सूचना स्रोत पर विश्वास करना, अंधकार में इन्द्रा कालौनी थाना क्षेत्र कोतवाली देहात जाकर दबिश दी गयी, जहाँ से अपहृत सहित मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इन पुलिस कर्मियों की कोई भी पूर्ववत् रंजिश, द्वेष, भेदभाव, प्रताड़ना, शोषण, शिकायत, घरेलू जैसे विवाद नहीं हैं, तब बरामदगी के संबंध में जो कि स्वयं में भी मामले का पीड़ित है, उसके बयानात से पुलिस कार्यवाही की पुष्टि स्वतंत्र रूप से होती है। फिर इन पुलिस कर्मियों द्वारा आपस में परिपुष्ट होकर बरामदगी करके कार्यवाही को सफल बनाया है, तब इन पर विश्वास का कारण वाजिब है और अविश्वसनीय तौर पर नहीं देखा जा सकता।

70:- पी0डब्लू02 ने हाजिर अदालत मुल्जिमान को तस्दीक किया कि यह वही लोग थे, जो उसका अपहरण करके ले गये और देखरेख की अनुचित माॅग की और अनुचित व्यवहार भी किया। पुलिस गवाहान से यह पूछा गया कि अपहृत अदालत में नहीं है, जिससे शिनाख्त नहीं हो सकती। अपहृत ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी पुलिसकर्मी द्वारा शिनाख्त अपेक्षित हो। अपहृत स्वयं का पीड़ित और जीवित मानव है, जिसने अपने साथ हुए हादसे को साबित किया, जो विश्वसनीयता की श्रेणी में हैं। उसकी शिनाख्त किसी पुलिस कर्मी से होने के कोई मायने नहीं हैं। उसके द्वारा मुल्जिमान की पहचान

अदालत में की है और यह भी बताया कि यही वह लोग थे, जो उसको अपने कब्जे में बनाये हुए थे। इन्हीं मुल्जिमान में से तेजवीर को छोड़कर अन्य को पी0डब्लू03, पी0डब्लू04 व पी0डब्लू06 ने मौके से गिरफ्तार किया तो कोई ऐसी शिनाख्त की आवश्यकता नहीं है, जो अपेक्षित हो। ऐसे किसी मुल्जिमान के संबंध में विशिष्टता को लेकर प्रश्न भी नहीं किये कि ऐसा मुल्जिम बोल-चाल, कद, काठी, रहन-सहन, उत्तेजित स्वभाव, अपंगता, लाक्षणिक शारीरिक दुर्बलता हो, जिसे पूछा गया हो और जिसे पी0डब्लू02 बताने में असफल रहा हो, इसलिए उक्त गवाह द्वारा जो मुल्जिमान की पहचान की गयी, वह अपने में पूर्ण है। तेजवीर का मौके से भाग जाना अपराध की संलिप्तता से दूर नहीं ले जाता, बल्कि यह वह व्यक्ति है, जो अपराध की योजना में प्रारंभिक तौर पर असली जामा पहनाने में भूमिका अदा की है।

71:— **ताखाजी हीराजी (2001) 6 एस0सी0सी0 145** के मामले में तात्विक गवाह के बारे में बताया गया कि वह ऐसा होता है कि जो कि घटना के शुरुआत को स्पष्ट करे और वह अभियोजन केस के लिए आवश्यक हो और ऐसे किसी गवाह को परीक्षित न कराया जाये तो अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल आशय लगाया जायेगा। प्रस्तुत मामले में पी0डब्लू02 तात्विक साक्षी है, जो परीक्षित हुआ है। दुर्गाप्रसाद कथित फूफा परीक्षित नहीं हुआ है, वह तात्विक साक्षी में नहीं आता। पी0डब्लू01 ने मामले की रपट लिखायी, वह भी पी0डब्लू02 की हैसियत नहीं रखता। पी0डब्लू04 सुधीर कुमार त्यागी बरामदगी के बाबत तात्विक साक्षी है। पी0डब्लू03 व पी0डब्लू06 बरामदगी की कार्यवाही को कागजी रूप में उतारना, लिखने सहित बरामदगी के बाबत महत्वपूर्ण है। पी0डब्लू02 और पी0डब्लू04 के बयानात की परस्पर पुष्टि है। पी0डब्लू03 व पी0डब्लू06 के बयानात में जो एकरूपता है, जिसे

कथित रूप से अस्पष्टीकरण और विरोधाभास पी0डब्लू02 और पी0डब्लू04 के बयान से बताया जाता है, वह तात्विक प्रकार का नहीं है। 28 के लगभग पुलिस कर्मी थे, सभी बरामदगी में शामिल थे। उनमें से सब को परीक्षित नहीं कराया गया और न ही ऐसा अपेक्षित है और धारा-134 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संख्या अपेक्षित नहीं होती, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। इस कारण से तात्विक साक्षी को परीक्षित न कराया जाना प्रतिकूल रूप से देखा जा सकता है।

72:- इस मामले में नक्शा नजरी को लेकर भी विसंगति उठायी गयी। पी0डब्लू06 जहाँ एक ओर कहता है कि उक्त नक्शा वादी की निशानदेही पर बनाया गया, जबकि वादी पी0डब्लू01 कहता है कि उक्त नक्शा उसकी निशानदेही पर नहीं बनाया गया। यदि इस तथ्य को इसी रूप में देख लिया जाये तो **ए0आई0आर0 2004 एस0सी0 2729 पृथ्वी बनाम मामराज** के मामले में कहा गया कि यदि नक्शा नजरी अविश्वसनीय पाया जाये, तब वह कोई आधार चक्षुदर्शी साक्षी की विश्वसनीयता को खंडित करने के लिए नहीं हो सकता। इसलिए तर्क के तौर पर यही माना जाये कि वह नक्शा गलत है या मौके के अनुसार नहीं है क्योंकि वादी का घर फुटेज के आधार पर जानकारी जुटाना, वादी का खोजना-भागना, परेशान रहना, विवेचक की अपनी समझ की कार्यवाही को भी अविश्वसनीय तौर पर नक्शा माना जाये तो पी0डब्लू01 की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है।

73:- **लीलाराम बनाम हरियाणा राज्य ए0आई0आर0 1992 एस0सी0 3717, सुगलघोराई बनाम पश्चिम बंगाल 2013 ए0आई0आर0 एस0सी0डब्लू0 3637** में गवाहान के बढ़ा-चढ़ाकर मामले को स्पष्ट किया गया और यह कहा गया कि यह अनवरत बताता है कि गवाह बढ़ा-चढ़ाकर बोलता है तथा न्यायालय उसका संज्ञान लेता है, लेकिन यह तय किया

गया कि उसके आधार पर गवाह की विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। यदि उक्त गवाह तात्विक पक्ष में अन्य साक्ष्य के द्वारा परिपुष्ट होता है। प्रस्तुत मामले में फिरौती की रकम समय को जानबूझकर छिपाना, मोबाईल नंबर, सी0डी0आर0 और उसकी लोकेशन के बाबत स्पष्ट तहरीर न करना, कथित सी0डी0 का अदालत में चलने योग्य नहीं पाया जाना अथवा धारा-65बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत प्रमाण पत्र न होना या पी0डब्लू06 द्वारा साक्ष्य संकलन में कोताही बरतना, गवाह पी0डब्लू02 तथा पी0डब्लू03, पी0डब्लू04, पी0डब्लू06 के द्वारा मकान की ऊँचाई, दीवारों का रंग, लैट्रीन का होना न होना, तेजवीर का अनुचित उपक्रम करते हुए भागने की आशंका और चारों ओर से मकान को घेरने के बावजूद भागने में सफल होने जैसे तर्कों को यह माना जाये कि यह जानबूझकर छिपाये या बढ़ाये गये हैं तो इनको यदि नकारात्मक रूप से भी देखा जाये तो दिनांक 01-02-2021 समय 10:05 बजे के बाद पी0डब्लू02 को जबरन कब्जे में लेकर उसे उसके स्थान पर ले जाने के बजाये अन्यत्र ले जाया जाना और पी0डब्लू02 का उक्त जगह मिलना, पी0डब्लू01 द्वारा उसके पुत्र का दुकान या घर पर न होना या इकबाल जैसे रिश्तेदार से दूर की पहचान न होना, पी0डब्लू04 अपहृत की बरामदगी की सफलता में निमित्त कार्यवाही करने और पी0डब्लू03 और पी0डब्लू06 का दबिश में शामिल होना, पुलिस बल की 28 से अधिक संख्या होना, रात के समय अंधेरे में तिथि को लेकर यह नहीं कहा जा रहा है। इन्द्रा कालौनी में जाकर अपहृत की बरामदगी करके दिनांक 03/4-02-2021 को उसके घर, परिवार को सोंप देने के बाबत जो सबूत हैं, वह विश्वसनीय प्रकार का है, जिसमें अविश्वास का कारण नहीं है और इसको बढ़ा-चढ़ाकर देखने के तर्क के तौर पर देखना अनुचित मानना

भी युक्ति-युक्त नहीं होता है तदानुसार गवाहान की विश्वसनीयता पुख्ता है।

“(1) By and large a witness cannot be expected to possess a photographic memory and to recall the details of an incident. It is not as if a video tape is replayed on the mental screen.

(2) Ordinarily it so happens that a witness is overtaken by events. The witness could not have anticipated the occurrence which so often has an element of surprised. The mental faculties therefore cannot be expected to be attuned to absorb the details.

(3) The powers of observation differ from person to person. What one may notice, another may not. An object or movement might emboss its image on one person's mind, whereas it might go unnoticed on the part of another.

(4) By and large people cannot accurately recall a conversation and reproduce the very words used by them or heard by them. They can only recall the main purport of the conversation. It is unrealistic to expect a witness to be a human tape-recorder.

(5) In regard to exact time of an incident, or the time duration of an occurrence, usually, people make their estimates by guess-work on the spur of the moment at the time of interrogation. And one cannot expect people to make very precise or reliable estimates in such matters. Again, it depends on the time-sense of individuals which varies from person to person.

(6) Ordinarily a witness cannot be expected to recall accurately the sequence of events which takes place in rapid succession or in a short time span. A witness is liable to get confused, or mixed up when interrogated later on.

(7) A witness, though wholly truthful, is liable to be overawed by the court atmosphere and the piercing cross-examination made by counsel and out of nervousness mix up facts, get confused regarding sequence of events, or fill up details from imagination on the spur of the moment. The subconscious mind of the witness sometimes so operates on account of the fear of looking foolish or being disbelieved though the witness is giving a truthful and honest account of the occurrence witnessed by him-Perhaps it is a sort of a psychological defence mechanism activated on the spur of the moment.”

74:- जैसा कि बिन्दु सं०-6 में उल्लेखित है कि सामान्यतः गवाह से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह घटना के क्रम को पूर्ण रूप से याद रखे, जो तत्समय एक निरंतर त्वरित क्रम में हुआ है और वह समय की अवधि भी कम है। इसमें गवाह का भ्रमित होना अथवा उनका अन्य से मिश्रित हो जाना बाद में संभव है। इस तार्किक बिन्दु को प्रस्तुत मामले में पी०डब्लू००२ की बरामदगी के बाबत पी०डब्लू००३, पी०डब्लू००४, पी०डब्लू००६ के बयानात को इस रूप में देखा जाये तो यह घटना के बाबत स्पष्टतः होती है कि बरामदगी के बाबत जो रात्रि ०४-०२-२०२१ की अंधेरा ०२:०० बजे के पश्चात् का समय है, उस क्रम में अपहृत को बरामद करना एक प्रकार से निरंतर क्रम का चलते रहना है और यह कार्यवाही गोरिल्ला तथा दबिश जैसे पर्याय की

थी। इसमें पी0डब्लू02 को लेकर जो भिन्नता पी0डब्लू03, पी0डब्लू04 व पी0डब्लू06 से बतायी जा रही है, वह वास्तविक नहीं है। इसके अलावा जो बरामदगी के बाबत लिखा-पढ़ी का प्रश्न है कि पी0डब्लू02 ने उसको थाने पर होना बताया, परंतु फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी प्रदर्शक-2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं न उसको उक्त फर्द दिखाकर-पढ़ाकर यह पूछा गया कि यही बरामदगी थाने में लिखी थी या नहीं न ही इस संबंध में कोई सूचक प्रश्न हैं, तब यह मान लेना कि इसमें अंतर्विष्ट तथ्यों को वह समावेश कर लेना तिथि का उल्लेख दिनांक 04-02-2021 की जगह 03-02-2021 बता रहा है, महत्वपूर्ण व तात्विक हो जाता, जो इस मामले में यथार्थ रूप से प्रदर्शक-2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं बने हैं। उसको कोई कागज नहीं दिखाया गया है, इसलिए बरामदगी को लिखा-पढ़ी के अनुसार व समय के साथ पी0डब्लू02 की सत्यता गलत नहीं मानी जा सकती।

75:- इस कारण से उपरोक्त विधान से यह भी स्पष्ट है कि से चलचित्र की भांति घटनाक्रम की एकरूपता, वृत्तान्त को हुबहू न्यायालय में बयान नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति विशेष की मानवीय क्षमता पर निर्भर करता है। इस कारण से जो विसंगति किन्हीं गवाहान के बयान के अंदर परस्पर जान पड़ती है, वह मानवीय इन्द्रिय की ग्राह्यता पर निर्भर है, इसलिए यह कहना कि इसने ऐसा बताया, उसने ऐसा बताया, उसने तथ्य के संबंध में ऐसा बताया तथा कोई अन्य कुछ वैसा बता रहा है, यह उचित रूप से नहीं देखा जा सकता, जबकि समय के साथ तथ्य के बखान में परिवर्तन संभव है, लेकिन मूल अपराध के तात्विक तथ्य गवाहान के बयानात से एक-दूसरे से परिपुष्ट करते हैं, इसलिए किसी चलचित्र के रूप में उनका उल्लेख न होने से उनकी भिन्नता के रूप में नहीं होता न ही वह एक-दूसरे के विपरीत इस

प्रकार से पाया जाता है, जिस प्रकार से अविश्वसनीय माना जा सके। जैसे कोई दिवस के 12 बजे को ग्रीष्मकालीन में रात कहे और इन्द्रिय रूप से वह समर्थ और साध्य हो तथा दूसरा उसको उसी प्रकार से बयान करे, जिस प्रकार का दिन, महीना, मौसम है तो कहने को यह बयान एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं और दोनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा नहीं है जिसने उक्त घटना को जैसा कि कथानक है, उक्त के सापेक्ष स्पष्ट किया है तथा ऐसा अंधकार न होने का कारण भी बताया है वह प्राकृतिक तौर पर ऐसी चीजें संभव भी नहीं हैं, तब सामान्य व्यक्ति का उक्त कथन विश्वसनीय होगा और गलत बताने वाले नकारात्मक व्यक्ति के होने पर भी अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता।

76:— इस मामले में एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह भी रखा गया कि पी0डब्लू02 ने कथित तौर पर नशीला पदार्थ, नशीले दूध का सेवन करना बताया, परंतु इसका कोई मेडिकल नहीं है न ही सबूत है। यह भी कहा कि जब उसे कथित रूप से भोजन दिया जाता था तो कभी लैटीन, बाथरूम नहीं ले जाया गया, यह स्वाभाविक नहीं होता, इसलिए कपड़ों के एक प्रकार से रहना, कोई वस्तु न तो अपहृत के पास से बरामद होना, न ही किसी अभियुक्त के पास से कोई वस्तु बरामद होना, यह सब घटना को सशक्ति करते हैं। प्रस्तुत मामले में अपहृत का मेडिकल हुआ था, परंतु मेडिकल परीक्षण में कथित प्रकार की कोई जाँच नहीं की गयी। लेकिन इसके पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अचेतन या अर्द्धविक्षिप्त नशीले पदार्थ का सेवन जीवित रखने के लिए सीमित मात्रात्मक भोजन देने के कारण जो नितक्रिया है, वह शिथिल रहती है, क्योंकि पाचन अपने नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहे होते हैं, फिर भोजन की क्या मात्रा थी और कितनी थी तथा

कब—कब कितनी दी जाती रही। महिलाओं को अपहृत के सामने बिठाकर रखना, यह सब वह स्थितियाँ हैं, जो पी0डब्लू02 के बयानात की मादक सेवन के प्रभाव को अनदेखा नहीं करती। इस कारण से यह आपत्ति निराधार प्रकार की है।

77:— मुल्जिमान की जो घटना में भूमिका है, वह इस प्रकार की है कि बैलेनो कार उक्त में सवार इकबाल, तेजवीर, देवेन्द्र कालू। उक्त लोगों ने उक्त कार से पी0डब्लू02 को अपहृत किया, जिसको राजकुमार और उसके पुत्र भारत ने पहचान करायी। कालू की पत्नी अन्नू और कोमल ने इकबाल के कथित मकान में रहकर नियमित निगरानी की, जहाँ पर मुल्जिमान का आना—जाना रहा। इनकी भूमिका सक्रिय तौर पर पी0डब्लू02 ने स्पष्ट की है। पी0डब्लू04 ने बरामदगी को तस्दीक किया है। मुल्जिमान का वादी अथवा उसके किसी घर, परिवार, रिश्तेदार से कोई जान—पहचान, निवास का संबंध नहीं है। जबकि राजकुमार ने उक्त बैलेनो सवार की पहचान पी0डब्लू02 की करायी थी। इसलिए जो भूमिका, जिसको जैसी निर्धारित थी, वैसी निभायी गयी और यह लगातार वैसी ही रही, इसलिए इस भूमिका में मुल्जिमान का एक क़म भी है, आपसी परस्पर समन्वय भी है और अपने अनुचित उद्देश्य की प्राप्ति की आशा है, जो निराशा में बनी रही, क्योंकि कोई फिरौती की रकम नहीं दी गयी। बैलेनो कार अपहृत के बरामदगी स्थल से बरामद हुई है, उक्त गाड़ी का कोई सीधा संबंध मुल्जिमान से नहीं है, बल्कि उक्त गाड़ी अभियुक्त देवेन्द्र के भाई के नाम पंजीकृत है, जिसको देवेन्द्र अपने उपयोग में लाया और यह उसके मालिक की जानकारी में नहीं थी और ऐसे ही वह गाड़ी बरामद हुई, जिसको न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा अपने आदेश दिनांकित 15-07-2021 के द्वारा अवमुक्त की गयी। उक्त

अवमुक्ति का आदेश न्यायिक आदेश होने के नाते साक्ष्य में ग्राह्य होता है।

78:— मुल्जिमान ने अपने बचाव में धारा-233 (2) के अंतर्गत लिखित कथन और मौखिक बयानात डी0डब्लू01, डी0डब्लू02, डी0डब्लू03 व डी0डब्लू04 के अंकित कराये। बचाव साक्ष्य के संबंध में यह स्पष्ट है कि जिस प्रकार से अभियोजन साक्षी का विवेचन किया जाता है, वैसे ही उनका भी विवेचन किया जावेगा। यदि लिखित तौर पर जो कथन मुल्जिमान की ओर से प्रस्तुत हैं, उसमें यह बताने की कोशिश की गयी कि घटना को तत्समय वह लोग मौके पर नहीं थे, बल्कि अन्यत्र कहीं जगह थे और पुलिस ने उनको असमय उठाया, उनके फोन नंबर पर कॉल करके बुलाया। इस प्रकार से उनको आरोपित कर दिया गया। मौखिक बयानात में यह कहा गया कि मुल्जिमान तत्समय घटनास्थल पर नहीं थे, बल्कि उन्हें पुलिस ने उठाया है। यह बयानात प्रतिरक्षा के उस आधार पर तो उचित हैं कि पुलिस ने उनको बुलाकर झूठा फंसाया हो, परंतु उस संबंध में तात्त्विक साक्ष्य की अपेक्षा है, वह नहीं है, जिसमें पुलिस उनको बुलाकर अथवा घर से उठाकर ले गयी तो तत्समय उनकी ओर से ऐसी कोई लिखित या ऐसी कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या मानवाधिकार आयोग को तत्काल दी गयी हो अथवा किसी थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी हो अथवा उन मुल्जिमान का जिस जगह पर होना बताया जा रहा है, उस जगह की बाबत कोई वैज्ञानिक साक्ष्य, सी0सी0टी0वी0 फुटेज मय प्रमाण पत्र 65बी दाखिल किया गया हो, जिससे घटना के दौरान घटना के समय वह तत्समय वहाँ नहीं थे, बल्कि उनको शनैः शनैः, देर सवेर लेकर एक साथ लगा दिया, जब ऐसी कोई स्थिति नहीं है तो सफाई साक्ष्य पर अभियोजन

साक्षी की विश्वसनीयता खंडित नहीं होती। इसके अलावा जिस प्रकार की स्थिति है, जिसको प्रतिरक्षा के दौरान अपने संबंध में ली। इस प्रकार की योजना अभियोजन साक्षी की प्रतिपरीक्षा में दृष्टिगोचर नहीं होती है बल्कि 2002 (45) ए0सी0सी0 630 तरूण गोरा बनाम आसाम राज्य व 1987 (1) काईम्स 386 राकेश कुमार बल्ली बनाम हरियाणा राज्य के मामले में सुझाव के आधार पर यह कहा गया कि यदि घटना के समय चक्षुदर्शी साक्षी ने मुल्जिमान को पहचान लिया और उस संबंध में कोई प्रतिपरीक्षा उस बिन्दु पर नहीं की गयी कि वह स्थान अंधेरा था या बिजली का बल्ब फ्यूज था, तब उक्त तथ्य को नासाबित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से 2002 (45) ए0सी0सी0 360 में कहा गया कि जो सूचक प्रश्न किये जायें और उससे सकारात्मक तथ्य साबित होते हों तो उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। प्रस्तुत मामले में प्रतिपरीक्षा के दौरान जो प्रश्न हैं, उससे कहीं भी यह आश्यातित नहीं होता कि मुल्जिमान द्वारा घटना के समय घटना न की गयी हो अथवा उनकी गिरफ्तारी बरामदगी स्थल पर कथित समय न हुई हो, तब उक्त प्रश्न के सूचनात्मक होने के कारण अभियोजन कथानक झूठा नहीं होता है, बल्कि अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। इन आधार और परिस्थितियों में अभियोजन कथानक संदेह के परे साबित होता है। सफाई साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा मेडिकल भी सूची से दाखिल किये गये। उक्त कागजात यह कदापि साबित नहीं करते कि मुल्जिमान का उक्त दवाखाने अथवा अस्पताल, मरीज के साथ क्यों रहना, तीमारदारी करना, निरंतर वहीं बने रहना, कोई बिल उसके नाम से होना, इसलिए उक्त मेडिकल प्रपत्र सफाई साक्ष्य के संबंध में अभियुक्त की दोषमुक्ति कराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

79:— अन्य जो औपचारिक विरोधाभास हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं

तथा उनका होना स्वाभाविक होता है। **कृष्णामोची बनाम बिहार राज्य ए0आई0आर0 2002 एस0सी0 1965** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी प्रकार के बयानात में औपचारिक परिवर्तन होने के कई कारण होते हैं, जिसमें याद्दाश्त, समय का अधिक हो जाना, मानसिक दशा, घटना के समय डर, भय और तात्विक विसंगति वह होती हैं जो सामान्य नहीं होती तथा उससे किसी सामान्य व्यक्ति से होना अपेक्षित नहीं होता। इसी बाबत न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह उनका वर्गीकरण करे कि सामान्य विसंगति में गवाह की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है, जबकि तात्विक विसंगति में ऐसा होता है। इसी प्रकार से जो हितबद्ध साक्षी के बारे में कहा गया कि उसका बयान केवल इसी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। यदि बयानात में सत्य है और उक्त सबूत विश्वसनीय हैं तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। **भगलूलोध बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 2292** में उल्लेखित किया गया है। प्रस्तुत मामले में जो पी0डब्लू01 और पी0डब्लू02 पिता-पुत्र और पी0डब्लू03, पी0डब्लू04 व पी0डब्लू06 पुलिस साक्षी होने के नाते हितबद्धता का जो आधार है, वह उनकी विश्वसनीयता के बाबत पर्याप्त नहीं होता न ही कोई तार्किक विसंगति है जिससे अविश्वास किया जा सके।

80:— यदि मुल्जिमान के बयान अंतर्गत धारा-313 जाबता फौजदारी में घटना, परिस्थिति तथा गवाहान के बाबत पूछे गये प्रश्नों के उत्तर को देखा जाये तो उसमें सब गलत बताया गया है, परंतु इकबाल के कथित मकान इन्द्रा कालौनी में उनकी उपस्थिति, अपहृत का वहाँ होना और वहाँ से बरामद होना, इसके बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जहाँ तक फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी प्रदर्श क-2 पर बने

हस्ताक्षर का विषय है तो उनको भी सही नहीं के रूप में जवाब दिया, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त हस्ताक्षर क्यों और कहाँ, कैसे, किसने, किस प्रकार से, कब, किन परिस्थितियों में उससे बनवाये अथवा उसने बनाये। पुलिस साक्षी सहित तात्विक साक्षीगण से कोई पुरानी रंजिश, विवाद, मुकदमेबाजी के भी तथ्य से इंकार किया है, उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि जब उनसे पूर्ववत् कोई रंजिश नहीं है तो उनके संबंध में उक्त बयान का औचित्य क्या है। जहाँ तक बचाव पक्ष में जो सबूत पेश किये गये, वह इस बात का है कि वे घटनास्थल से इंकार करके नया सबूत गढ़ना है, परंतु उक्त सबूत न तो युक्ति-युक्त साबित है और न उसे किया गया है। इस कारण से वह विश्वसनीय नहीं होता है तदानुसार अभियोजन कथानक संदेह के परे साबित है।

81:— अभियुक्तगण पर आरोप है कि धारा-364ए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत उन्होंने अपहृत गौरव का व्यपहरण फिरौती के लिए अनुचित तरीके से कर उसको जान से मारने की धमकी देना या उसे ऐसी उपहति में रखना अथवा उनके आचरण से इस प्रकार का आशय हो जाना कि उनको उसके लिए मॉगपूर्ति की जाये। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, श्रीमती अन्नू, इकबाल, भारत, श्रीमती कोमल कुमारी, तेजवीर ने संयुक्त रूप से यह अपराध किया है। पी0डब्लू01 ने अपने लड़के गौरव को घर से दुकान के लिए जाना और दुकान तक न पहुँचना तथा फोन से चीखने-चिल्लाने की आवाज के तथ्य को तस्दीक करते हुए यह कहा कि कथित मौसा दुर्गाप्रसाद के फोन पर कॉल आयी थी तो दुर्गाप्रसाद ने उसे बताया था कि रूपयों का इंतजाम करो। यद्यपि कि दुर्गाप्रसाद का बयान अभियोजन ने नहीं कराया, परंतु पी0डब्लू02 अपहृत ने घटना

के शुरुआत से लेकर अंत तक स्पष्ट करते हुए साबित किया कि वह घर से दुकान के लिए निकला और रूपये खुलाने के लिए वह राजकुमार की दुकान पर गया, वहाँ उससे राजकुमार व भारत ने तस्वीर वाली टाईल्स की बात की और उसी समय नीले रंग की बैलेनो गाड़ी घर की तरफ से आयी। उनकी राजकुमार ने पहचान करायी, दुकान का पता बताया, मालिक के तौर पर भी गौरव को बताया तथा उनके साथ जाने को कहा। उक्त गाड़ी में चार व्यक्ति थे, जिसमें इकबाल, तेजवीर, देवेन्द्र व कालू उर्फ घनेन्द्र थे। राजकुमार व भारत ने पहचान कराते समय तथा गाड़ी में बिठाते समय सक्रिय सहयोग किया था। उक्त गाड़ी पी0डब्लू01 और पी0डब्लू02 की दुकान गुजरात टाईल्स पर न जाकर अन्य स्थान पर ले जायी गयी और यह जबरन किया गया तथा पी0डब्लू02 को कॉल पी0डब्लू01 पिता को नहीं करने दिया गया। इससे इतना साबित हो गया कि पी0डब्लू02 को जबरन गाड़ी में ले जाया गया। जहाँ तक फिरौती की माँग का विषय है तो मारपीट असलाह लगाकर तीस लाख रूपये की माँग की और उक्त माँग तेजवीर ने पी0डब्लू02 के फोन से की थी, इसलिए यह उनके आचरण से स्पष्ट हो गया कि पी0डब्लू02 को किसलिये वहाँ से लिवा ले गये और उससे क्या करना अपेक्षित था तथा उसकी माँग किस प्रकार की थी। अनुचित असलाह का होना उस स्थिति को भी स्पष्ट करता है जिसमें कोई भी क्षति जीवन को खत्म करने की हो सकती थी। इस प्रकार से अपराध अंतर्गत धारा-364ए भारतीय दण्ड संहिता का गठन और उसके बाबत अभियोजन साक्ष्य पी0डब्लू01 व पी0डब्लू02 के अलावा पी0डब्लू03, पी0डब्लू04 व पी0डब्लू06 भी परस्पर कथन करते हैं कि अपहृत को उन्होंने इकबाल के मकान से बरामद किया, जहाँ पर इनके अलावा दो महिलायें श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल भी

थीं। इन महिलाओं का संबंध उनके पति राजकुमार व कालू से था। इस प्रकार से साक्ष्य की पर्याप्तता थी। तेजवीर का मौके से भागना पर्याप्त रूप से यह दोषारोपण से बचने के बराबर नहीं है कि वह नहीं मिला था, इसलिए उसके विरुद्ध अपराध नहीं बनता, बल्कि कार में वह सवार था। उसने पी0डब्लू02 के सामने फिरौती की माँग की थी। इसलिए महिलाओं का भी सक्रिय रूप से उक्त घर में होना और शामिल होना उनकी रणनीति का एक स्पष्ट प्रमाण है तदानुसार धारा-364ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध अभियुक्तगण पर साबित होता है।

82:- धारा-342 भारतीय दण्ड संहिता में है कि विधि विरुद्ध तरीके से कब्जे में रखना। प्रस्तुत मामले में पी0डब्लू02, पी0डब्लू03, पी0डब्लू04 व पी0डब्लू06 इस के गवाह हैं कि अपहृत गौरव इकबाल के मकान में था, जहाँ पर मुल्जिमान भी उसके साथ थे तथा उसको कहीं आने-जाने नहीं दिया जा रहा था, बल्कि निगरानी सतर्क रूप से की जा रही थी। अभियोजन साक्षी विश्वसनीय हैं और धारा-342 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध का अव्यव पूर्ण होता है कि गौरव को उसकी इच्छा के विरुद्ध मकान में कैद करके रखा गया, जहाँ पर उसको बाहर आने-जाने की आजादी नहीं थी।

83:- धारा-328 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में यह है कि जो किसी को विष या नशीला मादक पदार्थ इस आशय से दे कि उसको उपहति कारित हो और उससे यह भी जानते हुए कि इस प्रकार की क्षति की जावेगी। प्रस्तुत मामले में पी0डब्लू02 की कथित मेडिकल जाँच हुई, परंतु उक्त जाँच में किसी मादक अथवा विष जैसे पदार्थ के सेवन करने या कराने के बाबत कोई सबूत नहीं है न ही अभियोजन द्वारा इसको साबित कराया गया है। यद्यपि कि पी0डब्लू02

ने अवश्य कहा कि उसे नशीला पदार्थ दूध में या अन्य प्रकार से देते थे। पी0डब्लू03, पी0डब्लू04 व पी0डब्लू06 को भी मौके से ऐसा कोई मादक पदार्थ, किसी अन्यत्र अथवा कमरे से बरामद नहीं किया गया, परंतु इस मादक पदार्थ के संबंध में पी0डब्लू02 की विश्वसनीयता एक प्रका से अखंडित प्रकार की है, क्योंकि उक्त पदार्थ का सेवन गाड़ी में करते हुए अभिरक्षा के दौरान लगातार किया गया, जिससे उस पर आसानी से काबू पाया जा सके, जैसे कि पी0डब्लू04 स्पष्ट करता है कि वह अपहृत गौरव अचेतन की स्थिति में था, उसको पानी की छींटे मारकर होश में लाया गया तथा चारपाई पर लेटा हुआ था तो मामले में अभियुक्तगण के आचरण, पीड़ित के बयान तथा परिस्थिति इस प्रकार की बलवती है जो यह साबित करती है कि अपहृत पी0डब्लू02 किसी न किसी मादक पदार्थ के प्रभाव में रखा जाता था। प्रस्तुत मामले में नशीले पदार्थ का सेवन कराने का आशय अपराध करने के आशय को लेकर उसको उपहति करना भी है। यद्यपि कि उक्त कोई पदार्थ बरामद हो जाता तो उसको साबित करा लिया जाता या चिकित्सीय परीक्षण में इस संबंध में सर्तकता बरतते हुए अतिरिक्त जाँच कार्यवाही की जाती या पी0डब्लू06 से उस संबंध में पूछा जाता कि क्या वजह थी कि उसका मेडिकल इस प्रकार से क्यों नहीं किया गया, तब पी0डब्लू02 के संबंध में घोर विरोधाभास होता। यदि उसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से जो जाती तो वह अभियोजन के साक्ष्य को अतिरिक्त बल देता, फिर भी ऐसा न होने के कारण पी0डब्लू02 के बयान तथा पी0डब्लू04 के द्वारा बाद की परिस्थिति में पीड़ित की परिस्थिति अपराध अंतर्गत धारा-328 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप की पुष्टि करती है और यह आरोप साबित होता है।

84:- अभियुक्तगण देवेन्द्र, कालू उर्फ घनेन्द्र व राजकुमार उर्फ

बल्लू पर यह भी आरोप है कि मौके से गिरफ्तारी के समय उनके कब्जे से नाजायज तमंचे, कारतूस व चाकू बरामद किया गया। उक्त तमंचा सील सर्वे मौहर करके पुलिस अभिरक्षा में लिये गये। उक्त माल को पी0डब्लू06 द्वारा साबित कराया गया, परंतु उक्त माल केवल मुख्य परीक्षा में पेश किया गया। जिरह के दौरान उक्त माल नहीं था। इस संबंध में स्पष्ट रूप से प्रश्न भी किया गया गया। इसके अलावा पी0डब्लू03 व पी0डब्लू04 से कोई माल साबित नहीं कराया गया। कोई अन्यत्र प्रकार से माल साबित नहीं कराया गया। यह माल इस प्रकार का है कि उसे अदालत में लाया जा सकता है तो उसकी उचित तस्दीक की जा सकती है। जिरह के दौरान उक्त माल का न होना अभियोजन का तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस पर बचाव पक्ष ने जिरह कर पूछा कि आज कोई माल अदालत में नहीं है तो उस पर कहा कि 'हाँ आज कोई माल मेरे सामने नहीं है'। यह अभियोजन की जिम्मेदारी थी कि वह उक्त के बाबत माल तलब कराता। परंतु यह जिम्मेदारी थी कि उक्त माल के बाबत जब अदालत में पेश हो चुका था, तब उक्त माल को तलब करा लिया जाता, लेकिन ऐसी तलबी का कोई आग्रह तत्समय बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया, इसलिए उक्त माल के बाबत यद्यपि कि प्रतिपरीक्षा पूर्ण नहीं है, लेकिन माल साबित होने के समय मुख्य परीक्षा के दौरान अभियुक्तगण की उपस्थिति युक्ति-युक्त थी। इस कारण से उक्त तथ्य न साबित के तौर पर पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता। इसके विकल्प में यह भी स्थिति है कि यदि कोई माल उक्त के अलावा होता जैसे कि कार जो अदालत में पेश नहीं की जा सकती या नहीं की गयी या और भी बड़ा वाहन या सामान, तब उक्त को साबित करने का तरीका पंचायतनामा होता है। सुन्दरलाल अम्बाभाई देसाई बनाम गुजरात राज्य में ऐसे माल

को साबित करने का तरीका भी उल्लेखित किया गया है। ऐसी स्थिति नहीं है कि जो माल मुल्जिमान से बरामद हुआ, वह उपयोग में लाया हो या उससे कोई फायर हुआ हो या उससे अपहृत पी0डब्लू02 को उपहति कारित की गयी हो। इस कारण से उक्त माल का युक्ति-युक्त संबंध आवश्यक होता। क्योंकि होता यह है कि जब स्वयंमेव उक्त को बचाव पक्ष ने अधूरा रखा। धारा-313 जाब्ता फौजदारी के बयान के समय भी इस प्रकार के तथ्य को उठाया नहीं, न ही बचाव कथन में या सबूत में इस तरह की प्रतिकूल बात कही कि ऐसा कोई हथियार, तमंचा व चाकू बरामद नहीं हो सकता, जबकि पी0डब्लू02 यह कहता है कि मुल्जिमान के पास नाजायज असलाह थे, जिसके दम पर उसको डराते, धमकाते थे। ऐसी स्थिति में उक्त माल जिरह के दौरान प्रस्तुत न किये जाने पर भी न साबित मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी प्रदर्श क-2 साबित है। इस प्रकार से आरोप अंतर्गत धारा-3/25 आयुध अधिनियम एवं 4/25 आयुध अधिनियम युक्ति-युक्त रूप से संदेह के परे साबित होते हैं तदानुसार अभियुक्तगण दोषसिद्ध होने योग्य हैं।

85:- उपरोक्त समस्त विवेचना एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्ति-युक्त संदेह के परे साबित होते हैं और अभियुक्तगण आरोपित अपराध में दोषसिद्ध होने योग्य हैं।

86:- सत्र परीक्षण संख्या-1266/2021 में अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी को आरोप अंतर्गत धारा- **364ए, 328, 342** भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

87:— सत्र परीक्षण संख्या—1267/2021 में अभियुक्त देवेन्द्र को आरोप अंतर्गत धारा—3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

88:— सत्र परीक्षण संख्या—1268/2021 में अभियुक्त कालू उर्फ घनेन्द्र को आरोप अंतर्गत धारा—3/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

89:— सत्र परीक्षण संख्या—1347/2021 में अभियुक्त राजकुमार उर्फ बब्लू को आरोप अंतर्गत धारा—4/25 आयुध अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

90:— अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बब्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी पूर्व से जेल हिरासत में हैं, न्यायालय में हाजिर हैं। उनको पुनः हिरासत दोषसिद्धि में लिया जाये। अभियुक्तगण को सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली दिनांक 15-05-2023 को पेश हो।

दिनांक 08-05-2023

(हेमन्त कुमार)

एच0जे0एस0

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0-15, बुलन्दशहर।

JO Code-UP6449

दिनांक 15-05-2023

91:- अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी जेल से न्यायालय में उपस्थित आये। अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त राजकुमार, भारत व कोमल एक ही परिवार के हैं। राजकुमार और कोमल पति-पत्नी हैं और भारत पुत्र है। उनका एक ही पुत्र है। तीनों के कारागार में रहने की स्थिति में इनका वंश समाप्त हो जायेगा। उनकी आर्थिक आमदनी का साधन एक छोटी मोहल्ले लेविल की दुकान है। अभियुक्त तेजवीर और देवेन्द्र भी गरीब हैं। अभियुक्त तेजवीर दिल्ली में डी0टी0सी0 में कान्ट्रैक्ट पर ड्राईवरी करता है। अभियुक्त देवेन्द्र दिल्ली में टैक्सी चलाकर दो छोटे बच्चों का पालन-पोषण करता है। इन सभी की आमदनी का और कोई साधन नहीं है। अभियुक्त राजकुमार, भारत, कोमल, तेजवीर और देवेन्द्र का आर्थिक पक्ष बहुत कमजोर है।

92:- अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी कहा गया है कि दूसरी परिस्थिति में पीड़ित को कोई शारीरिक क्षति नहीं पहुँची है। धनराशि का कोई आदान-प्रदान होना नहीं पाया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। केस की इन परिस्थितियों और अभियुक्तगण का आर्थिक पक्ष देखते हुए कम से कम सजा से दण्डित किया जाये और आर्थिक दण्ड को माफ किया जाये।

93:- अभियुक्त कालू उर्फ घनेन्द्र और अभियुक्ता अन्नू को आपस में पति-पत्नी बताया गया तथा सामाजिक, आर्थिक स्थिति कमजोर कही गयी और उनकी विशिष्ट किसी आपराधिक भूमि का उल्लेख अभियोजन की ओर से नहीं किया गया। कम से कम सजा की

माँग की गयी। अभियुक्त इकबाल की ओर से भी तर्क दिया गया कि वह बिना पहचान के गिरफ्तार किया गया था, उसका मकान झूठा दिखाया गया है। बरामदगी के समय कोई नहीं था तथा वह भी हर प्रकार से कमजोर है।

94:— सभी अभियुक्तगण की ओर से यह भी कहा गया कि अभियुक्तगण के चाल-चलन, आचरण के बाबत अभियोजन की ओर से कोई प्रतिकूल आख्या तलब नहीं करायी गयी है न ही है। यह भी कहा गया कि जेल प्रशासन से भी इन मुल्जिमान की निरुद्धता के दौरान आचरण के प्रति कोई शिकायत नहीं है। इसके अतिरिक्त पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है। अभियुक्तगण समाज के उत्पादक वर्ग हैं तथा उन्हें कम से कम सजा से दण्डित किया जाये।

95:— अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषसिद्धि युक्ति-युक्त रूप से पूर्ण कर ली गयी है। अभियोजन कथानक संदेह के परे साबित है, इसलिए मामले के गुण-दोष को सजा के समय देखा नहीं जा सकता। जहाँ तक अभियुक्तगण के चाल-चलन और आचरण का प्रश्न है तो वह इनकी दोषसिद्धि के प्रमाण से साबित होता है कि इनका चाल-चलन युक्ति-युक्त नहीं रहा। यह भी कहा कि दण्ड का उद्देश्य सबक के तौर पर होना चाहिए अन्यथा व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जायेगी और अधिकतम सजा दी जाये।

96:— अभियुक्तगण को सजा के बिन्दु पर सुना गया। सजा देने के संबंध में नीति की स्पष्टतः अपेक्षित है और जिस प्रकार का तर्क अभियोजन की ओर से रखा गया कि सजा को सबक के तौर पर होना चाहिए, यह तर्क इसलिए मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय

विधिक क्षेत्र में आँख के बदले आँख जैसी दण्डिक थ्योरी लागू नहीं होती, जो कि मध्य एशिया के इस्लामिक राष्ट्रों में लागू होती है, जहाँ अभियुक्त के युक्ति-युक्त सामाजिक भिन्नता/सुधार/सामाजिक दायित्व के उचित प्रकार से निभाना आदि सम्मिलित होता है। वैसे इस संबंध में यदि और गौर किया जाये तो जैसे कोई नागरिक असहाय, बेबस, लाचार, बेरोजगार होकर अपने जीवन के अस्तित्व को बनाने के लिए आवेश में कोई अपराध करता है जिसे विधिक रूप से दण्डनीय बनाया गया। तब उसके द्वारा किया गया कार्य और उक्त कार्य के संबंध में प्राविधानित दण्ड के बीच युक्ति-युक्त सामंजस्य नहीं होने पर अतिरिक्तता पूर्ण होगा। जैसे कोई बालक भूख से पीड़ित होकर किसी बेकरी की दुकान में मौका पाकर खाद्य पदार्थ उठाकर वहीं खाने लगता है, जिसे दुकान का मालिक पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करा देता है। उक्त बालक द्वारा किया गया कार्य दण्डनीय है, जिसमें अधिकतम सजा तीन वर्ष तक की हो सकती है, परंतु उसके प्रतिउत्तर में जो परिस्थिति है, वह भी मानवीय है। क्योंकि उक्त भोजन को अनुचित रूप से प्राप्त करने की वजह अपने आप में निराली है। बेघर, लाचार, बेबस, भूख से पीड़ित बेरोजगार, दरिद्रता, असहाय होकर उक्त कार्य किया है और यदि उसे तीन वर्ष की सजा से दण्डित किया जाये तो अभियोजन की दृष्टि से वह सबक जैसा होगा, परंतु मानवीय तौर पर वह अतिरिक्तता पूर्ण है तथा सामाजिक तौर पर उक्त व्यक्ति में शनैः-शनैः व्यस्क होने पर आपराधिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा, जिसका उत्तरोत्तर सुधार असंभव प्रकार का होगा, इसलिए सबकपूर्ण जैसे तार्किक आधार न्यायोचित नहीं होते।

97:— प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के आपसी संबंध बहुत ही

अजीब प्रकार के हैं। यदि पारिवारिक तौर पर देखें और भारतीय समाज से जोड़कर पायें तो राजकुमार परिवार का कर्ता, पत्नी कोमल और पुत्र भारत पारिवारिक सदस्य हैं। राजकुमार के कोई भी भावावेश की पूर्ति के साधन पत्नी और पुत्र हो सकते थे, परंतु उनकी ओर से परिस्थिति यह है कि यदि वह उसका समर्थन न करें, तब क्या करें। इसी प्रकार से अभियुक्त कालू उर्फ घनेन्द्र व उसकी पत्नी श्रीमती अन्नू का संबंध है। अभियुक्त कालू उर्फ घनेन्द्र परिवार का कर्ता है और श्रीमती अन्नू उसकी सदस्य है। कालू उर्फ घनेन्द्र के आपराधिक निरीक्षा का साधन उसकी पत्नी हो सकती है। अभियुक्त इकबाल, देवेन्द्र और तेजवीर यद्यपि कि पृथक हैं और उनके बाबत कोई पारिवारिक सदस्य का मेल नहीं है, लेकिन अभियुक्त देवेन्द्र के द्वारा अभियोजन कथानक में साधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और इकबाल के संबंध में निरुद्धता वाले स्थान को सुगम करना है। अभियुक्त तेजवीर के बाबत अपहृजत को उसके स्थान से हटाने के प्रयास में ले जाना है। यद्यपि कि तेजवीर के संबंध में पी0डब्लू02 का ख्याल और भी है। लेकिन उनकी ओर से जो अभिकथन अंतर्गत धारा— 233 (2) जाब्ता फौजदारी के अंतर्गत दिये, उसमें उन्होंने अपने पेशा, व्यवहार तथा स्थिति को बताया है। इसके प्रतिकूल अभियोजन की ओर से कोई रिपोर्ट जरिये परिवीक्षा अधिकारी या जेल अधीक्षक से तलब कर पेश नहीं है न ही इन अभियुक्तगण के बाबत पूर्ववत् अथवा अन्य अभियुक्तगण के समेत पूर्व दोषसिद्धि को प्रमाणित किया है। अभियुक्तगण लगातार जेल में निरुद्ध हैं। ऐसी परिस्थिति में वे युक्ति—युक्त सजा से दण्डित होने योग्य हैं।

98:— अभियुक्तगण के बाबत एक तर्क यह भी आया कि

बरामदगी के बाबत उनकी उपस्थिति संदिग्ध है। रुपये का लेन-देन साबित नहीं है और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित कर जानबूझकर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। जो अभियोजन कथानक के बाबत प्रतिकूल आशय के तौर पर लिया जा सकता है। इस संबंध में और भी स्पष्ट किया कि धारा-8 साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्पष्टीकरण में न्यायालय उपधारणा उन परिस्थितियों में बना सकता है, जहाँ कोई सबूत यदि पेश किया जाता और वह सबूत अभियोजन के विरुद्ध होता या पक्षकार के विरुद्ध होता और वह जानबूझकर अपने पास बनाये रखा तो वह प्रतिकूल रूप से माना जावेगा। इस संबंध में अभियोजन का तर्क है कि यह विवाद को तय करने का नया फोरम पुनः नहीं हो सकता। दोषसिद्धि का आदेश अंतिम है, उसमें आपराधिक न्यायालय ऐसा कोई पुर्नवालोकेन समेत वैधानिक अधिकारिता नहीं रखता कि निष्कर्ष से दोबारा जूझा जाये और कोई निष्कर्ष दिया जाये। इस तर्क से इतना तो स्पष्ट है कि गुण-दोष के तर्क निष्कर्ष में मान्य होते हैं। उनके आधार को उसी समय देखा जाना होता है। उनको पश्चात्वर्ती परिस्थिति में देखना अथवा कोई संपुष्टि करना न तो अपेक्षित है और न ही किसी विधान द्वारा ऐसी अनुमति है, इसलिए इस तर्क को विशद्ध रूप से पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है और न ही इस पर कोई निष्कर्ष अपेक्षित है। दोषसिद्धि दिनांक 08-05-2023 को की जा चुकी है।

99:- अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बब्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी को धारा-364ए, 328, 342 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा अभियुक्त देवेन्द्र व कालू उर्फ घनेन्द्र को धारा-

3/25 आयुध अधिनियम व अभियुक्त राजकुमार उर्फ बब्लू को धारा-4/25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किया गया है। धारा-364ए भारतीय दण्ड संहिता में मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। धारा-328 भारतीय दण्ड संहिता में 10 वर्ष तक का कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है तथा धारा-342 भारतीय दण्ड संहिता में एक वर्ष तक का कारावास और अर्थदण्ड या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है। धारा-3/25 आयुध अधिनियम में तीन वर्ष तक का कारावास तथा न्यूनतम कार्यवाही एक वर्ष का हो सकता है। न्यायालय विशेष कारण उल्लेखित करते हुए उक्त कार्यवाही से भी कम कार्यवाही से भी दण्डित कर सकता है। धारा-3/25 आयुध अधिनियम और धारा-4/25 आयुध अधिनियम में दण्डित प्रावधान धारा-25 आयुध अधिनियम से शासित हैं।

100:— अभियुक्तगण द्वारा बतायी गयी परिस्थिति तथा विधिक रूप से प्राविधानित दण्ड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तगण को युक्ति-युक्त सजा से दण्डित किये जाने योग्य हैं। धारा-364ए भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित सजा से लघुत्तर सजा नहीं दी जा सकती तदनुसार निम्न दण्डादेश पारित किया जाता है।

101:— अतः सत्र परीक्षण सं०-1266/2021 में अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बब्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी को धारा-364ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास और पाँच-पाँच हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

102:— सत्र परीक्षण सं०—1266/2021 में अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी को धारा—**328** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में सात—सात वर्ष का कारावास और पाँच—पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

103:— सत्र परीक्षण सं०—1266/2021 में अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी को धारा—**342** भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में सात—सात वर्ष का कारावास और पाँच—पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

104:— सत्र परीक्षण सं०—1267/2021 में अभियुक्त देवेन्द्र को धारा—**3/25** आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष का कारावास और पाँच सौ रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

105:— सत्र परीक्षण सं०—1268/2021 में अभियुक्त कालू उर्फ घनेन्द्र को धारा—**3/25** आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष का कारावास और पाँच सौ रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

106:— सत्र परीक्षण सं०—1347/2021 में अभियुक्त राजकुमार उर्फ बल्लू को धारा—**4/25** आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष का कारावास और पाँच सौ रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

आदेश

सत्र परीक्षण सं०-1266 / 2021 में अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी प्रत्येक को धारा-364ए भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आजीवन कारावास और पाँच-पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण को छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सत्र परीक्षण सं०-1266 / 2021 में अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी प्रत्येक को धारा-328 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में सात-सात वर्ष का कारावास और पाँच-पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्तगण को छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सत्र परीक्षण सं०-1266 / 2021 में अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी प्रत्येक को धारा-342 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में एक-एक वर्ष का कारावास से दण्डित किया जाता है।

सत्र परीक्षण सं०-1267 / 2021 में अभियुक्त देवेन्द्र को धारा-3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष का कारावास और पाँच सौ रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त

कारावास भुगतना होगा।

सत्र परीक्षण सं०-1268/2021 में अभियुक्त कालू उर्फ घनेन्द्र को धारा-3/25 आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष का कारावास और पाँच सौ रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सत्र परीक्षण सं०-1347/2021 में अभियुक्त राजकुमार उर्फ बल्लू को धारा-4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में एक वर्ष का कारावास और पाँच सौ रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।

अभियुक्तगण द्वारा उक्त अपराध में जेल में बिताई गई अवधि नियमानुसार सजा अवधि में समायोजित हो।

माल मुकदमाती दो तमंचे 315 बोर एवं छुरा बाद म्याद अपील नियमानुसार विनष्ट हो तथा चार जिंदा कारतूस 315 बोर राज्य के पक्ष में जब्त हों।

अभियुक्तगण कालू उर्फ घनेन्द्र, राजकुमार उर्फ बल्लू, देवेन्द्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, श्रीमती अन्नू व श्रीमती कोमल कुमारी का सजायावी वारंट बनाकर अविलम्ब जिला कारागार, बुलन्दशहर भेजा जाये।

इस निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित सत्र परीक्षण सं०-1267/2021, 1268/2021 एवं 1347/2021 में भी नियमानुसार रखी जाये।

इस निर्णय और आदेश की एक-एक प्रति अभियुक्तगण

को नियमानुसार निशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 15-05-2023

(हेमन्त कुमार)

एच0जे0एस0

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0-15, बुलन्दशहर।

JO Code-UP6449

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर उदघोषित किया गया।

दिनांक 15-05-2023

(हेमन्त कुमार)

एच0जे0एस0

अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0-15, बुलन्दशहर।

JO Code-UP6449

सैयद वसी उर-रहमान
आशुलिपिक